मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014

(19 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 9]

मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014

(19 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के पास भगवा दुपट्टा देखने पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सरीखे केसरी दुपट्टा डालने वालों की संख्या सदन में बढ़ रही है.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न संख्या 1 श्री कमलेश्वर पटेल.

श्री सुंदरलाल तिवारी - इसका कैसे उपयोग होना चाहिए? उपयोग बताएंगे कि कैसे होना चाहिए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - लेकिन कैलाश भैया यह परमानेंट रहना चाहिए, जैसे आप पूरे समय रखते हैं, 24 घंटे जैसे आप गले में डालते हैं, वैसे 24 घंटे गले में डालना पड़ेगा. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - श्री कमलेश्वर पटेल को अपना प्रश्न करने दें.

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षर किये गये एम.ओ.यू.

1. (*क्र. 2748) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्दौर में दूसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट खजुराहो में तीसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्दौर में आयोजित हुई थी? उसमें कुल कितने एम.ओ.यू. में हस्ताक्षर किये गये थे? तिथिवार विस्तृत विवरण दें? (ख) प्रश्नांश ''क'' इनमें से कितने एम.ओ.यू. पर भूमि अधिग्रहण कर उद्योग लगाना शुरू हो गया है? कितने में अभी तक कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ? जिन एम.ओ.यू. पर उद्योग लग रहे हैं, उन्हें बिजली एवं अन्य सहायता किस रूप में उपलब्ध कराई जा रही है? अधिग्रहित शासकीय भूमि किस मूल्य पर दी गई है? क्या किसानों को भूमि का निर्धारित मुआवजा भुगतान किया जा चुका है? (ग) इसमें प्रश्नांश ''क'' मध्यप्रदेश के कितने लोगों को रोजगार मिला या मिलेगा? सिंगरौली/सीधी जिले में एम.ओ.यू. के अन्तर्गत जो उद्योग लगाये गये, उनमें सीधी/सिंगरौली जिले के कुशल एवं अकुशल कितने लोगों को रोजगार दिया गया?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हां. प्रत्येक समिट में हस्ताक्षरित कुल एम.ओ.यू. की संख्या तथा तिथि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश ''क'' के हस्ताक्षरित किये गये उद्योगों से संबंधित किसी एम.ओ.यू. हेतु विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है. कुल 36 एम.ओ.यू. परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाईट, विद्युत् सब स्टेशन, नाली व जल प्रदाय आदि अधोसंरचना औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा विकसित करके उपलब्ध कराई जा रही है. एम.ओ.यू. इकाईयों के लिये किसानों की भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है. अतः मुआवजा भुगतान का प्रश्न नहीं उठता. (ग) प्रश्नांश ''क'' की इन्वेस्टर्स समिटस में हुए एम.ओ.यू. परियोजनाओं में लगभग 45000 लोगों को रोजगार मिला है तथा भविष्य में लगने वाली परियोजनाओं में लगभग 324000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. उद्योग संवर्धन नीति 2010 में तथा एम.ओ.यू. की शर्त अनुसार कुल रोजगार में मध्यप्रदेश के निवासियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत रोजगार देने का प्रावधान है. उद्योगों को उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ देने के पूर्व इस प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जाता है. सिंगरौली जिले में प्रश्नांश ''क'' के एम.ओ.यू. अन्तर्गत कोई भी उद्योग नहीं लगा है. सीधी जिले में प्रश्नांश ''क'' के एम.ओ.यू. अन्तर्गत कम्पनी में, जयप्रकाश एसोसियेटस लि. में सीधी जिले के 69 कुशल तथा 24 अकुशल लोगों को रोजगार दिया गया है.

श्री कमलेश्वर पटेल - अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग विभाग का जवाब आया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं. सरकार ने जिस तरह से बड़े-बड़े इनवेस्टर्स मीट के और उद्योग स्थापित करने के दावे किये थे, जवाब से यह समझ में आता है कि उस तरह का काम नहीं हुआ है. ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट के पहले जितनी यात्राएं हुई हैं, उसके हिसाब से कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई है. जितना पैसा

उद्योग स्थापित करने में लगा है, उतना पैसा अगर प्रदेश के युवा उद्यमियों के ऊपर खर्च कर दिया जाता तो शायद कुछ भला हो पाता. अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाब आया है कि कहां कहां इनवेस्टर्स मीट हुई, कितनी तारीख को हुई, उसकी तो जानकारी दी है. लेकिन इसमें कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने के लिए समूह शामिल हुए थे, उसकी जानकारी नहीं दी है? यह अधूरी जानकारी है. माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि वह पूरी जानकारी भी उपलब्ध करा दें. हालांकि उनका यह नया-नया विभाग है.

दूसरा इसी से संबंधित है, यहां पर दावा किया गया है कि अभी इन्वेस्टर्स मीट में जितने उद्योग स्थापित किये गये हैं उनमें 45 हजार युवा लोगों को रोजगार दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ हमने अपने सीधी, सिंगरौली जिले का उल्लेख किया था तो सीधी जिले में जो एक उद्योग जे.पी. समूह का उसका इसमें उल्लेख किया है उसमें केवल 49 कुशल एवं 24 अकुशल लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है जबकि 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी होंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोगों की क्या स्थिति है और किस तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही है. ये बहुत बड़ा विषय है. अध्यक्ष महोदय, इसमें यह जानकारी दी गई है कि जो भी उद्योग स्थापित किये गये हैं उनके लिए किसानों की जमीनें नहीं ली गई हैं. पर सच बात यह है कि किसान आज भी मुआवजे के लिए परेशान है और जो भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थपित होने पर जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए वे आज भी परेशान हो रहे हैं. उसके लिए हम उद्योग मंत्री महोदया से जानना चाहेंगे कि विस्थापितों को उचित मुआवजा मिले और सही न्याय मिले और स्थानीय युवाओं को चाहे वे सीधी जिले में हों चाहे सिंगरौली जिले में हों या मध्यप्रदेश में जहां भी उद्योग स्थापित हुए हैं , जवाब में दिया है कि 50 प्रतिशत शिक्षित युवाओं को,बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था देने की बात एग्रीमेन्ट में है. पर देखने में यह आता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है.

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके प्रश्न तो करें.

श्री कमलेश्वर पटेल- आपके माध्यम से हम मंत्री महोदया से यह आश्वासन चाहेंगे कि एक तो 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था का जो उल्लेख है वह मिलना चाहिए, वे इस तरह से उसका कम्प्लायेन्स करेंगे और दूसरा जो हमने पहले निवेदन किया था कि विस्थापितों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है ,जिनकी भूमि अधिगृहित हुई है

अध्यक्ष महोदय—इसमे लिखा है कि अधिगृहित नहीं की.

श्री कमलेश्वर पटेल – ये गलत जानकारी है. माननीय जो उद्योग स्थापित हुए हैं ,आज भी कई लोग सड़क पर हैं . यही तो हमने शुरू में उल्लेख किया है कि जो जानकारी दी है वह आधी अधूरी है. इन्वेस्टर्स मीट में कितने लोग शामिल हुए उसकी भी जानकारी नहीं है. वह जानकारी कब तक उपलब्ध करा देंगे.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वस्त करना चाह रही हूं कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत चिन्तित रहते हैं , अपने युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए परन्तु जिस प्रश्न को आप पूछ रहे हो वह वास्तव में मेरे विभाग के अंदर आता नहीं है, अभी जो पावर प्रोजेक्ट सीधी और सिंगरौली में लगे हैं , वे मेरे विभाग के अधीन नहीं आते हैं. हमारे विभाग के अधीन एक ही उद्योग आता है वह है जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज का सीमेन्ट का उद्योग. दूसरे जो हैं वे पावर उद्योग के अधीन आते हैं और जय प्रकाश इण्डसट्रीज वालों ने जो रोजगार दिए है उनकी कुल संख्या 1495 है. जिसमें मध्यप्रदेश के निवासियों को जहां हमें कम से कम 50 प्रतिशत को देना है उससे ज्यादा उन लोगों ने दिया है. उसमें मध्यप्रदेश के लोगों की संख्या है 796 जो कि 50 प्रतिशत से अधिक होती है. और सीधी जिले के लोगों को जो रोजगार प्रदान किया गया है, उसमें 93 में से कुशल स्किल्ड वर्कर्स में 69 वर्कर्स उस कंपनी ने लिए हैं और अकुशल 24 वर्कर्स लिए हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आंकड़ा संबंधित विभाग द्वारा माननीय मंत्री महोदया के पास पेश किया गया है, बिलकुल गुमराह करने वाला है और असत्य जानकारी है और सत्यता से परे हैं. वहां जो उद्योग स्थापित हुआ है, हजारों वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, हम लोगों का डेली वहीं आना जाना होता है. यह जे.पी. समूह की बात मैं कर रहा हूं. दूसरा आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था बनाएं कि स्थानीय युवाओं को जो आपके एग्रीमेन्ट है, उसके अनुपात में उनको वहां रोजगार मिले और इस तरह की जो असत्य जानकारी विभाग के अधिकारी देते हैं, उन पर आप सख्त कार्यवाही करें.

अध्यक्ष महोदय—स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, उद्योग नीति क्या माननीय मंत्री जी के विभाग के अंतर्गत नहीं आती है? यह महत्वपूर्ण विषय है.

अध्यक्ष महोदय—यह बात ठीक नहीं है, यह आपको पहले पूछना चाहिए. आप भाषण बहुत देते हैं. कृपा करके बैठ जाएं. दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं. आपकी बात हो गई है.अब प्रश्न क्रमांक 2 पर डॉ. रामकिशोर दोगने जी का ही प्रश्न लिखा जाएगा.

श्री कमलेश्वर पटेल—(xxx)

---

xxx (आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया)

प्रश्नसंख्या(2)—

सड़क मार्गों का निर्माण

2. (*क्र. 2638) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक विभाग ने किन-किन सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृतियां दी है? इनमें कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य कितनी राशि से प्रारंभ हो गया है उनकी पूर्णता की अवधि क्या है? (ख) प्रश्नांकित सड़के किन-किन एजेन्सियों/ठेकेदारों के माध्यम से बनाई गई अथवा बनाई जा रही है? इनमें कितनी एवं कौन-कौनसी सड़कें अपूर्ण है? अपूर्णता का कारण दें? (ग) प्रश्नांकित सड़कों में से प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना अंतर्गत कौन-कौनसी सड़क बनाई गई अथवा निर्माणाधीन है? उक्त निर्माण हेतु कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई है? क्या ये सभी पूर्ण हो गई अथवा अपूर्ण हैं? अपूर्णता का कारण दें? (घ) विभाग को प्रश्नांकित के लिए सी.आर.एफ (सेन्ट्रल रिजर्व फण्ड) से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा क्या इसका सम्पूर्ण उपयोग उसी मद में किया है? नहीं तो कहां-कहां उपयोग हुआ? सड़कों की अपूर्णता के लिये ठेकेदारों/एजेन्सियों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) हरदा जिले में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के मध्य एक मार्ग हरदा-छीपानेर मार्ग लंबाई 34.50 कि.मी. एवं लागत रुपये 38.57 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 4-10-2011 को जारी की गई. उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. अनुबंधानुसार उक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 माह थी जो कि दिनांक 25-7-2014 तक है, एवं प्रश्नांकित वर्ष में रा.रा. 59ए के कि.मी. 126/8 से 128 एवं 182 से 185 में पेंच रिपेयर कार्य की स्वीकृति रुपये 328.86 लाख की दिनांक 8-6-2012 को जारी की गई तथा कार्य दिनांक 3-11-2012 को रुपये 328.76 लाख व्यय कर पूर्ण किया गया. शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार. (ख) हरदा-छीपानेर मार्ग का निर्माण कार्य मेसर्स बी.व्ही.एस.आर. हरदा-बैतूल रोड प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया एवं 59ए के कि.मी. 126/8 से 128 तथा 182 से 185 तक पेंच रिपेयर का कार्य मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार प्रायवेट लिमिटेड, भैसदेही जिला बैतूल के द्वारा पूर्ण किया गया एवं शेष पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के कालम 5, 6, 7 तथा 9 में दर्शाये अनुसार. अतः अपूर्णता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. (ग) कोई नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (घ) हरदा जिले में सी.आर.एफ. योजना में वर्ष 2010 से 2014 तक कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है.

डॉ.रामकिशोर दोगने—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरदा में जितने रोड हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास आई है. इसमें ठेकेदारों की लापरवाही के कारण विलंब हुआ है, तो क्या ठेकेदारों पर कोई पेनाल्टी लगाई जा रही है और जो पी.डब्लू.डी के जो वहां के अफिसर हैं, वह काम नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई कार्यवाही की जा रही है? यह तीन साल के आंकड़े इसके पहले के 6-6 साल हो गए हैं, रोड पेन्डिंग पड़े हैं.

अध्यक्ष महोदय—आपने जितना मांगा है, उतने वर्षों का आंकड़ा दिया गया है. आपने 2010 से 2014 की जानकारी मांगी है, उसके पहले कैसे जा सकते हैं. आप इतने ही समय की बात कीजिए और प्रश्न पूछिये.

डॉ.रामकिशोर दोगने—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो रोड अधूरे पड़े हैं, वह कंपलीट कब तक हो जाएंगे? मेरे पास लिस्ट है. दूसरा अधिकारियों पर कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? अधिकारियों पर जब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी, तब तक कोई काम पूर्ण नहीं होगा, यह पूरे मध्यप्रदेश की स्थिति है. विलंब हो रहा है, समय निकल जाता है, लेकिन सुपरवीजन ठीक से नहीं हो रहा है, इस कारण से विलंब हुआ है और ठेकेदारों से अधिकारियों की मिलीभगत के कारण काम नहीं होता है तो मेरा निवेदन है कि अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? और यह कंपलीट कब तक हो जाएंगे?

श्री सरताज सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को सभी कार्यों की प्रगति की सूचि दे दी गई है, जिनकी समयावधि पूरी हो चुकी है, वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं. जो कार्य अपूर्ण हैं, उनकी समयावधि बाकी है, इसीलिए किसी कार्यवाही का सवाल पैदा नहीं होता है. अगर समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होंगे, उसके बाद ही कार्यवाही का प्रश्न पैदा होगा.

डॉ.रामकिशोर दोगने—काफी समय निकल चुका है.

अध्यक्ष महोदय—उत्तर तो पढ़िये, उसमें सारी बात लिखी हुई है.

डॉ.रामकिशोर दोगने—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी लिस्ट है

श्री सरताज सिंह—आप रोड का नाम बताएं. ऐसी कौन सी रोड है, जो पूरी नहीं हुई.

डॉ.रामकिशोर दोगने—हरदा-मगरधा रोड है, यह सी.आर.एफ. के अंतर्गत है, काफी समय हो गया है, हंडिया-गांगला, हंडिया-गुल्लास रोड कंपलीट नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—सी.आर.एफ.में 2010 के बाद तो कोई मार्ग ही स्वीकृत नहीं है?

डॉ.रामकिशोर दोगने—यह उसके पहले का है.

अध्यक्ष महोदय—पहले का नहीं पूछ सकते. इसमें स्पेसिफिक प्रश्न पूछ सकते हैं. जिसका समय निकल गया हो और काम नहीं हुआ हो.

डॉ.रामकिशोर दोगने—अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो दे सकता हूं, मेरा निवेदन है कि जब तक अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे. जनहित में काम होना चाहिए, जनता इंतेजार कर रही 10-10,15-15 साल से रोड नहीं बने हैं. हरदा में पूरे रोड खाली पड़े हैं.हरदा की स्थिति जाकर के देखेंगे तो पूरे रोड खाली पड़े हैं, पीडब्ल्यू के रोड देखें तो वह भी खाली पड़े हैं. अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति क्लीयरहो कि यह रोड कब तक कम्पलीट हो जाएंगे.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्नाधीन अवधि के संबंध में तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि कुछ पूर्ण हो गए हैं और कुछ की अवधि अभी बाकी बची है. अब बाकी के बारे में आप एक प्रश्न पूछ लीजिए.

डॉ. रामकिशोर दोगने—अध्यक्ष महोदय, यह छीपानेर रोड जो सीआरएफ के अंतर्गत कम्पलीट हुआ है उसमें नालियां ही नहीं बनी,आधी नाली बनी हैं और आधी नाली अभी रुकी हुई है.

श्री सरताज सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने 2010 से लेकर 2014 के कार्यों का विवरण पूछा है और वह विवरण उनको दे दिया गया है. छीपानेर रोड की जो यह शिकायत बता रहे हैं उस शिकायत की जांच करवा ली जाएगी

छिन्दवाड़ा जिले के आरा मशीनों पर अवैध काटे गये वृक्षों का भंडारण

3. (*क्र. 2302) पं. रमेश दुबे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में कुल कितने आरा मशीनों को किस-किस ग्राम में संचालन हेतु किसे लायसेंस दिया गया है? लायसेंस की अवधि लायसेंस की शर्तें स्टाक रखने की अनुमति सहित जानकारी दें? (ख) क्या सभी आरा मशीन स्वामियों द्वारा लायसेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (ग) क्या छिन्दवाड़ा जिले में आरा मशीनों पर अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का भंडारण हो रहा है? (घ) क्या शासन आरा मशीनों पर उक्त प्रकार की हो रही अवैध कृत्य की जांच का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर है. (ख) जी हां. (ग) एवं (घ) जी नहीं. ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

पं. रमेश दुबे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न ख के उत्तर में लायसेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है. मेरा कहना है कि जो शर्तें हैं, आरा मशीन वाले उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं. उनको स्टॉक की जो सीमा दी गई है उससे ज्यादा स्टाक आरा मशीन वाले रखते हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वन और राजस्व के जो जंगल हैं, उनमें आड़ जाति की जो लकड़ियां हैं वह अवैध रुप से भारी संख्या में कटाई करके इन आरा मशीन वालों तक पहुंचाई जा रही है. इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बिना स्वीकृति के लकड़ियां काटी जा रही हैं और बिना स्वीकृति के जो परिवहन किया जा रहा है क्या उसकी जांच कराकर रोक लगाने का काम करेंगे?

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि जो अवैध रुप से लकड़ी काटी गयी हैं उनका तो प्रमाण मिल जाएगा. परिवहन के बारे में आप और कोई आदतन ऐसे वाहन हों जो यही काम करते हैं वह हमें बता दें और कृपया क्षेत्र यदि हमें बता दें कि इस क्षेत्र से लकड़ियां कटी हैं, यहां राजस्व की कटी हैं यहां वन की कटी हैं तो हम उसकी जांच

करवा लेंगे और आप कहेंगे तो हम डीएफओ से इसकी जांच करवा लेंगे. इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लकड़ियां बिलकुल नहीं कटना चाहिए, वन नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा यह उद्देश्य है.

पं. रमेश दुबे—अध्यक्ष महोदय, भारी संख्या में फलदार वृक्ष भी काटे जा रहे हैं. जैसा कि आपने कहा, जिनके माध्यम से परिवहन किया जा रहा है वह जानकारी मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा. जो वन और राजस्व विभाग के जंगल हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूँ- पालवी, टिगरा, हलाल और जमतरा, यहां से अवैध रुप से फलदार वृक्षों को और आड़ जाति की लकड़ियों को काटकर आरा मशीन तक पहुंचाया जाता है, मंत्री जी इसकी जांच करा लें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, जी हां. जांच करवा लेंगे.

हिरन नदी पर पुल के निर्माण की कार्यवाही

4. (*क्र. 2070) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि—जबलपुर जिले के मझौली विकासखण्ड के अन्तर्गत हिरन नदी पर मुरैठ ग्राम के पास बने पुल की स्थिति अत्यन्त जर्जर होने से यहां से आवागमन करने वाले मुसाफिरों का आवागमन दूभर हो गया है? उक्त पुल के पुनर्निर्माण/नव निर्माण की शासन की क्या योजना है? क्या शासन इसी वर्ष के बजट में शामिल कर उक्त पुल का निर्माण करावेगा ताकि जनता को आवागमन सुलभ हो सके?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : जी हां. प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. कार्य इस वर्ष के बजट में सम्मिलित कर पुल निर्माण कराया जाने का निर्णय उपलब्ध बजट अनुसार लिया जावेगा. अतः वर्तमान में जानकारी दिया जाना संभव नहीं.

श्री नीलेश अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए मुरैठ पुल निर्माण की पहल की. मुरैठ पुल से लगे हुए 70 से 75 गांव आते हैं जो डायरेक्ट तहसील से जुड़ते हैं. माननीय मंत्री जी, यह पुल डायरेक्ट तहसील से जुड़ता है और पुल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है. आवागमन के दौरान लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुल से निकलते हैं. मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि इसको इसी वित्तीय वर्ष में ले के तत्काल इस पुल का कार्य प्रारम्भ करायें.

श्री सरताज सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक प्राक्कलन लगभग 650 लाख का इस पुल के निर्माण हेतु आया है. चूंकि अभी यह बजट में सम्मलित नहीं है इसलिए इसमें समय

लगेगा. मैंने निर्देश दिये हैं कि इसका परीक्षण करें. अगर रिपेयर से फिलहाल काम चल सकता है तो उसमें कितना खर्चा आयेगा, यह रिपोयर संभव है या नहीं है, इसका परीक्षण होने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा.

श्री नीलेश अवस्थी--- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यह बहुत गंभीर मामला है जनहानि भी हो सकती है इसको प्राथमिकता से लेकर इस बजट में जोड़ा जाए औऱ जनता को राहत दी जाए.

श्री सरताज सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको प्राथमिकता से लिया गया है इसलिए इसका परीक्षण कराया जा रहा है अगर तत्काल रूप से इसमें कोई रिपेयर संभव होगी वह करा दी जाएगी उसके बाद जब बजट में स्वीकृति होगी तब बाकी का काम होगा.

श्री नीलेश अवस्थी-- अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मंत्री जी घोषणा करें क्योंकि मेरे घर का रास्ता वहाँ से नहीं जाता लेकिन जनता वहाँ से निकलती है.

अध्यक्ष महोदय-- आपको उन्होंने प्रश्न पूछने के पहले धन्यवाद दिया है इसलिए उनका विशेष ध्यान इसमें रहेगा.

जल प्लावन की समस्या का निदान

5. (*क्र. 1701) श्री अंचल सोनकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर शहर की जलप्लावन की समस्या के निदान हेतु नाले/नालियों के विकास की मूल योजना क्या है? इसकी निर्माणाधीन अवधि व लागत क्या है? इसकी डिजाइन कब किससे, कितनी राशि में तैयार कराई गई है? (ख) प्रश्नांकित स्वीकृत योजना व डिजाइन के अनुरूप निर्माण एजेन्सी ने निविदा की शर्तों के तहत किन-किन बड़े नालों के निर्माण कार्य में कितनी-कितनी मात्रा में सीमेन्ट, लोहा व पाइप का उपयोग किया है? इन नालों की चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई क्या है? (ग) प्रश्नांश "क" में एजेन्सी ने कौन-कौनसा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराया है एवं क्यों? कौन-कौनसा कार्य कब से अपूर्ण व निर्माणाधीन है? निर्माण सामग्री व कार्य की गुणवत्ता की जांच कब-कब, किन-किन अधिकारियों ने की है? निर्माण कार्य में अनियमितता व गुणवत्ताहीन कार्य के लिये दोषी एजेन्सी पर कब क्या कार्यवाही की गई? (घ) एजेन्सी को किन-किन-किन कार्यों से संबंधित कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत जबलपुर शहर के लिये वर्षा जल निकासी योजना का कार्य रुपये 326.49 करोड़ का स्वीकृत हुआ था. कार्य की निर्माणाधीन अवधि 30 माह व निविदा उपरान्त स्वीकृत लागत रुपये 374.99 करोड़ है. योजना की डी.पी.आर. डिजाइन सहित मे. स्नोफउन्टेन कंसलटेंट, लखनऊ द्वारा सितम्बर 2008 में तैयार किया गया है जिसे डिजाइन कार्य के लिये रुपये 174.66 लाख का भुगतान किया गया है. प्रोजेक्ट उदय अन्तर्गत जबलपुर शहर के लिये वर्षा जल निकासी योजना का कार्य रुपये 33.139 करोड़ की स्वीकृत हुई थी. कार्य की निर्माणाधीन अवधि 18 माह थी. योजना में जनवरी 2009 में डिजाइन कार्य TCEL कंसलटेंसी फर्म के द्वारा किया गया. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है. (ग) जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत वर्षा जल निकासी के कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 30 माह थी. भूमि अधिग्रहण, सीमांकन, रेलवे एवं सुरक्षा संस्थानों की अनुमति में विलम्ब, विद्युत् पोल ट्रांसफार्मर, केबिल इत्यादि की शिफ्टिंग, अतिक्रमण एवं कुछ स्थानों पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के कारण निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हो सका है. निर्माण कार्य के सुपरविजन एवं गुणवत्ता के लिये जेएनएनयूआरएम योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार मे. मेनहार्ट सिंगापुर जे.व्ही. नियुक्त है. गुणवत्ता की जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है. निर्माण कार्य में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है. जिससे किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है.

श्री अंचल सोनकर--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जबलपुर शहर की जलप्लावन की समस्या हेतु प्रश्न किया था उसके बाकी प्रश्नों के उत्तर तो सही आये हैं पर जिस चीज का मैंने प्रश्न उठाया था कि जल प्लावन हेतु नाला नालियों की जो डिजाइन बनी है, वह ठीक नहीं बनी है. अभी तो थोड़ी सी बरसात हुई है, उसी में पानी डंप मार कर पूरे शहर को डुबो रहा है और उसमें घटिया निर्माण हुआ है . मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी जांच भोपाल के अधिकारी से कराएंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--- अध्यक्ष महोदय,वैसे इसकी डिजाइन टीसीईएल कंपनी (टाटा कंसलटेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड) ने करी है यह देश की बड़ी अच्छी कंपनी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें हमने क्वालिटी व गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन रखा था, उनकी भी रिपोर्ट पाजिटिव है. लेकिन उसके बाद भी यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक बार

फिर से उसका परीक्षण करा लिया जाए तो हम भोपाल से किसी अधिकारी को भेजकर एक बार फिर से उसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे और माननीय विधायक जी को अवगत करा देंगे.

श्री अंचल सोनकर--- आपको बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन क्या उस जांच कमेटी में मुझे रखेंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—आपको भी सम्मिलित कर लेंगे.

इन्वेस्टर मीट का आयोजन

6. (*क्र. 2778) श्री जितू पटवारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष 2008 से अभी तक कितनी इन्वेस्टर मीट आयोजित की गयी एवं किन-किन उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया? (ख) इन्वेस्टर मीट पर कितनी राशि खर्च की गयी एवं किस-किस विभाग से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया? (ग) आमंत्रित उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश के किस-किस संभाग में कितना निवेश किया गया और कितने उद्योग लगाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वित्तीय वर्ष 2008 से अभी तक कुल 8 इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गयी जिसकी जानकारी परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार है. समस्त इन्वेस्टर्स मीट में आमंत्रित उद्योगपतियों की सूची परिशिष्ट 2, 3, 4, 5 तथा 6 पर पुस्तकालय में रखे अनुसार है. (ख) खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार है. इन इन्वेस्टर्स मीट में खनिज, टेक्सटाईल, कृषि फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा तथा अन्य मेन्यूफेक्चरिंग उद्योगों को बढ़ावा दिया गया. (ग) आमंत्रित उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश के संभागों में कुल 158 उद्योग स्थापित किये गये है. स्थापित किये उद्योग तथा निवेश की जानकारी परिशिष्ट-7 पर पुस्तकालय में रखे अनुसार है.

श्री जितू पटवारी--- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से विभाग की तरफ से जानकारी आई है , इन्वेस्टर्स मीट में जितने भी आमंत्रित सदस्य थे या आमंत्रित उद्योगपति थे और कितनों ने इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेकर इन्वेस्ट किया उसका एक बड़ा अंतर है. जितना राज्य शासन ने खर्च किया उसके अनुपात में कितना इन्वेस्ट हुआ उसका आंकड़ा अगर देखेंगे तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी क्योंकि 8-8 समिट हुई उसके बाद भी जितना रिजल्ट निकलना था उतना नहीं निकला. जब मैंने व्यक्तिगत रूप से उद्योगपतियों से बात की तो उनका कहना था कि जो आधारभूत ढांचे की हमें आवश्यकता थी उसकी मध्यप्रदेश में कमी है. हालांकि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं. पर मेरा अनुरोध है कि जब आधारभूत ढांचा बढ़ेगा तो और आपका, हमारा और मध्यप्रदेश का जो विजन है कि इन्वेस्टर्स यहाँ आए वह ज्यादा ताकत से होगा. धन्यवाद.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करवाना चाह रही हूं कि जो वह कह रहे हैं वह भी सही है. पर छोटे उद्यमियों के लिए हम जो छोटे इन्वेस्टर्स मीट करते हैं उसमें ढांचा कैसे हम ठीक करें ,उनसे हम बैठकर बात कर सकते हैं और जिन लोगों ने भी इनसे बात की है कि जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं , इन इन्वेस्टर्स मीट में उसके लिए उसके एवज में जो हमें इन्वेस्टर्स पूंजी डालते हैं वह सही नहीं है या ज्यादा आनी चाहिए इसमें मेरा एक ही कहना है कि हमने थोड़ा सा एवरेज इन्न 8 इन्वेस्टर्स मीट में निकाला था और इन 8 इन्वेस्टर्स मीट में हमें कम से कम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक एक मीट से आती है अब किस तरह से हम उस आंकड़े को लें और किस तरह से उद्योगपतियों को इसके ऊपर क्रिटीक करनी है,वह हम उनके साथ बैठकर तय कर सकते हैं और जो भी वह हमें सजेशन्स दें हम उनको लेने के लिए तैयार हैं .धन्यवाद.

सागर नगर में सिटी बस का संचालन

7. (*क्र. 2036) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर संभागीय मुख्यालय होने के नाते शासकीय, व्यापारिक, निजी कार्यों के लिये हजारों लोगों का आवागमन प्रतिदिन होता है? यदि हां, तो सुलभ, सस्ती, सुरक्षित यात्रा के दृष्टिगत क्या शासन सागर शहर में सिटी बसे चलाने पर विचार करेगा? (ख) यदि हां तो कब तक?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हां. शासन द्वारा सागर शहर में सिटी बस चलाया जाना प्रस्तावित है. (ख) सिटी बस चलाये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री शैलेन्द्र जैन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो हमारे बड़े शहर हैं इन्दौर, भोपाल, जबलपुर उसी की तर्ज पर हमने 16 शहरों का चयन किया था और भारत शासन के द्वारा क्या लगभग 600 सिटी बसें चलाने की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है और सागर नगर के लिए सिटी बस चलाने के लिए 40 बसें संचालित करने की इस तरह की कोई स्वीकृति प्राप्त हुई है और अगर हुई है तो वे सारी बसें सागर नगर में और अन्य शहरों में धरातल पर कब तक आ जाएँगी? उनके संचालन की प्रक्रिया क्या होगी, उनका रूट क्या होगा?

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मध्यप्रदेश में मॉस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों ने काफी अच्छे प्रयास किए हैं. इन्दौर, भोपाल, उज्जैन में बड़ी

सफलतापूर्वक हमारे मॉस ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है और नागरिकों को काफी सुविधाएँ मिल रही हैं और बहुत जरूरी है कि शहरों के अन्दर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और विशेषकर वाहनों की संख्या जो बढ़ जाती है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग अपने वाहन का कम उपयोग करके और एक साथ सामूहिक रूप से बसों में यात्रा करें, इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं और सागर भी उस सूची के अन्दर है, मैं माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूँ पर मुझे उनसे एक बात जरूर करना है कि इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर, पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो, तो सागर कार्पोरेशन, ऐसी कार्पोरेशन है जिसका रेवेन्यू बहुत कम है और उनकी प्रशासनिक क्षमता भी कम है. हम तो बस दे देंगे क्या नगर निगम इस स्थिति में है कि उसका संचालन कर लेगी? ऐसा तो नहीं कि उनको हाथी के समान लगेगा, तो कार्पोरेशन अपना प्लानिंग कर ले, हम उनको पूरी की पूरी बसें जब चाहेंगे, तब उपलब्ध करा देंगे. कार्पोरेशन की ओर से प्लान आ जाए और हम चाहते हैं कि सागर में भी बस का संचालन हो.

श्री शैलेन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक शुरू हो सकता है और मैं नगर निगम की ओर से मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह की आवश्यकताएँ और सुविधाएँ वहाँ नगर निगम से अपेक्षित हैं उनको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे. आप कोई निश्चित समय सीमा बता देंगे तो निश्चित रूप से जो एक बड़ा वर्ग है, जिसको इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है पूरी हो जाएगी.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष महोदय, ये प्लान भेज दें, जैसे ही प्लान भेजेंगे हम तीन महीने के अन्दर बसों की व्यवस्था कर देंगे.

श्री शैलेन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद.

इंजी.प्रदीप लारिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का मामला है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मकरोनिया, रजाखेड़ी और सदर, वह नगर निगम सीमा के बाहर है लेकिन वह शहर का पार्ट है. क्या ये बस वहाँ भी संचालित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय-- पहले शहर में तो आए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष महोदय, शहर के अलावा भी कार्पोरेशन जहाँ चाहेगा, शहर सीमा के बाहर भी, ये बस का संचालन हो सकता है.

इंजी.प्रदीप लारिया-- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

कान्हीवाड़ा से कलारबांकी-बंडोल मार्ग तक निर्माण कार्य

8. (*क्र. 1154) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कान्हीवाड़ा से कलारबांकी-बंडोल तक मार्ग का निर्माण कार्य विगत दो साल से किया जा रहा है? यदि हां, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार कब तक उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है? (ख) उक्त मार्ग के निर्माण हेतु विभाग द्वारा किस एजेन्सी को निविदा स्वीकृत की गई एवं किस दिनांक को अनुबंध किया गया तथा निविदा की शर्तों के अनुसार एजेन्सी को कब तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था? कृपया समय अवधि बतावें? (ग) क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? कृपया निश्चित समयावधि बतावें? क्या शासन उक्त मार्ग के निर्माण में विलंब किये जाने के लिये संबंधित दोषी अधिकारियों/एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं. उक्त मार्ग निर्माण हेतु अनुबंध दिनांक 25-4-2013 को किया गया था अनुबंधानुसार उक्त मार्ग को 25-10-2013 तक पूर्ण किया जाना था. (ख) विवरण †संलग्न प्रपत्र अनुसार है. (ग) जी नहीं ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किये जाने से कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा सका. (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. मार्ग के निर्माण में विलंब किये जाने के कारण संबंधित एजेन्सी के विरुद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कर ठेका निरस्त किया गया है.

श्री रजनीश सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कान्हीवाड़ा से कलारबांकी की 13 किलोमीटर रोड, 2013 में स्वीकृत हुई और 6 महीने का ठेकेदार से शासन का अनुबंध हुआ. माननीय मंत्री महोदय, आज दिनाँक तक दो साल हो गए और उस रोड का काम नहीं हुआ है. कान्हीवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए हायर सेकंडरी स्कूल है, कन्या हाई स्कूल है. आज यह हालत है कि वहाँ पर छात्र छात्राओं को पढ़ने जाने के लिए भी सुविधा नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि

इसको जल्द से जल्द बनवाएँ. उनका जो उत्तर आया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ. कृपया इस बारे में बताएँ.

श्री सरताज सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का यह कथन सही नहीं है कि यह काम दो साल से चल रहा है. इसके मार्ग के उन्नयन के लिए 25.4.2013 को अनुबंध किया गया था. इसके लिए समय सीमा 6 माह दी गई थी, जो 25.10.13 को समाप्त हो गई. जो शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी जबलपुर की है उसने काम काफी कम किया. 99.58 लाख की कुल इसकी लागत थी जिसमें से 17.34 लाख का भुगतान किया गया उसके बाद धारा 3 (सी) के अन्तर्गत ठेकेदार के कार्य को निरस्त कर दिया गया और रिस्क एंड कॉस्ट पर उसकी दुबारा निविदा आमंत्रित की गई है और दुबारा निविदा आने के बाद ही उसका काम शुरू होगा.

श्री रजनीश सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय मंत्री महोदय को इसकी गलत जानकारी है. वहां पर गिट्टी-गिट्टा कुछ भी नहीं डाला गया है. जब भी हम जिला योजना समिति की बैठक में यह प्रश्न उठाते हैं वहां हमें बताया जाता है कि कार्य प्रगति पर है जबकि न वहां गति है न प्रगति है अगर होती तो मैं प्रश्न क्यों उठाता ?

अध्यक्ष महोदय—मंत्रीजी यह नहीं कह रहे हैं कि कार्य प्रगति पर है, वह कह रहे हैं कि कार्य बंद है टेंडर बुलाये हैं उसके आगे आपको कुछ पूछना हो तो जरुर पूछिये.

श्री रजनीश सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना समय हो गया है, जल्दी से टेंडर बुलाकर टेंडर कर दें मेरा ध्येय यह है कि रोड बन जाये.

श्री सरताज सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर बुलाया गया था. ठेकेदार काम नहीं कर सका तो उसको दंडित किया गया है रिस्क एंड कास्ट पर दूसरा टेंडर लगाया गया है. इस कारण विलंब हुआ है.

श्री रजनीश सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दो विधान सभा क्षेत्र के लोगों का इस मार्ग से आना जाना होता है.

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा यह मेरी विधान सभा का मामला है इसका ज्यादा हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र का है. मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि वहां पर जो काम किया गया है वह अर्थ वर्क रोड के बाजू में काम किया गया है आज भी पूरी रोड उखड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि 17 लाख के आसपास का पेमेंट किया गया है इसमें भी मैं मानता हूँ कि कहीं-न-कहीं शासन को गुमराह किया गया है. इस पर तत्काल कार्यवाही की जाये. तत्काल में जो गड्डे हो गये हैं उन्हें रिपेयर करवा दें ताकि बरसात तो निकल जाये.

अध्यक्ष महोदय—उसकी जांच चल रही है. ठीक है आपकी बात आ गई है.

श्री रजनीश सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडों की बहुत डिटेल है चूंकि यह प्रश्नकाल है बाकी माननीय सदस्यों को भी प्रश्न करना है इसके बाद जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो आपका संरक्षण चाहूंगा और डिटेल में माननीय मंत्रीजी को अपने जिले व विधान सभा क्षेत्र की रोडों का खाका रखूंगा. धन्यवाद.

देवास विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू देवास योजना

9. (*क्र. 2478) श्री तुकोजी राव पवार : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास शहर में देवास विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू देवास योजना बनाई गई थी यह योजना कब बनाई गई थी और क्या टाऊन एण्ड कन्ट्री विभाग द्वारा तात्कालिक मास्टर प्लान में मंजूरी दी गई थी? (ख) क्या टाऊन एवं कन्ट्री विभाग द्वारा उस समय और आज के समय में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या संशोधन किया गया? (ग) क्या यह मूल योजना 168.653 हेक्टेयर की थी एवं आज केवल 44.425 हेक्टेयर भूमि प्राप्त कर विकसित की गयी है? क्या शेष जमीन पर देवास विकास प्राधिकरण आगे इस योजना को विकसित करेगा? (घ) यदि नही, तो शेष जमीन का क्या होगा?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हां. योजना को दिनांक 22-4-1994 को म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित कर अंतिम रूप दिया गया. योजना क्षेत्र के कुछ भाग में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा देवास विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत अभिन्यास पर विकास हेतु सहमति दी गई थी. (ख) प्राधिकरण द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय को अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत योजना क्षेत्र 168.653 हे. भूमि का समग्र रूप से एकीकृत अभिन्यास प्रस्तुत नहीं किया गया. प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्राप्त होने वाली भूमि का अभिन्यास समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता रहा है. अत: मूल अभिन्यास में संशोधन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) एवं (घ) यह सही है मूल योजना 168.653 हे. की थी. जिसमें से आज केवल 44.425 हे. भूमि प्राप्त कर विकसित की गई है. शेष भूमियों के संबंध में जांच कराई जा रही है. जांचोपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी.

श्री तुकोजीराव पवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने बहुत स्पष्ट रुप से कहा है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ. मेरा प्रश्न दो भागों में हो गया है. इसमें धारा 28 का उल्लेख किया गया है जिसमें 168.653 हेक्टेयर भूमि अब केवल 44.425 हेक्टेयर शेष रह गई है. शेष भूमि कहां गयी यह एक अलग जांच का विषय हो गया है. जो भूमि रह गई है उसके बारे में मैंने शिकायत की थी उस पर आप जांच कर रहे हैं उस जांच को वर्तमान में वहां पर जो सीईओ हैं वह पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि सीईओ गुप्ता को हटाकर आप इस जांच को पूरा करेंगे क्या ?

श्री कैलाश विजयवर्गीय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय विधायक महोदय ने इसकी लिखित में शिकायत हमें भेजी, हमने डायरेक्टर को वहां पर जांच के लिये भेजा था. डायरेक्टर का पहला प्रतिवेदन आया है उसमें प्रथम

दृष्टया कुछ अनियमितता महसूस हो रही है. यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको हटाकर जांच की जाये तो हम आज ही उनको हटा देंगे और जांच पूर्ण करने के बाद आपको अवगत करा देंगे.

श्री तुकोजीराव पवार—धन्यवाद.

प्रश्न संख्या—10 (अनुपस्थित)

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न संख्या 10 श्री जयवर्द्धन सिंह.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

श्री रजनीश सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति आ गई है कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है. यह नौबत प्रदेश की आई गई.

श्री गोपाल भार्गव—यदि इतनी चिंता होती तो प्रश्नकाल में आते.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्नकाल है कृपया बैठ जाये दूसरों को प्रश्न करने दें.

उप संभागीय हाउसिंग बोर्ड बन्द कर शासन को क्षति पहुंचाने बावत्

11. (*क्र. 1125) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में किस आदेशानुसार उप संभागीय म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कार्यालय की स्थापना की गई है? किस-किस को किन-किन पद पर पदस्थ किया गया? तथा किस-किस कर्मचारी को क्या अधिकार और दायित्व प्रदान किए. गए हैं? (ख) क्या भिण्ड जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भू-खण्ड 2501 व 2511 सर्वे नं. में कार्यालय भवन बन्द कर विक्रय कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या कारण हैं? वर्ष 2011 से प्रश्नांश दिनांक तक किसके भवन में कार्यालय कहां पर संचालित किया जा रहा है? जिस पर शासन का कितना व्यय हो रहा है? (ग) भिण्ड जिले में म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा विगत पांच वर्षों में कौन-कौनसे आवासीय भू-खण्ड निर्मित कर, किस-किसको स्वामित्व और आधिपत्य प्रदान किए गए हैं? उससे शासन को कितना लाभ और हानि हुई? (घ) भिण्ड जिले में म. प्र. हाउसिंग बोर्ड, भिण्ड द्वारा भू-खण्ड क्रय के लिये लोगों से राशि यूको बैंक, भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की गई है. भू-खण्ड न देने के बावजूद प्रश्न दिनांक तक लोगों को राशि वापसी की कार्यवाही नहीं की गई? तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) म.प्र. गृह निर्माण मंडल के मुख्यालय के आदेश क्रमांक जी 530, दिनांक 17-6-1982 से भिण्ड में उप संभागीय कार्यालय खोला गया. जानकारी †संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नाधीन कार्यालय भवन सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से विक्रय किया गया क्योंकि क्षेत्र में मण्डल की गतिविधियों हेतु पर्याप्त मांग न होने एवं निक्षेप कार्यों के पूर्ण होने के दृष्टिगत किराये के छोटे भवन में कार्यालय स्थानांतरित किया गया. उक्त कार्यालय वर्ष 2011 से श्रीमती शारदा देवी भारद्वाज, शिवाजी नगर, भिण्ड के भवन में रु. 1500/- प्रतिमाह की दर से किराये पर संचालित किया जा रहा है. (ग) जानकारी निरंक है. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) जी हां. अभी तक राशि रुपये 6 हजार वापस किये गये हैं. शेष राशि वापसी की कार्यवाही प्रचलित है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 11 में हमने हाउसिंग बोर्ड के बारे में पूछा था. सर्वे क्रमांक 2501 व 2511 वर्ष 1964-65 में श्री छोटेलाल कृषक के नाम दर्ज है.

नगर पालिका ने पशु मेला के लिये अपर कलेक्टर भिंड के द्वारा प्रकरण क्रमांक 239/1962 आदेश दिनांक 25.03.1963 द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी. उपायुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल वृत्त, ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 4383 दिनांक 13.05.2003 सर्वे क्रमांक 2501 व 2511 वर्गफुट 11000 भूमि उप संभागीय कार्यालय भवन स्थापित करने हेतु मांग की गई है. 1000 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से ....

अध्यक्ष महोदय—आप फेक्टस मत बताइये, आप प्रश्न करिये.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस नियम के तहत जो जमीन किसानों की थी, वह जमीन मेला के लिये ली गयी थी, वह जमीन हाऊसिंग बोर्ड को दी गयी और हाऊसिंग बोर्ड ने किस नियम के तहत यह जमीन बेची।

अध्यक्ष महोदय:- आप यह नहीं बताईये कि किस नियम के तहत बेच दी गयी आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हाऊसिंग बोर्ड ने जो जवाब दिया है, इसमें एक आईएएस अधिकारी हाऊसिंग बोर्ड में अभी बैठा हुआ है, वह उसके आयुक्त हैं इसलिये इसका जवाब सही नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय:- आप सीधे प्रश्न कर लें।

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह:- मेरा प्रश्न यह है कि यह जमीन 50 करोड़ की थी, इसको हाऊसिंग बोर्ड ने 52 लाख रूपये में किस नियम के तहत बेच दी। इसमें प्रमुख सचिव की टिप्पणी है। उस समय प्रमुख सचिव एस पी सिंह परिहार थे उन्होंने लिखा था नगर पालिका भिण्ड म.प्र. शासन नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 9 के अतंर्गत शासन की अनुमति प्राप्त किये बगैर ही म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को 11000 वर्ग फीट भूमि का विक्रय किया गया।

अध्यक्ष महोदय:- आप उनको टिप्पणी मत बताईये, आप सीधे-सीधे प्रश्न करिये । आप बैठ जाईये यह बात ठीक नहीं है। आप यही पूछ लीजिये।

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्या था मुझे समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न वह नहीं बता रहे हैं आप अपने मन से बता दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि वहां जो वहां पर गलत तरह से कार्यालय बना। ...मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच एक आई ए एस अधिकारी से जांच करवायेंगे।

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- अध्यक्ष महोदय, जांच करा देंगे, माननीय सदस्य जो प्रमाण देगें उसके आधार पर जांच करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय:- आपके प्रमाणों को माननीय मंत्री जी मानेंगे।

श्री रामनिवास रावत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाण देंगे तब जांच करवायेंगे।आप जांच के आदेश दे दें।

अध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी ने बोल दिया है कि जांच करवा देंगे। जो विधायक की एडीशनल एवीडेंस देंगे उसको भी जांच में शामिल करेंगे।

प्रश्न संख्या -12 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या -13

भिण्ड जिले की नगर पंचायत, मिहोना में आयोजित मेला में अवैध वसूली

13. (*क्र. 1463) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर परिषद् मिहोना, जिला भिण्ड ने वर्ष 2011-12 में मेला लगाया था? यदि हां, तो नगर परिषद् क्षेत्र बालाजी में वार्षिक मेला पूर्व से लगने के बाद भी नवीन मेला लगाने का कारण बतायें? (ख) उपरोक्त वर्ष में आयोजित मेले का बजट कितना और कब स्वीकृत किया गया, तथा मेले से होने वाली आय एवं खर्च की गई राशि का मदवार अलग-अलग विवरण दें? (ग) मेले के आोयजन एवं व्यवस्था हेतु किन-किन ठेकेदारों एवं एजेंसियों को कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कार्य सम्पन्न हेतु कब-कब, किस-किस समाचार-पत्र में निविदायें आमंत्रित की गईं? (घ) क्या मेले में जन सुविधाओं की उपेक्षाकर धार्मिक कार्यों हेतु लाखों रुपये व्यय करना नियमानुकूल है? यदि हां, तो मेला की अनुमति ली गई थी? (ङ) उपरोक्त मेले के नाम पर मनमाने तरीके से राशि का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध जांच कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ङ) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

डॉ गोविन्द सिंह :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं नगर में एक ट्रस्ट द्वारा मेला लगता है, वह मेला बिना लगाये, उसके फोटो निकलवाकर और उसमें खर्चा डालकर सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष ने मिलकर करीब 7-8 लाख रूपये की हेराफेरी की है। उसमें न तो मेला लगाने की अनुमति ली और न ही उसमें टेण्डर

निकाले गये और उसमें कोई काम नहीं किये।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समापन में वहां जनता ने आंदोलन किया और उसमें मुझे भी बुलाया, जब मैं वहां पहुंचा और देखा तो मामला बिल्कुल उलटा था, उसमें जो बिल लगाये गये थे वह फर्जी थे। उसमें टेण्डर नहीं डाला तो मैंने पूरे विस्तार से पूछा।

मेरा प्रश्न यह है कि जिन बिन्दुओं का मैंने उल्लेख किया है उन बिन्दुओं की जांच आप भोपाल के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर करवायेंगे, जिससे जनता के सामने सच्चाई आ जाये।

अध्यक्ष महोदय:- इसमें खर्चा ही डेढ़ या चार लाख का है, उसके समापन में विधायक जी भी गये थे।

श्री गौरीशंकर शेजवार :- जब विधायक जी उसके समापन में गये थे उस पर कितना खर्चा हुआ।

डॉ गोविन्द सिंह :- समापन में ही तो झगड़ा हुआ तो लोगों ने बताया कि आप समापन पर क्यों आ गये।

अध्यक्ष महोदय – डाक्टर साहब आपको कोई पूरक प्रश्न पूछना है.

डॉ.गोविन्द सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप परीक्षण कराएंगे कि सच्चाई क्या है. खर्च तो ज्यादा हुआ था लेकिन जब शिकायत हुई तो गोलमाल करके पैसा जमा कर दिया हो. क्या आप सच्चाई जानने के लिये किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर परीक्षण कराएंगे और कोई दोषी है तो कार्यवाही करें दोषी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव – उससे ज्यादा तो जांच में खर्च हो जाएंगे. काहे के लिये फालतू खर्च करवा रहे हो.

डॉ.गोविन्द सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, 5-6 लाख रुपये ऐसे ही खा जाने दें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल साढ़े चार लाख रुपये खर्च हुए हैं.मेरी समझ में नहीं आता कि डाक्टर साहब जैसा बड़ा आदमी साढ़े चार लाख रुपये का प्रश्न पूछ रहा है. इसमें अगर भ्रष्टाचार भी हुआ होगा तो कितना हुआ होगा. मुझे समझ में नहीं आता.

प्रश्न संख्या... 14 (अनुपस्थित)

चोरी के प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही

15. (*क्र. 2220) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि वन मंडल कार्यालय, उज्जैन में वन विभाग खण्ड, खाचरौद, वन अपराध प्रकरण में जप्त ट्रेक्टर की चोरी हुई थी? यदि हां, तो इससे शासन को कितने रुपये की हानि हुई? (ख) क्या यह सच है कि उक्त हानि की राशि को वंसूल करने के संबंध में मुख्य संरक्षक द्वारा वर्ष 2012-13 में इसके लिए उत्तरदायी लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश वन मंडल अधिकारी को दिये थे? उक्त निर्देशों पर अभी तक अनुशासनात्मक प्रस्ताव क्यों तैयार नहीं हुआ इसका कारण स्पष्ट करें? (ग) शासन ऐसे लेखापाल के विरुद्ध कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा तय समय-सीमा बतलायें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां. शासन को रुपये 78,000/- की हानि हुई. (ख) जी नहीं. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) उत्तरांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री दिलीप सिंह शेखावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसके क का उत्तर सही है लेकिन ख में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि कोई भी जप्त ट्रेक्टर की हानि हुई थी उसकी रिकवरी के लिये कोई आदेश नहीं किया गया था. मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह जानकारी सत्य नहीं है. इसमें उस वक्त 2012-13 में वी.के.सिंह जो मुख्य वन संरक्षक थे उन्होंने आदेश किया था लेकिन इसमें जो वहां के स्थापना प्रभारी थे घनश्याम जी शर्मा, उन्होंने उस आदेश को डेढ़ साल तक दबाकर रखा और श्री चौहान जो वनपाल थे जिन्होंने यह ट्रेक्टर चोरी करवाया था उनकी मृत्यु हो गई उसको बाद में ऊपर प्रस्ताव भिजवाकर राइटआफ करवाकर शासन की क्षति की है. क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जो

लेखापाल थे घनश्याम जी शर्मा ने उन्होंने जो डेढ़ साल तक आदेश को दबाकर रखा उस पर कार्यवाही करेंगे ?

डॉ.गौरीशंकर शेजवार- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मैं थोड़ा चिंता में था कि प्रक्रिया में लेखापाल कहीं आता नहीं है और लिपिकीय वर्ग भी नहीं आता लेकिन आपने जैसा बताया कि लेखापाल ने कागज को दबाकर रखा और यह सिद्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे. हम संबंधित डी.एफ.ओ. को निर्देशित करेंगे कि वह इन सब कागजों की, प्रक्रिया की, दिनांकवार जांच करें और हमारे सामने रिपोर्ट रखें.

श्री दिलीप सिंह शेखावत– माननीय मंत्री जी, यह जांच कब तक करवा देंगे ?

डॉ.गौरीशंकर शेजवार- जितना जांच में समय लगेगा उससे ज्यादा नहीं लेंगे.

फोरलेन स्थित बरगढ़ फण्टे से बायपास मार्ग निकाले जाने हेतु

16. (*क्र. 2095) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लेबड़-नयागांव फोरलेन पर जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बरगढ़ फण्टे से बायपास मार्ग निकाले जाने की योजान/प्रस्ताव विचाराधीन है? (ख) यदि हां, तो क्या बायपास मार्ग बरगढ़ फण्टे से ग्राम बरगढ़ की ओर अथवा क्या ग्राम लहारी की ओर से जावरा-उज्जैन मार्ग की ओर निकाला जाना प्रस्तावित है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हां. (ख) यह बायपास मार्ग बरगढ़ फण्टे से ग्राम बरगढ़ की ओर बोरडा-भीमाखेड़ी अरनियापीठा की ओर से निकाला जाना प्रस्तावित है.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय - - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के क में यह उत्तर दिया गया हैकि जी हां जिस बरगढ़ फण्टे पर बायपास के बारे में मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया है. बरगढ़ ले लहारी, लहारी के बाद रतलामी नाका, शासकीय महाविद्यालय,चौपाटी,बसस्टैंड, भीमाखेड़ी के रेलवे फाटक का रेलवे क्रासिंग, अरनियपीठा की बड़ी मण्डी. यह मात्र 7-8 कि.मी. का क्षेत्र है. यहां बायपास की अत्यंत आवश्यक्ता है. अभी भी यह कहा गया कि यह प्रस्तावित है. बरगढ़ से लेकर बरगढ़ से बोरडा-भीमाखेड़ी की ओर से और जैसा कि मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय यशपालसिंह सिसोदिया जी ने रखा था उसके माध्यम से लहारी के मार्ग का भी प्रस्ताव दिया था. जिसका परीक्षण करने का माननीय मंत्री जी, ने आश्वस्त किया था. मेरा निवेदन है कि यह

प्रस्तावित है., कार्य योजना में सम्मिलित है. इस हेतु कितना बजट प्रावधानित किया गया है और इसे कब प्रारंभ किया जाएगा ?

श्री सरताज सिंह - - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बायपास ग्राम- बरगढ़ फण्टे से ग्राम बरगढ़ की ओर बोरड़ा-भीमाखेड़ी-अरनियापीठा की ओर निकाला जाना विचाराधीन है. इसमें दो समस्याएं आएंगी. एक तो इस बायपास पर भी टोल टेक्स लगेगा.

इसमें वहां के नागरिकों को आपत्ति हो सकती है और दूसरी समस्या है जो मुख्य सड़क बनी हुई है उसका जो कंसेशनर है उसको भी आपत्ति हो सकती है चूंकि प्रकरण विचाराधीन है तो मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह इसकी चर्चा कर लें तथा उसके पहलुओं पर भी विचार करके जैसा बताएंगे उस हिसाब से निर्णय किया जायेगा.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं पहला इसमें जो टोल वसूला जायेगा ऐसी बात निश्चित रूप से कदापि संभव नहीं हो पायेगी. दूसरा सर्वे तत्काल पूर्ण कर उसे बजट में सम्मिलित करते हुए इसे तत्काल बनाया जाना आवश्यक है चूंकि इस 7 से 8 किलोमीटर मार्ग पर ही सैकड़ो जाने इस तीन चार वर्षों में जा चुकी हैं. प्रति वर्ष लगभग 100 से अधिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटनाएं तो लगभग 400-500 हो जाती हैं मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र इसे बजट में सम्मिलित करते हुए कार्य को प्रारंभ किया जाय और वह कब किया जायेगा ?

श्री सरताज सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो बायपास का रास्ता है उसमें माननीय विधायक के विचार कुछ और हैं और विभाग ने जो प्रस्तावित किया है वह रास्ता कुछ और है इसलिये मैंने अनुरोध किया है कि इस बारे में चर्चा कर लें और उसमें टोल लगेगा अथवा नहीं लगेगा, इस पर भी चर्चा कर लें और चर्चा के बाद ही निर्णय किया जायेगा, चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिये सही निर्णय हो, यह आवश्यक है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मुझसे व अधिकारियों से चर्चा कर लें.

अध्यक्ष महोदय—आप मंत्री जी व अधिकारियों से चर्चा कर लें तो इसके बाद उसका निराकरण कर देंगे.

प्रश्न क्रमांक 17

बांस तथा लकड़ी के बोनस की राशि मजदूरों तक न पहुंचने विषयक

17. (*क्र. 1546) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बांस तथा काष्ठ की कटाई पर बोनस कबसे तथा कितना-कितना दिया जा रहा है? विस्तृत जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है कि, बांस की राशि जो कि मजदूरों का व्यक्तिगत पैसा है, इसे मजदूरों को न देते हुए वन समितियों के खाते में डाल दिया जाता है? (ग) बोनस की समस्त राशि मजदूरों तक पहुंचाने के लिए शासन क्या कदम उठायेगी तथा मजदूरों का व्यक्तिगत पैसा जो कि वन समितियों के माध्यम से खर्च कर दिया गया है? उसे मजदूरों तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) काष्ट लाभांश की राशि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के खाते में जमा की जाती है. वर्ष 2012-13 से बांस लाभांश की शत-प्रतिशत राशि कटाई में संलग्न श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में प्रदाय किया जाता है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न काष्ठ जिसे इमरती लकड़ी कहते हैं तथा बांस के लाभांश में से मजदूरों को मिलने वाले बोनस से संबंधित था, लेकिन माननीय मंत्री जी की ओर से मुझे इसका सीधा-सीधा उत्तर नहीं मिला है, जो उत्तर दिया है उसके अनुसार काष्ठ पर 10 प्रतिशत तथा बांस पर 20 प्रतिशत बोनस दिया जाता है वर्ष 2012-13 को छोड़कर, मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूं कि लाभांश पर बोनस देने के निर्णय शासन ने कब लिया है?

डॉ.गौरी शंकर शेजवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, काष्ठ पर 10 प्रतिशत बोनस दिया जाता है और यह बोनस समितियों को दिया जाता है और समितियों के खाते से वहां स्थानीय जनहित के कामों को लगाती हैं और बांस पर 20 प्रतिशत दिया जाता था, लेकिन 2012-13 में इसको बढ़ाकर के 100 प्रतिशत कर दिया और इसमें एक परिवर्तन यह किया कि बांस का जो बोनस है 100 प्रतिशत शुद्ध लाभांश है उसको अब श्रमिकों को सीधा-सीधा बांटा जायेगा और उनके खाते में पैसा जायेगा, लेकिन वह 2012-13 में लिया गया है और आज की स्थिति में बांस का बोनस श्रमिकों के जो कटाई में लगे रहते हैं उनके खाते में जायेगा और कास्ठ का जो है, वह यथावत् रहेगा.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने 100 प्रतिशत बोनस बांस का दिया है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या वन समितियों के

माध्यम से ही काष्ठ तथा बांस की कटाई करायी जाती है, यदि बांस की वन समितियों के माध्यम से कटाई नहीं करायी जाती है तो वन समितियों में बोनस देने का क्या औचित्य है ?

डॉ.गौरीशंकर शेजावार—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आधे प्रश्न पर तो कार्यवाही की गई है आप यह चाहती थीं कि श्रमिकों को सीधा-सीधा पैसा मिले तो उसमें अच्छी बात यह है कि 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत बोनस किया गया है 100 प्रतिशत करके बांस की कटाई में जो श्रमिक लगे हैं उसमें शुद्ध लाभांश का 100 प्रतिशत उनके खाते में दिया जाय, लेकिन काष्ठ में जो बोनस दिया जाता है उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, केवल श्रमिकों के अलावा और लोग भी इसमें शामिल रहते हैं उसकी ढुलाई होती है, परिवहन होता है.

डॉ. गौरी शंकर शैजवार-- और श्रमिकों को हम कई बार चिन्हित भी नहीं कर पाते, इसलिये हम एकदम उन श्रमिकों के खाते में देने के बजाये श्रमिकों के हित में ही उसको खर्च करते हैं और अंतत: लाभ उनको ही मिलता है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि बांस का आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कास्ट का बोनस मजदूरों को क्यों नहीं दिया जाता ? यदि 100 परसेंट आप बांस पर बोनस दे सकते हैं, तो कास्ट में भी आपको देना चाहिये और दूसरा यह था कि आपने बोनस दिया, 2001 से लेकर 2002 तक जो मजदूरों को व्यक्तिगत राशि वन समितियों को दी गई, क्या माननीय मंत्री जी, मजदूरों को मूलत: ब्याज समेत उनको देंगे आप ?

डॉ. गौरी शंकर शैजवार--प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री रामनिवास रावत--प्रश्न उपस्थित क्यों नहीं होता ? (व्यवधान).

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और.

अध्यक्ष महोदय--नहीं बस. आपके 3 प्रश्न हो गये, 2 प्रश्न हो गये थे फिर भी वह अच्छे से पूछ रही थीं, इसलिये तीसरे प्रश्न का एलाऊ किया.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल चिन्ता यह है कि बोनस राशि मजदूरों तक पहुंचे. (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आप लोग कृपा करके बैठें. बात हो गई है और माननीय मंत्री जी ने क्लीयर कारण बता दिया है उद्‌भूत नहीं होता.

श्री रामनिवास रावत--माननीय सदस्य महोदया ने मजदूरों की राशि का पूछा है.

अध्यक्ष महोदय--उद्‌भूत नहीं होता 10-12 साल पुराना.

श्री रामनिवास रावत--उद्‌भूत क्यों नहीं होता, अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को राशि दिलाने का निर्देश करवा दें क्योंकि मजदूरों की राशि बकाया है.

अध्यक्ष महोदय--उद्‌भूत नहीं होता, बैठें.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--अध्यक्ष महोदय, एक बात तो है बहन जी नई सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और अच्छा हुआ यह दिल्ली नहीं गईं, नहीं तो यह विधान सभा एक अच्छा वक्ता खो देता.

प्रश्न संख्या (18)--...

केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित योजना के बारे में

18. (*क्र. 1780) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अशोकनगर जिले में संचालित केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी देते हुए वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना के तहत कितने हितग्राहियों को लाभ दिया एवं किस योजना के तहत कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी सब्सिडी दी? (ख) प्रश्नांश ''क'' से संबंधित वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक तक जिले में स्वरोजगार योजना अंतर्गत कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया कितने लोगों द्वारा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित किया है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) 1039 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 678 बेरोजगारों द्वारा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित किया गया है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन सारी योजनाओं में गारंटर अनिवार्य है तो क्या इस बात का विचार करेंगे क्योंकि गारेंटर सारी योजनाओं का लाभ ले लेता है और बेनीफिशरी को नहीं मिलता है, तो क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि बी.पी.एल. एस.सी.एस.टी. को ठीक से गारंटी सरकार दे इसके अलावा कलेक्टर्स का बैंक से कोआर्डिनेशन अच्छा नहीं है, प्रोसीजर थोड़ी कांप्लीकेटेड है, उसका सरलीकरण करें और जिलाधीश रेगुलर मीटिंग बुलाया करें, नहीं बुलाने से विलंब होता है और किस-किस डेट पर कितने आवेदन पेंडिंग रहते हैं और इसकी मानीटरिंग हो, सेल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम से जिसमें आपने मेरे क्षेत्र में **678** लोगों को रोजगार दिया है, उसमें कई यूनिट्स बंद हो गई हैं, तो क्या आप इस बात की भी मानीटरिंग करेंगे और आपके अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वह यूनिट्स चालू रहें, इसके लिये बेनीफिशरीज उनसे कांटेक्ट करें.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न के उत्तर में मैं माननीय पूर्व मंत्री और माननीय विधायक जी से यह कहना चाहती हूं कि जो अपनी स्वरोजगार योजनायें हैं, उसके ऊपर अभी भी गुंजाइश है इनको ठीक करने के लिये इनकी सरलीकरण करने के लिये. मैं और मेरे विभाग के सब आफिसर्स, हम लोग इसी बात पर चिन्ता करते हैं कि हम कैसे और कितनी जल्दी अपने युवा बेरोजगारों को लाभ पहुंचा सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, तो माननीय विधायक जी ने एक अच्छा सुझाव दिया कि कलेक्टर के माध्यम से हमें एक मानीटरिंग सेल खोलना चाहिये या हम इस पर हर महीने कुछ मानीटरिंग करें, साथ ही साथ मैं मैं अपने विभाग के सब आफिसर्स के साथ इस विधान सभा सत्र के बाद हम लोग जिलेवाइज दौरे करने वाले हैं कि अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस भावना से यह स्वरोजगार योजनायें शुरू हुई हैं, वह क्या सच्ची में और सही तरीके से लाभ पहुंचा रही हैं कि नहीं और क्या बैंक सही टाइम पर हितग्राहियों को पैसा और सबसीडी दे रहा है कि नहीं ? क्योंकि हम लोगों ने वह जो क्लेम सबसीडी है, वह हमने

पहले से ही जमा कर ली है हर बैंक में, तो इसीलिये बैंक और हितग्राही उसमें जो विलंब से पैसा पहुंचता है, वह पैसा विलंब से नहीं पहुंचना चाहिये, जल्दी से जल्दी हितग्राहियों को पैसा मिलना चाहिये, इसके लिये भी हम लगातार कोशिश में मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मेरे प्रश्न पूछने का उद्देश्य पूरा हो गया.

प्रश्न संख्या (19)--......

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, पुनर्वास एवं रोजगार

19. (*क्र. 2610) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं/हो रही हैं? नाम एवं स्थापित स्थान सहित जानकारी उपलब्ध करायें? स्थापित औद्योगिक इकाइयों से कितने लोग विस्थापित हुये हैं? औद्योगिक इकाइवार जानकारी देवें? विस्थापित परिवारों के लिये पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गयी? (ख) प्रश्नांक "क" के संदर्भ में विस्थापित परिवार के लोगों के लिये स्थापित औद्योगिक इकाइयों में नौकरी देने हेतु क्या प्रावधान है? प्रावधान अनुसार विगत पांच वर्षों (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? इकाइवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक "क" के संदर्भ में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये वेतन/ मानदेय/ जी.पी.एफ. आदि का क्या प्रावधान है? (घ) प्रश्नांक "क" के संबंध में विगत 3 वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कितनी दुर्घटनायें हुईं? मृतकों एवं घायलों को क्या सहायता राशि प्रदान की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) सिंगरौली जिले में तीन औद्योगिक इकाइयां स्थापित/प्रस्तावित हैं, सीधी जिले में एक उद्योग उत्पादनरत है, जानकारी परिशिष्ट "अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार है. (ख) जी हां. निष्पादित कराये गये करारनामा के अनुसार जिन कृषकों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है (की जावेगी). उसके परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी को आदर्श पुनर्वास नीति में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कंपनी द्वारा नौकरी दी जावेगी. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गई है. (ग) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में प्रावधान विद्यमान है. इसके अंतर्गत श्रमिकों को तीन श्रेणियों में 1. कुशल श्रमिक, 2. अर्द्धकुशल श्रमिक, 3. अकुशल श्रमिक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं तद्नुसार न्यूनतम वेतन की दरें शासन द्वारा निर्धारित हैं. प्रोविडेन्ट फण्ड से संबंधित विषय केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित है. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है.

अध्यक्ष महोदय -- आप उत्तर से संतुष्ट हों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं.

श्री कुंवर सिंह टेकाम -- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूं. हमारे यहां जो इकाइयां स्थापित हैं, उनमें जो विस्थापित लोग हैं, जितनी मध्यप्रदेश शासन ने घोषणा की है कि 50 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय बेरोजगारों को, विस्थापितों को देंगे, लेकिन वहां पर यह नहीं दी जा रही हैं. क्या मंत्री जी इसका परीक्षण करवा लेंगी और जो विस्थापित परिवार हैं, उनको 50 प्रतिशत सरकार का जो कटऑफ है, उसको दिलवायेंगी.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न पूछा है, यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है. इसीलिये प्रश्न ही नहीं बनता है, परन्तु जो भी विधायक जी की चिंताएं हैं, क्योंकि उद्योग मंत्रालय को भी इसके ऊपर मानीटरिंग करना चाहिये, हर विभाग की जो भी आज योजनाएं बन रही हैं. तो इसीलिये विधायक जी हमारे यहां आकर हमें वह बता देंगे, तो हम मदद कर सकते हैं.

श्योपुर-बड़ोदा-कुहांजापुर मार्ग निर्माण

20. (*क्र. 798) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्योपुर-बड़ौदा-कुहांजापुर मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसका कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? कितना शेष रह गया है? शेष कार्य को कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा? (ख) मार्ग निर्माण के दौरान इसके पूर्व की सड़क के किनारे श्योपुर से बड़ौदा के बागर तक के मध्य 16 हैण्डपम्प स्थापित थे, उन्हें जेसीबी मशीन द्वारा नष्ट कर दिया गया है? इस कारण रोड किनारे बसे गांवों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है? क्या शासन ठेकेदार को इन हैण्डपम्पों को पुनः स्थापित करने के निर्देश जारी करके पुनः स्थापित करवायेगा, यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या यह सच है कि सड़क विकास निगम के संबंधित अमले की उदासीनता के कारण कार्य की गति बहुत धीमी चल रही है? विगत डेढ़ वर्ष से यह मार्ग बन रहा है, इसके बावजूद वर्तमान तक लगभग 25 कि.मी. हिंस्से में तथा इस पर निर्माणाधीन तीन पुलियाओं का कार्य भी 70 प्रतिशत अधूरा पड़ा है, इसके क्या कारण हैं? (घ) क्या यह सच है कि निगम के अमले द्वारा इसे 2-2 कि.मी. की किश्तों में न खुदवाकर पूरा रोड एक साथ खुदवा दिया गया है? (ङ) उक्त मार्ग का निर्माण वर्षाकाल के पूर्व नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से वर्षाकाल में यह मार्ग बंद हो जायेगा, जाम लगने लगेंगे और यह स्थिति आम लगों के लिए कठिनाई पैदा करेगी? (च) यदि हां, तो क्या शासन उक्त मार्ग का निर्माण वर्षाकाल के पूर्व पूर्ण कराने हेतु निगम के अमले को सख्त निर्देश जारी करेगा, ताकि लोगों को वर्षाकाल में होने वाली कठिनाइयों से निजात मिल सके, यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) निगम के अंतर्गत दिनांक 17-12-2012 को कार्य प्रारंभ किया गया, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष 20 प्रतिशत कार्य दिनांक 16-12-2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. (ख) जी हां, जी नहीं. जी नहीं. सड़क के सुरक्षित आवागमन में बाधक हैण्डपम्पों को पुनः स्थापित कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है. (ग) अनुबंधानुसार कार्य दिनांक 16-12-2014 तक पूर्ण होना है. अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) जी नहीं. (ङ) नव निर्मित मार्ग का अधिकांश भाग में डामरीकृत सतह तक का कार्य हो चुका है तथा आगे के भाग में पुराना मार्ग यथास्थिति प्रचलन में है. अतः वर्षाकाल में जाम लगने की संभावना नहीं है. (च) कार्य समयावधि में प्रगति पर है अतः शेष का औचित्य नहीं है.

श्री दुर्गालाल विजय -- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस सड़क पर 70 प्रतिशत डामरीकरण करा दिया है. इसमें दो सवाल अनुत्तरित हैं. एक तो यह कि जो 3 पुलियाएं अूपूर्ण हैं, उनको कब तक पूरा करा देंगे. दूसरा यह कि सड़क में जो 24 हैंडपम्प टूट गये हैं और नष्ट हो गये हैं, उनका स्थापन कब तक करा दिया जायेगा. उसकी समय सीमा भी सुनिश्चित करें, क्योंकि गर्मी का समय है. लोगों को पीने के पानी का संकट है. उस सड़क पर जो 24 हैंडपम्प हैं, उनको कब तक स्थापित कर देंगे, दूसरा यह पुलिया जो अधूरी पड़ी हैं, वह कब तक पूरी हो जायेंगी. तीसरा प्रश्न यह है कि जो बचा हुआ काम है, उसके बारे में यह कहा गया है कि उसकी समय सीमा दिसम्बर है. लेकिन हमारा मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो कम काम रह गया है, 30 या 20 परसेंट जो भी आप बता रहे हैं. वह अभी एक दो महीने में पूरा हो जायेगा, तो जनता को इसका लाभ मिलेगा. यह तीनों बातें मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं.

श्री सरताज सिंह -- अध्यक्ष महोदय, श्योपुर-बड़ौदा-कुहांजापुर मार्ग इसकी लम्बाई 32.29 किलोमीटर है. जैसा इसमें बताया गया है कि 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है. शेष 20 प्रतिशत भी जो समय सीमा है 16.12.2014, इसको पूरा कर दिया जायेगा. माननीय सदस्य ने पुलियों के बारे में पूछा है. यह 3 पुलियों का काम एक महीने में पूरा हो जायेगा. माननीय सदस्य ने हैंडपम्प के संबंध में पूछा है. कुल 26 हैंडपम्प उस रोड पर थे, जिसमें से मात्र एक हैंडपम्प को हटाया गया है, क्योंकि वह रास्ते में आ रहा था. ललितपुरा गांव के पास जो हैंडपम्प था, उसको हटाया गया, उसकी एवज में दूसरे हैंडपम्प का बोर किया गया, वह बोर सफल नहीं हुआ. अब तीसरा बोर उसका चल रहा है और 7 सात दिन में वह पूरा हो जायेगा. इसके अलावा पण्डोला गांव के पास 4 बोरिंग हो गये हैं, उसमें पाइप डालना शेष है. चन्दपुरा गांव के पास 33 बोरिंग हो गये हैं, उनका भी काम पूरा होने वाला है. इस प्रकार से कहीं कोई

पेयजल की समस्या नहीं आयेगी. जो भी हैंडपम्प हटाये जाना प्रस्तावित हैं, अभी केवल एक हटाया गया है, बाकी नहीं हटाये गये हैं. शेष जो हटाये जाना प्रस्तावित हैं, पहले दूसरे हैंडपम्प लगेंगे, उसके बाद उनको हटाया जायेगा.

श्री दुर्गालाल विजय -- मंत्री जी, धन्यवाद. इसको प्रारंभ करा दें, क्या है कि वह हटा तो दिये हैं, भले ही उत्तर यह आया है कि नहीं हटे हैं, बन्द हो गये हैं, तो उसके कारण से दिक्कत आ रही है, यह जल्दी हो जाये.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न संख्या- 21 श्री आरिफ अकील.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है कि 15 मिनट प्रश्नकाल को और बढ़ाइये. हम बार बार रह जाते हैं. हमारा प्रश्न 24 नंबर पर है.

अध्यक्ष महोदय -- यह तो माननीय सदस्यों से रिकवेस्ट कर लें.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मेरे 15 मिनट के प्रस्ताव को माना जाय.

भोपाल नगर निगम के स्वीकृत विभिन्न कार्य प्रारंभ करने के उपरांत बंद/निरस्त किया जाना

21. (*क्र. 2395) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल नगर निगम की वर्तमान महापौर के कार्यकाल प्रारंभ होनें से प्रश्न दिनांक तक कुछ स्वीकृत कार्य प्रारंभ करने के उपरांत बीच में निरस्त किये गए हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे व कितनी-कितनी राशि के कार्य थे तथा यह कार्य किन-किन ठेकादारों को आवंटित किए गए थे? कार्य निरस्त करने का कारण सहित वार्डवार, वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह भी सही है कि भोपाल के मॉडल स्कूल के पास उच्चस्तरीय पानी की टंकी का निर्माण कार्य एवं व्ही.आई.पी. रोड पर जाली लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाकर कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य बंद कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन कारणों से व किसके आदेश से बतावें? (ग) प्रश्नांश ''क'', ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्वीकृति उपरांत प्रारंभ करने के बाद कार्य बंद करने तक नगर निगम प्रशासन एवं ठेकेदार को किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि की हानि हुई? क्या शासन उक्त आदूरदर्शितापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये दोषी पाये गए अधिकारियों से राशि वसूल करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित वर्षवार, कार्यवार बतावें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. (ग) जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''ब'' पर है.

श्री आरिफ अकील -- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बचा है. मैं मंत्री जी से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि रामनगर में जो टंकी आप बना रहे हैं, इसका काम कब शुरु हो जायेगा और वह कितने दिन में पूरी हो जायेगी. मंत्री जी, जल्दी जवाब दे दें, ताकि मैं फिर दूसरा प्रश्न कर लूं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्यक्ष महोदय, अतिशीध्र उसको प्रारंभ करवा देंगे.

श्री आरिफ अकील-- अतीशीघ्र नहीं समय सीमा बतायें अतिशीघ्र क्या होता है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसकी पूरी पृष्ठभूमि बता दूं. यह टंकी पहले एक स्थान पर बनना प्रस्तावित थी. ताजमहल बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के अभिलेख में थी , उसको संरक्षित करने के लिये क्योंकि आपत्ति आई थी, मुख्य सचिव महोदय ने जहां पर टंकी ..

श्री आरिफ अकील-- आप दूसरा प्रश्न पूछने नहीं देना चाहते हो, समय हो गया है. इसलिये पूछ रहा हूं कि वह टंकी का काम कितने दिनों में शुरू कर देंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अतिशीघ्र.

श्री आरिफ अकील--अतिशीघ्र नहीं, 15 दिन में 8 दिन में , 10 दिन में कितने दिन में कार शुरू कर देंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- 2 महीने में प्रारंभ करवा देंगे.

श्री आरिफ अकील-- आखिरी सवाल कि यह जो 26 लाख 55 हजार रूपये और 12 लाख 61 हजार रूपये नगर निगम की लापरवाही के कारण खर्चा हो गये हैं ठेकेदारों को भुगतान कर दिये गये हैं. इसकी क्या आप जांच करायेंगे कि इसमें जो जबाव दिया है वह सही है . इसकी किसी से जांच करा लें कि ताजमहल के सामने वह टंकी अव्वल तो नहीं आ रही और जो जाली तालाब में लग रही थीं वह इसलिये लग रही थीं कि वहां पर कचड़ा नहीं फिके और जो लोग खुदखुशी करते हैं वह नहीं करे, तो क्या आप इसकी जांच करवायेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री आरिफ अकील -- अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जबाव तो आ जाने दीजिये. अध्यक्ष महोदय, वह जबाव दे रहे हैं आप सुने तो.

श्री कैलाश विजयवर्गीय --हां हां करवा देंगे .

अध्यक्ष महोदय-- आप उनसे बात कर लीजियेगा.

श्री आरिफ अकील-- अभी हम आपसे बात कर रहे है. आप करायें. वह जबाव दे रहें हैं वह तो पूछ लो आप.

अध्यक्ष महोदय-- दो बार जबाव दे चुके हैं.

श्री आरिफ अकील-- एक ही बात तो बोला है. मंत्री जी आप चीफ सेकेट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मनमानी से नगर निगम का करोडों रूपयों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के अधिकारी इतने पारवफुल नहीं थे कि वे उनके खिलाफ कुछ लिखकर के देते. मात्र बचाने के लिये अपनी वाह वाही के लिये कर रहे हैं. टंकी ताजमहल के सामने नहीं आ रही है लेकिन जबरन अपनी वाहवाही के लिये उसको रोकना चाहते हैं . और आप उनकी इस काम मे मदद कर रहे हो.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, रायसेन में जो दंगे हुये जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा. वहां पदस्थ पुलिस अधिकारी निष्क्रिय रहे .दो परिवार ...

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के सदस्यों ने यह बात उठाई थी कि रायसेन शहर में दंगा हुआ और पुलिस अधिकारी इसमें निष्क्रिय रहे. 100 परिवार भोपाल में पलायन करके आ गये . उनको वहां वापस पहुंचाया जाये, और इसमे सदन में चर्चा करवाई जाये यह हमारी आपसे प्रार्थना है और दल के लोगों ने भी लिखकर के निवेदन किया है. अध्यक्ष जी हम एक निवेदन आपसे और कर रहे हैं कि जो परिवार रायसेन छोड़कर के भोपाल आ गये हैं, आज शाम को 5 बजे उनमें से जो परिवार वहां वापस जाना चाहते हैं उनको हम वहां पर वापस छोड़ने जा रहे हैं , आप प्रशासन को भी निर्देशित करें कि उनकी देखरेख करे उनको सुरक्षित रखें.

श्री निशंक जैन -- अध्यक्ष महोदय, रायसेन में 4 जुलाई को दंगा हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा बात आ गई है.

श्री निशंक जैन - अध्यक्ष महोदय, जिन पुलिस अधिकारियों ने निर्दोष लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ मार पीट की है क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे. फरियादी ने आवेदन दिया है, उनके फोटो हैं मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां के एसडीओपी को निलंबित किया जाये और किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर के इस मामले की जांच की जाये.

नियम 267(क) के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय -- निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2. डॉ. रामकिशोर दोगने
3. (इंजी.) प्रदीप लारिया
4. श्री दुर्गालाल विजय
5. पंडित रमेश दुबे
6. श्री हितेन्द्र सिंह सौलंकी
7. श्री जीतू पटवारी
8. श्री रामपाल सिंह
9. श्री दिव्यराज सिंह
10. श्री नारायण सिंह पवार

श्री जीतू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है आप एक मिनिट का समय नहीं देंगे मुझे. कल मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने वक्तव्य में कहा था कि एक दिन का समय हमें नहीं दोगे. हम भी जनप्रतिनिधि हैं, यहां पर जनता की आवाज उठाने आये हैं.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष जी, इंदौर हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल लगातार चल रही है, समस्या का समाधान नहीं हुआ है वह अब इंदौर हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा की गई हडताल के कारण न्यायालय का पूरा कामकाज ठप्प है. कल भी यह बात उठाई थी इसकी पीड़ा भी है पूरे

प्रदेश के वकील भी दो दिन की हड़ताल कर चुके हैं . पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर जाने वाले हैं . आपसे निवेदन है.

अध्यक्ष महोदय-- कल यह विषय आ चुका है . आप फिर आप कह रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- आपने आश्वासन दिया था कि निराकरण नहीं होगा तो चर्चा में ले लेंगे.

श्री जीतू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर शहर में रहते है. मेरा अनुरोध यह है .

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जायें . माननीय गृहमंत्री जी कुछ कह रहे हैं . अब आप सुनना भी नहीं चाहते हैं.

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसियेशन के वरिष्ठ सदस्य माननीय विवेक तन्खा साहब और उनके वरिष्ठ एडवोकेट और उनका एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलने आ रहा है. हम एक सम्मानजनक तरीके से इस हड़ताल को समाप्त करना चाहते हैं इसलिये प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद इस समस्या का समाधान निकल आयेगा.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, बड़ी गंभीर बात है.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का सत्र चल रहा है. इतनी बड़ी समस्या है. हम इस विषय को चर्चा में लेने का निवेदन कर रहे हैं. ध्यानाकर्षण दिया है.

श्री सत्यदेव कटारे-- विवेक तन्खा जी हमारी भी बात हुई है. वकीलों को शासन पर भरोसा नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- ध्यानाकर्षण कल ले लेंगे. बात खत्म हो गई. आपकी बात आ गई. माननीय गृह मंत्री जी का बयान आ गया. (व्यवधान)

श्री जीतू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं. यह मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है. मैं सरकार की, प्रशासन की मदद कर रहा हूं. (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उसी शहर के विधायक और मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री हैं.

अध्यक्ष महोदय-- समस्या का निराकरण हो रहा है. (व्यवधान) अब कार्रवाई आगे बढ़ गई.

श्री जीतू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, क्या कोर्ट चालू करने का कोई प्रयास किया गया. आम जनता सजा क्यों पाये. क्या तरीका है. सदन में यह आश्वासन दिया जाये कि आज इस समस्या का निराकरण कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री रामनिवास रावत जी ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी यह बात अभी कही और इस पर माननीय गृह मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया. कल मैंने उनको ध्यानाकर्षण लेने का आश्वासन दिया है.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा. कुक्षी के विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल 'हनी' के साथ बलेचा इंजीनियरिंग द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर मारपीट की गई. माननीय विधायक जी ने अपना परिचय पत्र भी दिखाया. उनके साथ उनका पूरा परिवार था.

अध्यक्ष महोदय-- आपने मुझे इसकी जानकारी दे दी है. इस पर जो कुछ भी संभव होगा हम कार्रवाई करेंगे. उस अभी जानकारी बुला रहे हैं. कृपया बैठ जायें.

श्री रामनिवास रावत-- उस पर ध्यानाकर्षण भी दिया है. ध्यानाकर्षण लेने का आश्वासन दे दीजिए.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, जानकारी आ जाये उसके बाद आश्वासन देंगे. जानकारी बुला रहे हैं. जानकारी आने दीजिए.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, विधायकों की सुरक्षा आपके हाथ में है. हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करें.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय कालूखेड़ा साहब ने जो कहा है उसका ध्यानाकर्षण ले लेंगे. (व्यवधान)

पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, (वाणिज्यिक कर मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक-20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ ए-3-28-2013-1-पांच (08), दिनांक 1 मार्च, 2014,

(ख) क्रमांक एफ ए-3-11-2014-1-पांच (17), दिनांक 26 अप्रैल, 2014 तथा

(ग) क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (27),दिनांक 28 जून, 2014

पटल पर रखता हूं

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, (किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक-18 सन् 1980) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वित्तीय वर्ष 2013-2014 पटल पर रखता हूँ.

ध्यानाकर्षण

श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू(नेपानगर) माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है.

नेपा नगर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 19.6.14 को वन परिक्षेत्र खकनार के परिक्षेत्राधिकारी, डिप्टी रेंजर एवं फारेस्ट गार्ड वाहनों में भरकर रजान का फाल्या पर गये । रेस्ला पिता गुलाब के मकान से 02 मुर्गे, अंडे सोसायटी से प्राप्त राशि में रूपये 13,000/– व घरेलू समान छिनकर ले गये । मौके पर रेस्ला की 70 वर्षीय पत्नी के विरोध करने पर बुजुर्ग महिला के साथ बेदर्दी से मारापीटी की गई ।

इसी प्रकार से इला पिता रजान के यहां से एक जोड़ी बैल लेकर गये । इला की पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की, बैल को खाट पर चढ़ाकर गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश में गरीब आदिवासियों की खाट भी टूट गई । उनके द्वारा धमकी दी गई की यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा मकान भी जला देंगे । ज्ञात हुआ हैं कि हाल ही में इनके बैल भी नीलाम कर दिये गये हैं ।

उपरोक्त घटना के मात्र एक दिन पूर्व दिनांक 18.6.14 को आदिवासी विकासखंड खकनार के ग्राम धमनपुरा के टेमरूपाटी निवासी गरीब आदिवासी के घर में घुसकर वन परिक्षेत्र नावरा के बीट गार्ड संजय त्रिपाठी एवं भागवत खोटे द्वारा धमकाते हुये पैसे की मांग की गई, पैसे न देने पर काशीराम के पुत्र के साथ मारपीट की गई, जब काशीराम की बहु हिरलीबाई बचाव करने गई तो उसके साथ झूमा–झटकी की गई। आवेदक के पत्रानुसार घटना के पूर्व भी दोनों वनकर्मी काशी राम से दोबारा क्रमशः 5000 एवं 6000 रूपये ले चुके थे। जबकि काशीराम को पट्टा प्राप्त है ।

वन परिक्षेत्र खकनार के कवडियाकुंड के कम्पार्टमेंट क्र–106 की जमीन पर करसन पिता भावसिंग वर्ष 1979 से सतत काबिज होकर खेती एवं निवास करते आ रहे हैं उनका दावा एवं अपील निरस्त कर वैमनस्यतावश कार्यवाहियां की जा रही हैं । दिनांक 15 मार्च, 2014 को बर्बरतापूर्वक संबंधित की फसल उजाड़कर झोपड़ा तोड़ दिया गया । खेती एवं गृहस्थी का सामान मय बैलगाड़ी के बिना स्थल पंचनामा बनाये जप्त कर ले गये ।

नहला एवं अन्य 39 निवासी डवालीकला का नवीन बीट क्र–324 में वर्षों पुराना अतिक्रमण है इनको बे–दखल किये जाने के विरूद्ध संबंधित दावा आवेदकों द्वारा मान. उच्च न्यायालय में बे–दखली के विरूद्ध दिनांक 17.2.2014 को स्थगन आदेश के बाद भी वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाकर मान. उच्च न्यायाल की अवमानना की गई । दिनांक 26.6.14 को इनके 50 टपरे तोड़े गये, लगभग 200 मुर्गा–मुर्गी, 8 बैल, कृषि उपकरण दैनिक उपयोग की वस्तुये, अनाज आदि ले गये एवं विरोध करने पर फायरिंग की गई जिससे 5 लोगों क्रमशः सुभान, गोपाल, बद्री, भुवान सिंग, नवल अमरसिंह, पप्पू एवं जसू पुन्या को हाथ–पैर एवं पीठ में छर्रे लग गये, भयभीत पीड़ितों की जानमाल की हानि हो सकती है।

इस प्रकार स्थानीय वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासी भाईयों के साथ उपरोक्तानुसार बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की जाकर अत्याचार किया जा रहा है। जिन अतिक्रमणकारियों के दावा आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है। जिनके पी.डी.ए. सर्वे हो चुका है, उनको भी बे–दखल करने संबंधी कार्यवाही की रही है जिससे आदिवासी भाईयों में गहन आक्रोश व्याप्त होकर वन विभाग के साथ गंभीर टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है ।

वन मंत्री (डॉ गौरी शंकर शेजवार) – माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि नेपानगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बुरहानपुर वनमण्डल के खकनार परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 338 से लगे राजस्व ग्राम खैरखेड़ा के रजान फाल्या में दिनांक 19.06.2014 को मुखबिर की सूचना के आधार पर परिक्षेत्राधिकारी खकनार श्री वीरेन्द्रसिंह तोमर के द्वारा अधीनस्थ स्टाफ उप वनक्षेत्रपाल, श्री रामलाल वर्मा, वनपाल श्री मौजीलाल धुर्वे, वनरक्षक, श्री रघुवेन्द्र राणावत, रवि वर्मा, विजय खम्परिया, दिपक तायड़े, मनोज कुशवाह एवं दो महिला वनरक्षक श्रीमती रूपा मुडिया तथा श्रीमती निर्मला खरते के साथ जाकर अवैध वनोपज की छानबीन की। यह कथन सही नहीं है कि वहां पर रेसला पिता गुलाब के मकान से मुर्गे, अण्डे, रू. 13,000/– या घरेलू सामान छीनने की कोई घटना वन कर्मचारियों के द्वारा की गई और न ही रेसला की पत्नी से कोई मारपीट की गई। वास्तविकता यह है कि वन कर्मचारियों के द्वारा छानबीन करने पर आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 338 की सीमा लाईन पर रेसला पिता गुलाब के खुले टप्पर, जिसका आधा भाग खैरखेड़ा (रजान फाल्या) की राजस्व भूमि में एवं आधा भाग आरक्षित वन में है, के ऊपर 41 सागौन एवं 1 अंजन की लकड़ी अवैध रूप से संग्रहित पायी गईं एवं टप्पर में जंगली जानवर भेड़की (हिरण) की खाल एवं जंगली सुअर के पांव पाये गये, जिसे जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5004/10 दिनांक 19.06.2014 जारी किया गया।

यह कथन सही नहीं है कि रजान फाल्या में इला पिता रजान के घर से कोई बैल जोड़ी वन कर्मचारियों के द्वारा ले जाई गई है और न ही इला की पत्नी से कोई

से कोई अभद्र व्यवहार या मारपीट की गई है.

स्वागत उल्लेख

बीपीएसटी के मानव सलाहकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सलाहकार एवं पूर्व सांसद श्री रघुवंदन जी शर्मा की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति

अध्यक्ष महोदय - आज सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में बीपीएसटी के मानव सलाहकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सलाहकार एवं पूर्व सांसद श्री रघुवंदन जी शर्मा उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका स्वागत है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, यह कथन भी सही नहीं है कि वन कर्मचारियों के द्वारा बैल को खाट पर चढ़ाकर गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश करने पर किसी व्यक्ति की कोई खाट टूटी है। वन कर्मचारियों के द्वारा इला को मकान जला देने की भी कोई धमकी नहीं दी गई है। वास्तविकता यह है कि आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 338 के अंदर मिश्रित रोपण क्षेत्र में निरीक्षण करने पर दो व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति रजान पिता बैरांग, जाति बारेला निवासी खैरखेड़ा था, द्वारा हल बैल से नई जुताई करते हुये पाये गये, जो वन अमले को देखकर हल बैल छोड़कर भाग गये। उक्त हल बैल जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5004/11 दिनांक 19.06.2014 जारी किया गया। उक्त क्षेत्र में नई झाड़ी, झुंडी एवं पालवा काटा जाना भी पाया गया। प्रकरण में जप्त दो बैल खकनार कलां में कांजी हाउस में जमा कराये गये थे, जिन्हें ग्राम पंचायत ने नियमानुसार दिनांक 04.07.2014 को रु. 37,700/– में नीलाम कर दिया एवं उसमें से पंचायत का शुल्क रु. 4,800/– एवं ड्राफ्ट बनाने का शुल्क रु. 300/– काटकर रु. 32,600/– का ड्राफ्ट क्रमांक 006666 दिनांक 05.07.2014 परिक्षेत्राधिकारी खकनार को भेजा दिया गया। इस घटना के संबंध में परिक्षेत्राधिकारी खकनार के द्वारा पुलिस थाना प्रभारी खकनार को एक रिपोर्ट कमांक 1233 दिनांक 21.06.2014 से भेजी गई। इस प्रकार उक्त अपराधी द्वारा अपना अपराध छुपाने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर गलत जानकारी देकर वन विभाग के विरुद्ध भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है।

यह कथन सही नहीं है कि दिनांक 18.06.2014 को आदिवासी विकासखण्ड खकनार के राजस्व ग्राम घमनपुरा के टेमरूपाटी निवासी काशीराम के घर में घुसकर वन परिक्षेत्र नावरा के बीटगार्ड श्री संजय त्रिपाठी वनरक्षक एवं श्री भागवत खोरे वनरक्षक के द्वारा पैसे की कोई मांग की गई एवं न ही पैसे न देने पर काशीराम के पुत्रों के साथ कोई मारपीट की गई। उक्त वन कर्मचारियों के द्वारा काशीराम की बहू हिरलीबाई के साथ कोई झूमाझटकी भी नहीं की गई। उक्त कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में भी कभी काशीराम से रू. 5,000/– या रू. 6,000/– नहीं लिए गये हैं। काशीराम का मकान वन क्षेत्र से सटे राजस्व ग्राम घमनपुरा की राजस्व भूमि में है तथा उसे वन क्षेत्र में कोई पट्टा नहीं दिया गया है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 18.06.2014 को वन परिक्षेत्र नावरा के अंतर्गत आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 286 में वन कर्मचारी श्री संजय त्रिपाठी वनरक्षक, श्री प्रेमेन्द्र महेन्द्र वनरक्षक, श्री भागवत खोरे वनरक्षक, वानिकी कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वन क्षेत्र की सीमा पर राजस्व भूमि में बने टप्परों के पास काशीराम (टेमरूपाटी) के द्वारा गीली सागौन की लकड़ी को छीलते देख वन कर्मचारियों द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान काशीराम के परिवार के सदस्यों द्वारा वन कर्मचारियों से गाली–गलौच की गई। काशीराम के लड़के शेरू ने पत्थर फेंककर मारा एवं काशीराम के लड़के शेरू एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा शासकीय कर्तव्य पर तैनात कर्मचारी श्री संजय त्रिपाठी वनरक्षक के बाल एवं वर्दी कॉलर से पकड़ी गई, जिससे वर्दी के बटन एवं बैज टूटकर वहीं कहीं गिर गये। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उप वनमण्डलाधिकारी नेपानगर एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी नावरा के द्वारा अन्य वन अमले के साथ मौके पर जाकर शेरू पिता काशीराम के टप्पर

से 6 नग 0.066 घनमीटर सागौन लकड़ी जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक / 1345 / 13 दिनांक 18.06.2014 जारी किया गया। इस तरह काशीराम एवं उनके परिवार के सदस्यों ने वन कर्मचारियों से मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचायी, जिसकी रिपोर्ट परिक्षेत्राधिकारी नावरा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 720 दिनांक 18.06.2014 से पुलिस थाना नावरा में की गई। उक्त कार्रवाई के दौरान किसी ग्रामीण से कोई मारपीट, झूमाझटकी या पैसे की मांग वन कर्मचारियों के द्वारा नहीं की गई।

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, सदन में दूसरे कैप्टन जयपाल सिंह जी दिखने लगे हैं उसके लिए बधाई.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार- एका एक क्या झटके आते हैं क्या? कोई विषय नहीं को, कुछ नहीं है. कोई संदर्भ नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे—इतने लंबे उत्तर के बाद विषय तो कोई बचता ही नहीं है. आप अपने आप में बड़ा विषय हैं. (व्यवधान) आप विषय भी हैं और शोध की विषय भी हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-

यह कथन सही नहीं है कि परिक्षेत्र खकनार के कावडियाकुण्ड स्थल के आरक्षित कक्ष क्रमांक 106 (नया 355) करसन पिता भावसिंह 1979 से सतत् काबिज होकर खेती एवं निवास करता आ रहा है, बल्कि गुण–दोष के आधार पर पूर्ण परीक्षण के उपरांत ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं अपील संबंधित समिति के द्वारा निरस्त किया गया है। यह कथन भी सही नहीं है कि यह कार्रवाई वैमनस्यतावश की जा रही है तथा 15 मार्च 2014 को फसल उजाड़ने, झोपड़ा तोड़ने, गृहस्थी का सामान मय बैलगाड़ी स्थल से पंचनामा बनाये बिना जप्त कर लिया गया है। वास्तविकता यह है कि उपरोक्त अतिक्रामक द्वारा माह नवम्बर 2013 में किये गये नये अतिक्रमण में भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुये दिनांक 14.03.2014 को बेदखली की कार्रवाई की गई है, जिसमें खेती एवं गृहस्थी का कोई सामान या कोई बैलगाड़ी न तो मौके पर पाई गई और न ही ऐसी कोई सामग्री जप्त की गई। वास्तविकता यह है कि करसन पिता भाव सिंह के द्वारा माह नवम्बर 2013 में वन परिक्षेत्र खकनार के कक्ष क्रमांक 355 (पुराना 106) एवं 356 में अतिक्रमण करने के संबंध में करसन पिता भावसिंग एवं अन्य 9 व्यक्तियों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5009/01 दिनांक 09.11.2013 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त क्षेत्र से वनमण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./10040 दिनांक 28.12.2013 द्वारा सभी अतिक्रामकों को बेदखली के नोटिस जारी किये गये। किंतु उक्त अतिक्रामकों द्वारा कोई बचाव उत्तर प्रस्तुत नहीं करने एवं पूर्ण जांच में नया अतिक्रमण पाये जाने पर आदेश क्रमांक 59 दिनांक 31.01.2014 द्वारा बेदखली के आदेश जारी कर 15 दिवस का समय अतिक्रमण हटाने हेतु दिया गया था। दिनांक 15 फरवरी 2014 तक भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर दिनांक 14.03.2014 एवं दिनांक 15.03.2014 को नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

यह कथन सही नहीं है कि नहाला एवं अन्य 39 निवासी डबालीकला का आरक्षित वन कक्ष 324 में वर्षों से पुराना अतिक्रमण है। उनके द्वारा दिनांक 17.02.2014 को माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। दिनांक 26.06.2014 को नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई के दौरान 60 टपरे आरक्षित वन कक्ष 324 से हटाये गये, किन्तु उक्त कार्रवाई के दौरान 200 मुर्गा–मुर्गी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं या अनाज आदि किसी वन कर्मचारी के द्वारा नहीं ले जाये गये और न ही कोई फायरिंग की गई। यह कथन भी सही नहीं है कि उक्त कार्रवाई में सुभान, गोपाल, बद्री, भुवनसिंह, नवल, अमरसिंह, पप्पू या जस्सू पुन्या को हाथ पैर या पीठ पर छर्रे लगे एवं न ही किसी व्यक्ति के जानमाल की हानि हुई है..

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबा जवाब है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, यह 5 घटनाएं हैं, वास्तव में यदि एक घटना होती तो एक पेज में उत्तर होता. 5 घटनाएं हैं, इसलिए उत्तर 5 पेज में है. मेरे साथ पता नहीं यह क्या है कि हमारे मित्र ही टोंकते हैं.

अध्यक्ष महोदय—कृपया संक्षिप्त कर दें.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जंगल विभाग का प्रश्न है और बियाबान में तो सब खो ही जाएंगे.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त करना संभव नहीं है. हमारे पूरे अधिकारी बैठे, मैं बैठा और इन पेजों को हमने कम करने की पूरी कोशिश की. मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ कम किया जा सकता है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—हम लोग बोर हो रहे हैं.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—मनोरंजन के लिए सदन नहीं होता है. आप कह रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, यह बात उचित नहीं है. सदन मनोरंजन के लिए नहीं होता है, चर्चा के लिए होता है. यदि मैं कोई विषय रख रहा हूं और उसमें सार्थकता है तो आपको सुनना पड़ेगा.

श्री जितू पटवारी—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया कुछ संक्षिप्त कर दें.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, आखरी पेज पढ़ रहा हूं.

श्री गोपाल भार्गव—अब डॉक्टर साहब पूरा उत्तर नहीं पढ़ेंगे तो यह कहेंगे कि पूरा उत्तर नहीं आया.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार--गोपाल जी आप बैठिये. अध्यक्ष महोदय, मैं आगे पढ़ रहा हूं......

वास्तविकता यह है कि वनपरिक्षेत्र खकनार के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 324 में अतिक्रमण करने के कारण नहाला पिता भुवनसिंग एवं अन्य 39 निवासी डबालीकला के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5005/05 दिनांक 07.11.2013 पंजीबद्ध किया गया है तथा वनमण्डल बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./7251 दिनांक 19.11.2013 से बेदखली के नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस का कोई जवाब निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ। अतः पूर्ण जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर वनमण्डल बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./773 दिनांक 05.12.2013 द्वारा बेदखली के आदेश जारी कर दिनांक 15.12.2013 तक कब्जा हटा लेने के निर्देश दिये गये। इस दौरान नहाला पिता भुवनसिंग के द्वारा दायर एक रिट याचिका क्रमांक 16118/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2014 को जारी किये गये निर्देश की छायाप्रति दिनांक 10.02.2014 को वनमण्डल कार्यालय बुरहानपुर में प्रस्तुत की गई, जिसमें लेख है कि सुनवाई की अगली तिथि तक याचिकाकर्ता के विरूद्ध बेदखली की कोई कार्रवाई न की जाये। दिनांक 08.01.2014 के बाद दिनांक 17.02.2014 एवं दिनांक 17.06.2014 को दो बार उक्त प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में की गई। अतः दिनांक 08.01.2014 के बाद दो बार सुनवाई पूरी होने के बाद ही दिनांक 26.06.2014 को श्री नहाला पिता भुवनसिंग के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया गया, जो नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुकूल है। उक्त कार्रवाई के दौरान झोपड़ियों से 50 नग लकड़ी, 8 बैल तथा नालो में लावारिस पाये गये 4 लकड़ी के हल जप्त किए गए। वैधानिक कार्रवाई कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5005/22 दिनांक 26.06.2014 जारी किया गया। इस दौरान कोई मुर्गा–मुर्गी, अनाज या दैनिक उपयोग की वस्तुएं जप्त नहीं की गईं। उक्त कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारी दूर से बैठकर कार्रवाई देखते रहे एवं कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की गई। कार्रवाई के दौरान कोई फायरिंग नहीं की गई और न ही किसी को छर्रे लगने की कोई घटना हुई। उक्त पूर्ण कार्रवाई नियमानुसार पुलिस बल एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसीलदार नेपानगर की उपस्थिति में की गई। वनमण्डल बुरहानपुर के अंतर्गत उक्तानुसार की गई कार्रवाईयां पूरी तरह से नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई हैं। उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर वनमण्डल का वनक्षेत्र विगत कई वर्षो से अतिक्रमण के दबाव में है। इसमें बाहरी जिले के अतिक्रामकों द्वारा सामूहिक रूप में दल–बल सहित वनक्षेत्रों में पेड़ों की कटाई कर अतिक्रमण किया जाता है तथा वन कर्मचारियों के द्वारा वन अधिनियमों के अंतर्गत उक्त अतिक्रमण को नियंत्रित करने की कार्रवाई के समय आपराधिक प्रवृत्ति के अतिक्रामकों द्वारा हथियारों एवं गोफनों से लैस होकर प्राणघातक हमले किये जाने के पश्चात भी वन कर्मचारी निर्भयता एवं निष्ठापूर्वक वनों, वन भूमि एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वन विभाग अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी आदिवासी के साथ कोई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई या अत्याचार नहीं कर रहा है। आदिवासियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पूर्ण परीक्षण उपरांत उक्त अधिनियम के अनुसार गठित समिति के द्वारा वन

एक माननीय सदस्य-- पढ़ने में कितना समय लगेगा?

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—यह तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए, गौर साहब पढ़ते तो इसमें तीन गुना ज्यादा समय लगता (हंसी)

गृह मंत्री(श्री बाबूलाल गौर)—डॉ. साहब इतना लम्बा नहीं पढ़ता.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)- अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्नकाल में निवेदन किया था कि ध्यानाकर्षण में भी प्रश्न अगर बड़ा होगा तो स्वाभाविक रुप से उत्तर भी उसका बड़ा होगा. ध्यानाकर्षण की सूचना भी सम्मानित सदस्य दें तो उसकी एक सीमा निश्चित हो, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए. 15-15 किलो के जवाब आ रहे हैं, ध्यानाकर्षण में 15-15 पेज का जवाब आ रहा है.

नगरीय प्रशासन मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी बड़ा है, उत्तर भी बड़े हैं और मंत्री भी बड़े हैं

श्री बाबूलाल गौर—माननीय सदस्य पूरे वर्ष का हिसाब किताब मांगते हैं तो जवाब भी 15 किलो का आयेगा ही.

अध्यक्ष महोदय-- थोड़ा उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—जी हां. प्रश्न भी संक्षिप्त होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न में तो उनको एक बार और एक प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं तो उत्तर थोड़ा संक्षिप्त दें और जो जवाब में नहीं आया वह प्रश्न में पूछ लेंगे.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-

अधिकार पत्र प्रदान करने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है, जिसका नोडल विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग है।

यह कथन सही नहीं है कि स्थानीय वन विभाग के अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासियों के साथ कोई बर्बरतापूर्ण व्यवहार या अत्याचार किया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दावों के पूर्ण निराकरण के उपरांत ही की जाती है। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णतः वैधानिक है। किसी भी वन अधिकार पत्र के धारक के विरूद्ध बेदखली की कोई कार्रवाई वन विभाग द्वारा नहीं की गई है। अतः यह कहना सही नहीं है कि आदिवासियों में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है एवं टकराव की स्थिति निर्मित हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 5 घटनाएँ हैं, एक घटना होती तो हम संक्षेप में उसे एक पेज का बनाते और जब आरोप लग रहे हैं और आरोप भी ऐसे हैं कि जो पुलिस की धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण हैं, आप क्रिमिनल आरोप लगा रहे हैं और हम चुपचाप रहें और जवाब न दें तो यह बनता नहीं है. मैंने ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि इसमें मैंने बहुत कोशिश की कि संक्षिप्त जवाब हो जाए लेकिन संक्षिप्त करने के बाद घटनाओं का जिक्र नहीं होता .

श्री सुन्दरलाल तिवारी— मंत्री जी, यह पूरा जवाब गलत है.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएं आपको इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम.

श्री राजेन्द्र श्यामलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह जो भी जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि घटनास्थल पर मैं स्वयं भी गया और इसमें स्थानीय क्षेत्रवासी, आमजन भी इसके साक्षी है जब यह घटना हो रही थी और एक घटना जो है यह करसन पिता भावसिंह का बताया, जहां पर मैंने लिखा है कि बिना स्थल पंचनामा के बैलगाड़ी वगैरह जप्त की तो संयोग से मैं भी वहां था और पुलिस प्रशासन और मीडिया भी था. वहां इस बात को वन विभाग के कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि हां यह हमसे गलती हो गई. मेरा कहने का आशय यह है कि यह बिना किसी नियम के इस तरह की कार्यवाही विभाग द्वारा हो रही है.दूसरा यह जो अमानवीय घटना की ओर मैंने ध्यान दिलाना चाहा था कि एक तो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई, अखबारों में छपा और दूसरा मैं स्वयं वहां उस

घटनास्थल पर गया और जो आप बता रहे हैं कि बैल नवाड़ से ले जाए, यह अतिक्रमण करना आदिवासी स्वीकार कर रहा है लेकिन जो घटना वहां बतायी जा रही है कि यह नवाड़ से लाये, वैसा नहीं है, उसके निवास से उस बैल जोड़ी का लाया गया, खाट के ऊपर चढ़ाया.

अध्यक्ष महोदय—आप प्रश्न पूछ लीजिए.

श्री राजेन्द्र श्यामलाल-- अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि गोली चालन की घटना भी बहुत गंभीर है अभी भी उनके सिर में और पीठ में गोली के छर्रे लगे हुए हैं . उनका अभी डॉक्टरी परीक्षण करेंगे तो उनके पीठ में से, उनके सिर में से गोली के छर्रे निकलेंगे. अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है इसलिये आपका संरक्षण चाहते हुए मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ से एक उच्च स्तरीय जाँच दल जाये. क्योंकि जो वहाँ का स्थानीय अमला है उन्होंने वहाँ से जो जानकारी भेजी है वही मंत्री जी ने कहा है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार--- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब पढ़ा है निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है. जवाब उच्च अधिकारी बनाते हैं और मौके पर जाकर जानकारी लेते हैं . अध्यक्ष महोदय, घटना की दिनाँक को भी हमने माना है और कार्यवाही की है यह भी हमने माना है लेकिन आरोप क्रिमिनल प्रोसीजर वाले लगाये गये हैं कि मार-पीट की, गोली चली, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, झूमा-झटकी की . अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसी बात है तो यह नहीं होना चाहिए. लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब दे रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स जो कि पुलिस की होती है, यह अतिक्रमण आदि इन सबके लिए बनाई गई है , उनके जो अधिकारी हैं, उनसे भी इसकी जाँच करवाई है और यदि मैं उस रिपोर्ट को पढ़ूंगा तो फिर सदन में बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे कि आप फिर से लंबा उत्तर दे रहे हैं. इनके उत्तर में इन सबके मेडीकल परीक्षण हुए हैं और उसमें छोटी-मोटी खरोंचों के अलावा कुछ नहीं आया है. सामान्य रूप से महिलाओं ने वनकर्मियों के साथ झूमाझटकी की है उसमें मामूली खरोंचें आई हैं इसके अलावा कोई दूसरी चीज मेडीकल परीक्षण में नहीं आई है. यह गोली चलाने वाली बात कर रहे हैं तो वन विभाग ने भी कहा है कि हाँ, कोई गोली नहीं चली. अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की

रिपोर्ट है, गौर साहब के हाथ में यह रिपोर्ट रखी हुई है. यदि आपको वन मंत्री पर विश्वास नहीं है तो गृहमंत्री भी जवाब दे सकते हैं.

एक माननीय सदस्य—अध्यक्ष महोदय, मतलब विधायक असत्य कह रहे हैं..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय--- आप लोग बैठे बीच बीच में बोलना ठीक नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हो रहे अत्याचार को इतने हल्के से ले रहे हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, जिले में जो टास्कफोर्स है उसने यदि जाँच कर ली तो यह हल्के से लेने वाली बात कहाँ हुई? यदि हम केवल वनकर्मियों के आधार पर इस पर उत्तर दे देते तो एक बार यह भी हो सकता है कि अधिकारी ने सब ऑर्डिनेट कर्मचारी का सपोर्ट कर दिया लेकिन यहाँ कहीं कोई गुंजाइश हमने नहीं रखी है और जिस घटना में यह गोलीचालन वाली बात कर रहे हैं उस घटना में बेदखली के लिए जो मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, वह साथ में थे और उनका पूरा अमला साथ में था. क्या तहसीलदार भी हमारे विभाग में है. क्या वह भी गलत जानकारी देंगे आपको? आप सभी को (xx) तो ऐसे करने में चार उंगलियाँ आपके तरफ भी उठेंगी यह भी सोच लो जरा. (xx)

श्री राजेन्द्र श्यामलाल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीरता से पूरी जवाबदारी के साथ मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि एक घटना का साक्षी मैं स्वयं हूं. इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की त्रुटि हो रही है.

अध्यक्ष महोदय-- (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आप सभी लोग बैठिये उनको बोलने दीजिये.

श्री राजेन्द्र श्यामलाल-- अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जाँच दल बना दें ताकि पता लग जाए कि मैं गलत हूं या वहाँ का स्थानीय अमला गलत है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, चार घटनायें हैं माननीय सदस्य कौनसी घटना में साक्षी थे, यह आप बतायें.

श्री राजेन्द्र श्यामलाल--- मैं करसन पटेल वाले मामले में साक्षी था और यहाँ पर मैं पूरी गंभीरता के साथ बता रहा हूं कि पीठ औऱ सिर में छर्रे हैं. गोलियों के छर्रे हैं उसका परीक्षण करा लिया जाये ....(व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय--- आप सभी लोग बैठ जाएं , वह सक्षम हैं. आप लोग बार बार बोलकर विषय की गंभीरता को समाप्त कर रहे हैं. उनके क्षेत्र का मामला है, उनके जिले के और भी विधायक बैठे हुए हैं. कृपा करके उनको पूछने दें वह सक्षम हैं.

(XX) - विलोपित

श्री देवेन्द्र वर्मा(खंडवा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटना क्रमांक एक में जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि सुअर की खाल तो वह सुअर की खाल नहीं थी, बकरे की खाल थी. इस विषय की जाँच करवाएँ..(व्यवधान)..गलत जानकारी उपलब्ध करवाई गई. मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो 40-50 टपरे टावलीखेड़ा में हटाए गए हैं उसमें सुभान, गोपाल, बद्री भुवान सिंह, ये तो प्रशासन के सामने अभी तक आए नहीं हैं इनको चारों तरफ से घेर कर इन पर गोली चालन किया गया है. मेरा निवेदन है कि यहाँ से एक जाँच दल गठित करके इस पूरे प्रकरण की, चारों पाँचों प्रकरणों की जाँच कराई जाए.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, पुलिस के टास्क फोर्स ने जाँच कर ली है, हर घटना की जाँच कर ली है.....

श्री देवेन्द्र वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की.....

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- मुझे बोलने दो भाई यह कोई आपका तरीका नहीं है. आप सुनिए, आपकी मैंने सुनी तो आप.....

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का यह व्यवहार उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय सदस्य भले ही उनके दल के सदस्य हैं पर यह व्यवहार उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ, आप उत्तर देने दें.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, जिले की टास्क फोर्स ने पूरी जाँच कर ली. एक घटना जिसमें गोली चालन की बात बताई गई है, किसी के द्वारा कहीं पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई, कहीं मेडिकल में कोई बातचीत नहीं आई. तहसीलदार उस घटना में स्वयं वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे और टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद मैं नहीं समझता किसी और उच्च स्तरीय

जाँच की आवश्यकता है. अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आप जो उचित समझें वैसी हम जाँच करवाने के लिए तैयार हैं.

श्री देवेन्द्र वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों पर गोली चालन हुआ है वे अभी भी जंगलों में छुपे हैं, वे सामने नहीं आ पाए और उन लोगों का किसी प्रकार का न मेडिकल हुआ न उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई....(व्यवधान)...

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, जब जंगलों में छुपे हैं तो आपने कैसे देख लिए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- श्री कुंवर सिंह टेकाम अपनी बात कहें..(व्यवधान)..कृपा करके बैठ जाएँ...(व्यवधान)..उनको प्रश्न पूछने दें...(व्यवधान)..श्री कुंवर सिंह टेकाम अपनी बात कहें...(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब से लग रहा है कि इसमें गोली चली है...

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- जवाब से ही सिद्ध हो रहा है कि गोली चली है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप उत्तर तो आने दीजिए...(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान-- विधायक की बात को महत्व देना चाहिए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये बात तो पूरी होने दीजिए...(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान—(xxx) ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- यह नहीं लिखा जाएगा...(व्यवधान)..आप उनको प्रश्न पूछने देंगे कि नहीं...(व्यवधान)..आप खुद उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं..(व्यवधान)..

श्री कुंवर सिंह टेकाम(धौहनी)-- अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन्दी से निवेदन है कि इसमें आप ही कुछ व्यवस्था दे दें तो बहुत कृपा होगी एक जाँच दल गठित करवाने में क्या दिक्कत है..(मेजों की

थपथपाहट) पुनः जाँच करवा लें....(व्यवधान)..कृपा पूर्वक आग्रह है एक बार उच्च स्तरीय जाँच करवा लें...(व्यवधान)..

श्री देवेन्द्र वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भी जवाब नहीं आया है. फॉरेस्ट अधिकारियों द्वारा विधायक जी के खिलाफ बयान टीव्ही में दिया गया.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइए. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का आग्रह है कि आप किसी प्रकार उनकी सहमति से और उनके सटिस्फेक्शन के लिए क्या किसी प्रकार की जाँच उसमें करा सकते हैं.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, मेरी आप से विनम्र प्रार्थना है कि यह किसी को संतुष्ट करने वाले उत्तर वाली बात यहाँ समझ में नहीं आ रही लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर उस टास्क फोर्स का गठन हुआ और जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर अन्य कईं बड़े अधिकारी भी रहते हैं और शिकायत वन विभाग के कर्मचारियों ने भी की है और अन्य जो सूचना है वह भी उन्होंने ही वहाँ जाकर दी है और यह एक सहज कहना है कि लोग जंगलों में छुपे हैं तो जंगलों में छुपे हैं तो उनको किसने देखा. मेरा ऐसा कहना है कि मेडिकल में कहीं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया और अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो यह पुलिस की और टास्क फोर्स, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर इसकी पूरी रिपोर्ट मैं सदन के पटल पर रख दूंगा. माननीय सदस्य इसको पढ़ लें और इसके बाद आपसे जाकर कक्ष में मिल लें और जैसा आप उचित समझेंगे, मैं इसमें जांच की आवश्यकता समझता नहीं हूँ. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्री सचिन यादव कृपया अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस विषय में थोड़ी बात करना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, अब हो गई बात. इस विषय में बहुत लंबी बात हो गई है. (व्यवधान) अब कुछ भी एलाउड नहीं है कृपा करके आप सहयोग करें, आपका ही ध्यानाकर्षण ले रहे हैं. अब वह बात समाप्त हो गई है.

श्री सत्यदेव कटारे—बात समाप्त नहीं हो गई है मंत्रीजी का जो व्यवहार था वह बहुत गलत था हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके आप सहयोग करें (व्यवधान) श्री सचिन यादव अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें..(व्यवधान) कोई चीज एलाउड नहीं है श्री सचिन यादव जो पढ़ेंगे वही एलाऊ है. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—(XXX)

श्री देवेन्द्र वर्मा—(XXX)

श्री कुंवर सिंह टेकाम—(XXX)

श्री जितू पटवारी—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—श्री सचिन यादव ध्यानाकर्षण पढ़ें अन्यथा मैं दूसरा नाम पढ़ूंगा.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की संदिग्ध मौत होना

श्री सचिन यादव (कसरावद) (डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सुन्दरलाल तिवारी) –माननीय अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

दिनांक 4.7.14 को नेताजी सुभाष चन्द बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर के डीन एवं फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉ. डी.के. साकल्ले की पत्नी उनको प्रतिदिन की भांति प्रातः चाय पिलाकर मार्निंग वाक पर चली गई, जब मॉर्निंग वाक से वापिस घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉ. साकल्ले जली हुई हालत में तड़फड़ा रहे है उनका शरीर लगभग 95 प्रतिशत जल चुका था। श्रीमती भक्ति के चीखने पर वहां काम करने वाले एवं अन्य लोग एकत्रित हो गए तथा डॉ. साकल्ले को हास्पीटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा आत्महत्या का प्रकरण मानते हुए विवेचना में ले लिया है। यहां उल्लेखनीय है कि डॉ. साकल्ले व्यापम घोटाले की जांच समिति में थे वे ईमानदारी से इस घोटाले के खुलासे में एस.टी.एफ की जांच में सहयोग कर रहे थे। विगत 20 दिनों से अवकाश में थे तथा आगामी दो माह पश्चात वह रिटायर होने वाले थे। अवकाश पर होने के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें फोन कर कार्यालय में बुलवाकर कार्य कराया जा रहा था। इस कारण डॉ. साकल्ले के परिवार वालों एवं जूनियर डॉक्टर एशोसिएशन के अधिकारियों ने उनकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। इस प्रकार मेडीकल कॉलेज के डीन की इस कथित आत्महत्या के कारण प्रदेश के डॉक्टर हतप्रभ है। पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में असफल रही है। डॉ. साकल्ले के संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत की घटना को लेकर मेडीकल क्षेत्र के लोगों में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के प्रति तीव्र रोष व्याप्त है।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 04.07.2014 को नेताजी सुभाष चन्द बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन एवं फोरेसिंक विभाग के अध्यक्ष डॉ॰ डी॰के॰ साकल्ले की पत्नी श्रीमती भक्ती साकल्ले प्रातः लगभग 6.45 बजे चाय पिलाकर लगभग 7.00 बजे अपने आवास परिसर के अन्दर ही घर के लॉन में टहल रही थी। उनके कैम्पस में उनका पालतू डाबरमैन कुत्ता भी घूम रहा था। 20–25 मिनिट टहलने के पश्चात् जब वे प्रातः लगभग 7.30 बजे घर के अन्दर आई तो उन्होंने देखा कि, डॉ. साकल्ले जली अवस्था में जमीन पर पडे हैं। श्रीमती साकल्ले के द्वारा आवाज देने पर उनके घर के पीछे स्थित घर से उनका कार चालक राम गोपाल पाण्डे का पुत्र सत्या पाण्डे दौड़ता हुआ घटना स्थल पर आया। डॉ. साकल्ले को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। वार्ड वाय के द्वारा स्थानीय पुलिस चौकी को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी तथा वरिष्ठ अधिकारी कैजुएलिटी वार्ड जहाँ डॉ. साकल्ले का शव रखा था पहुंचे। इस स्थल की वीडियोग्राफी कराई गई। शव का पंचनामा कराया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम को भी पंच के रूप में रखा गया। पंचों मे स्थानीय मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डाक्टर थे। पंचों के द्वारा स्पष्ट अभिमत दिया गया कि शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट के निशान नही है, और मृत्यु जलने से घटित हुई हैं।

घटना स्थल का निरीक्षण थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा जिले की फोरेसिंक टीम व अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ के साथ किया गया। घटना स्थल व आस–पास की विडियोग्राफी भी कराई गई।

घटना स्थल पर एक 5 लीटर की केन जिसमें करीब साढ़े तीन लीटर कैरोसिन था, जोकि उनके घर की ही होना पाई गई, माचिस की डिब्बी, एक जली हुई माचिस की तीली, तथा जले कपड़े के अवशेष पाये गये। कोई सुसाइड नोट नही मिला।

डॉक्टर साकल्ले के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज के 05 डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया गया जिसमें दो डॉक्टर फोरेसिंक विशेषज्ञ भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "Shock as a result of antemortem flame burns involving about 96% of total body surface area" लेख किया हैं। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में बर्न इन्ज्यूरी को छोड़कर अन्य कोई जाहिरा चोट नही पाई गई हैं। साथ ही ट्रैकिया टेस्ट भी कराया गया

जिसमें कार्बन सूट पार्टिकल पाये गये, जोकि इस बात का सूचक है, कि मृत्यु जलने से हुई है।

घटना के संबंध में थाना गढ़ा जिला जबलपुर में मर्ग क्रमांक 71/14 धारा 174 द.प्र.सं. पंजीबद्ध किया गया हैं।

श्री रामनिवास रावत :- माननीय मंत्री जी आपने पूरा जवाब नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय:- छोटे छोटे दो पैराग्राफ रह गये हैं।

श्री बाबूलाल गौर:- मैं पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय:- कृपया आप लोग बैठ जाईये, आप लोग गंभीर विषय को हल्का बना देते हैं।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल है, डॉक्टर साहब ज्यादा पढ़ते हैं तो दिक्कत गौर साहब कम पढ़ते हैं तो दिक्कत।

श्री बाबूलाल गौर :- आप बता दीजिये की कौन सा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, उसको मैं पढ़ देता हूं।

मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सिद्वार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में 6 सदस्यों का जांच दल गठित किया गया हैं। जांच दल द्वारा डॉ. साकल्ले के परिवार जनों, सहकर्मियों, व अधीनस्थों के कथन दर्ज किये गये है। मोबाईल एवं लैण्ड लाईन के फोन के कॉल डिटेल परीक्षण के अलावा इनके कार्यालय से भी विस्तार पूर्वक जानकारी मांगी गई हैं।

डॉक्टर साकल्ले के द्वारा व्यापमं से संबंधित कोई भी जांच नही की गई हैं और न ही वे किसी जांच टीम के सदस्य थे। अभी तक जांच में लिये गये कथनों में किसी भी साक्षी व परिजनों ने अपने कथन में व्यापमं से संबंधित किसी दबाव की पुष्टि नही की हैं।

डॉक्टर साकल्ले दिनांक 26.05.2014 से 11.06.2014 तक अवकाश पर थे, जिसके पश्चात् दिनांक 16.06.2014 से लगातार अवकाश पर थे।

डॉक्टर साकल्ले 30 सितम्बर 2014 को सेवानिवृत होने वाले थे। अभी तक की जांच में डॉक्टर साकल्ले के द्वारा आत्म हत्या करना पाया गया हैं। आत्म हत्या के कारणों की विस्तार पूर्वक विवेचना की जा रही हैं।

जनजीवन सामान्य हैं।

इसके बाद भी आपको कोई शक है तो जिस एजेंसी से आप चाहें, हम जांच करवा लेंगे।

एक माननीय सदस्य – माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सी.बी.आई.से जांच कराना चाहते हैं.

श्री रामनिवास रावत – कुछ नहीं कहना. सी.बी.आई. से जांच की घोषणा कर दें.

श्री सचिन यादव – माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डॉ.साकल्ले की मौत की जांच एवं उनके टेलीफोन एवं मोबाईल की काल डिटेल्स की जांच सी.बी.आई. से कराएंगे यदि हां तो सदन में घोषणा करें.

श्री बाबूलाल गौर – सी.बी.आई. से करा देंगे.

अध्यक्ष महोदय – बात ही खत्म हो गई.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. हमने माननीय नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक विशेषाधिकार भंग की सूचना आपको दी है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) – इसमें व्यवस्था का प्रश्न की क्या जरूरत है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - इसमें प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है आप सीधे बोल सकते हैं. काल अटेंशन हो जाने दें.

श्री सत्यदेव कटारे – आप नियम से आईये.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – बोलने तो दें.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - आप कृपा करके बैठ जाईये. आमने-सामने बात न करें. माननीय मंत्री जी,काल अटेंशन में तीन सदस्यों के नाम हैं. इनके एक-एक प्रश्न हो जाने दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बोलने के बाद.

श्री सत्यदेव कटारे - – माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बोला है उसको पहले विलोपित करवाएं.

अध्यक्ष महोदय - विलोपित नहीं. व्यवस्था दे दी मैंने वह बैठ गये.इसमें असंसदीय क्या है बता दें आप.

श्री सत्यदेव कटारे - असंसदीय नहीं है.[x x]

अध्यक्ष महोदय - यह शब्द अच्छा नहीं है जो आपने अभी बोला. पहले जिनके नाम हैं पहले वह एक-एक प्रश्न पूछ लें.

डॉ.गोविन्द सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सी.बी.आई. की जांच स्वीकार कर ली है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं जैसा आपने कहा कि फोरेंसिक जांच कराई. बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है. आपके जवाब में है कि कुत्ता वहीं घूम रहा था. कुत्ता चिल्ला रहा था और आपने यह भी कहा कि उनकी पत्नि कितनी दूरी पर थीं उनको उनकी आवाज नहीं आई. जब वे 96 प्रतिशत वह जल गये.

अध्यक्ष महोदय - कुत्ता चिल्ला रहा था यह कहां इसमें लिखा है.

डॉ.गोविन्द सिंह – बगल में घूम रहा था. जब कोई व्यक्ति आग लगाता है तो तड़फड़ाता है उनकी पत्नि वहीं घूम रही थी तो उनकी पत्नि और कुत्ते ने उनकी आवाज नहीं सुनी और वे लगातार 96 प्रतिशत जलते रहे. इसमें कहीं न कहीं शंका है. इस बात का आप सी.बी.आई. जांच से पहले परीक्षण करा लेंगे.

श्री बाबूलाल गौर – मैं ही परीक्षण कराऊंगा तो सी.बी.आई. जांच की क्या आवश्यक्ता है. अगर मैं ही सब जांच करा लूंगा फिर सी.बी.आई. की आवश्यक्ता नहीं है. फिर आप सी.बी.आई. जांच की मांग छोड़िये.

डॉ.गोविन्द सिंह - इसका मतलब आपकी पुलिस बिल्कुल अक्षम है.

श्री बाबूलाल गौर – यह बात नहीं है. आप एक ही जांच करा सकते हो. माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो हमारी पुलिस से जांच करा लें या सी.बी.आई. से करा लें.

डॉ.गोविन्द सिंह – उनको शाम को रात को फोन आया उनको धौंस दी गई और वे विचलित हुए और सबेरे उन्होंने आत्महत्या कर ली.

श्री बाबूलाल गौर – अब यह सब मामला सी.बी.आई. से संबंधित है.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाईये कृपया विषय से बाहर कोई नहीं जाएगा. श्री सुन्दरलाल तिवारी.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सी.बी.आई. जांच की घोषणा की है उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं.

अध्यक्ष महोदय - आप विषय पर बोलेंगे. यह काल अटेंशन है. इसके बाहर कृपा करके नहीं जाएंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – बिल्कुल इसी में है. व्यापम का मामला इसमें भी है.

अध्यक्ष महोदय - उत्तर में नहीं है. आपने कोई इन्क्वायरी इसकी नहीं की और काल अटेंशन दे दिया. जवाब में नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – आप सुनें तो सहीं. यह जवाब में है.

अध्यक्ष महोदय - मेगनीट्यूड(अहमियत) है. मैंने पढ़ लिया उसको. आपको घटना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- मै घटना से संबंधित बात पूछना चाहता हूं.

श्री वेलसिंह भूरिया - – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुरोध है कि तिवारी जी जबरन समय बर्बाद करते हैं. हमारे सदस्यों को मौका नहीं मिलता है. तो सुन्दरलाल तिवारी जी कम से कम समय लें. हम नये सदस्यों को मौका नहीं मिलता.

एक माननीय सदस्य –बिल्कुल सही बात है.

अध्यक्ष महोदय - 15 सेकंड में आप पूछ लें अपनी बात बिना भाषण दिये. आपको कोई तथ्य मालुम हों या आपको कोई जानकारी चाहिये तो ऐसी कोई बात शासन से पूछें. आप भाषण नहीं दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – जब सारी बातें स्पष्ट कर दीं. एक सी.डी. निकली है जो सी.डी. यहां जमा की गई है.

अध्यक्ष महोदय—सीडी जमा नहीं हुई है.

श्री सत्यदेव कटारे—सीडी जमा नहीं हुई है.

श्री सुंदरलाल तिवारी— अध्यक्ष जी आपने कहा जमा है.

श्री सत्यदेव कटारे—यह समझ नहीं पा रहे हैं सीडी के कन्टेन्स की परमीशन मांगी है, वह रामनिवास जी ने जमा की है.

अध्यक्ष महोदय—आप वरिष्ठ सदस्य हैं तथा लोक सभा के भी सदस्य रह चुके हैं आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—सारे तथ्यों की जानकारी है अध्यक्ष महोदय.

अध्यक्ष महोदय—आपने अपना नाम जरूर लिखवा दिया है इसलिये आप तथ्यों से भटक रहे हैं. कृपया करके आप सदन का समय जाया न करें विषय गंभीर है और विषय की गंभीरता को बने रहने दें. आप बैठ जायं.(व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी— (XX)

अध्यक्ष महोदय—इसको विलोपित किया जाये. इनकी विषय से बाहर कोई बात नहीं लिखी जायेगी.

श्री सुंदरलाल तिवारी—मुझे सवाल पूछने दें.

अध्यक्ष महोदय—आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं.

(व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया है कि डॉ.साकल्ले की मृत्यु जलने के कारण हुई है, लेकिन वह मृत्यु होमोसाईडल थी या सुसाईडल थी आपने उसको सुसाईडल तो कह दिया, लेकिन होमोसाईडल नहीं थी इसके आधार आपके पास कैसे हैं आपने उसको सुसाईडल क्यों कह दिया यह जो जांच का विषय है.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों ने राय दी है उसके आधार पर हम कह रहे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी—डॉक्टरों ने यह राय नहीं दी है. डॉक्टरों ने यह कहा है कि जलने से मृत्यु हुई है यह सुसाईडल थी या होमोसाईडल इस तरह की कोई भी बात न तो आपके जवाब में है न ही डॉक्टरों ने ऐसा कहा है.

अध्यक्ष महोदय—अभी उसकी जांच चल रही है.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "Shock as a result of ante mortem flame burns involving about 96% of total body surface area" होना पाया गया. पी.एम.रिपोर्ट में स्पष्टतः उल्लेख है कि बर्न इंजुरी को छोड़कर अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गई है, साथ ही ट्रेकिया टेस्ट भी कराया गया गया जिसमें डॉक्टरों द्वारा कार्बन सूट पार्टिकल पाये गये हैं जो कि इस बात के

सूचक हैं कि मृत्यु जलने से हुई है. यह बात भी उल्लेखनीय है कि डॉ. साकल्ले के पी.एम.मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया गया है जिसमें दो डॉ.फारेसिंक विशेषज्ञ भी हैं. उनके जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—कहां निर्णय लिया है, यही तो मैं कह रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय—बात आपकी ठीक है, अभी इसमें इन्क्वायरी चल रही है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—यह बोल दें की इसमें इन्क्वायरी चल रही है.

अध्यक्ष महोदय—इसमें लिखा है कि विस्तारपूर्वक जानकारी मांगी गई है और यह जांच दल गठित किया गया है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—तब इसको अभी से सुसाईडल क्यों बनाया गया है.

अध्यक्ष महोदय—अभी इसमें कुछ नहीं बनाया गया है अभी जांच चल रही है, कृपया करके जांच को प्रभावित न करें आप इस तरह की बातें न करें.

श्री सुंदरलाल तिवारी—आप इसको पढ़ लेना.(XX)

अध्यक्ष महोदय—इसमें लिखा गया है कि मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में 6 सदस्यों का जांच दल गठित किया गया है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—डॉ.साकल्ले द्वारा आत्म हत्या करना पाया गया है यह रिपोर्ट है.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न आ गया है उसका जवाब भी आ गया है आप बैठ जायं. माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मेरा आग्रह है आप अपने दल के सदस्यों का शांत करें.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगले सदस्य रामनिवास रावत जी हैं वह भी कुछ पूछना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय—तरूण जी आप बैठ जायं आपको बाद में समय देंगे.

श्री सुंदरलाल तिवारी—मेरी बात तो हो जाने दें.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—अध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के लिये हो रहा है. यह नेता प्रतिपक्ष की कोई बात मान नहीं रहे हैं. अब तिवारी जी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले हैं.

श्री तरूण भनोत--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कालेज आता है, मैं सिर्फ 2 बातें इस सदन के अंदर उठाना चाहता हूं. डॉ. साकल्ले उसी मेडिकल कालेज में पढ़े और उन्होंने अपने पूरे जीवन की सेवा उसी मेडिकल कालेज में दी और जब यह घटना घटी, तो उस मेडिकल कालेज के डीन थे, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उस मेडिकल कालेज के डीन उस कैंपस के अंदर ही रहते थे और जब उनकी हत्या या आत्महत्या हुई, उनका पोस्ट मार्टम हुआ, तो उनका विसरा गायब पाया गया. उस मेडिकल कालेज का डीन, जिस मेडिकल कालेज में वह खुद पढ़े और उन्होंने अपने जीवन की पूरी नौकरी वहां की...

अध्यक्ष महोदय--एक प्रश्न यह हो गया, अब दूसरा और पूछ लीजिये.

श्री तरूण भनोत--दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा एक सी.डी. नेता प्रतिपक्ष को दी गई है, आपकी अनुमति मिलेगी, तो वह उसको पटल पर रखेंगे.

अध्यक्ष महोदय--उसको डिसएलाऊ कर दिया है.

श्री तरूण भनोत--कोई बात नहीं, पर मैं आपसे उल्लेख करना चाहता हूं उनकी मृत्यु के मात्र कुछ घंटों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इसलिये ज्वाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है, 2 महीने बाद मुझे रिटायर होना है और लगातार मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि खरीदी में फलाने-फलाने लोगों की मदद की जाये और उसमें

बिना 20 परसेंट के काम नहीं होता है, इसलिये मैं बहुत दुखी और व्यथित हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि 14 अप्रेल, 2014 को एक पत्र लिखकर मैंने मांग की थी कि ई.ओ.डब्लू. द्वारा जो दुबे बाबू वहां पदस्थ है, जो डीन को धमकाता है, सुपरिन्टेंडेन्ट को धमकाता है और वह लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, उसकी ई.ओ.डब्लू. के द्वारा खरीदी की जांच की जाये, परंतु बड़ा ही खेद का विषय है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया.

अध्यक्ष महोदय--इससे प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, परंतु आपकी बात रिकार्ड में आ गई. अब आप कृपया, माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें.

श्री तरूण भनोत--अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो व्यक्ति खुद फोरेंसिक का हैड आफ दी डिपार्टमेंट रहा, जांच में माननीय मंत्री जी सदन में बता रहे हैं यह पाया गया कि उनके घर में 5 लिटर कैरोसिन के तेल की कुप्पी मिली, जिसमें से उन्होंने डेढ़ लिटर अपने शरीर के ऊपर डाला था, माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लिटर मट्टी के तेल में 96 परसेंट बर्न, यह बात हजम नहीं होती है और वह व्यक्ति जो खुद उस विभाग का अध्यक्ष रहा हो, भगवान ना करे, अगर वह आत्महत्या करना चाहता था, तो वह तो एक सुई लगाकर भी अपनी जान दे सकता था.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, ऐसा नहीं लिखा है इसमें.

श्री तरूण भनोत--सायनाइड खा सकते थे.

अध्यक्ष महोदय--ऐसा नहीं लिखा है इसमें, इसको पढ़ लें.

श्री तरूण भनोत--95-96 परसेंट बर्न, यह एक साजिश है. मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के दलाल हावी होकर घूम रहे हैं. अभी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में डाबरमेन कुत्ते का जिक्र कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--नहीं, आप इसमें गलत पूछ रहे हैं. ऐसा नहीं लिखा है उसमें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ भी कहे जा रहे हैं, बिना तथ्य के परे भाषण दिये जा रहे हैं....(व्यवधान).

श्री तरूण भनोत--मैं यह कहना चाहूंगा मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के दवा के दलाल हावी होकर घूम रहे हैं, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके कारण उनको आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़ा.

अध्यक्ष महोदय--चलिये, अब आप बैठ जायें. आपका प्रश्न आ गया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--अध्यक्ष महोदय, यह बिना तथ्य के परे भाषण देते चले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, ऐसा ध्यानाकर्षण में थोड़ी होता है.

अध्यक्ष महोदय--कृपया, आप भी बैठ जाइये.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--नहीं, बैठ नहीं जाइये अध्यक्ष महोदय, मेरा साफ निवेदन है कि यहां वह प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या इस तरह से अनर्गल भाषण कर सकते हैं ? बिना तथ्य के भाषण दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय--उनको बारबार अनुरोध कर रहे हैं कि वह प्रश्न पूछें, आप कृपया बैठ जायें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--आप उसको रिकार्ड से निकालिये. कुछ भी अनर्गल बातें कहते चले जा रहे हैं.(व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत--रिकार्ड से निकालने वाली क्या बात कही है ?

अध्यक्ष महोदय--नहीं, उसमें कोई बात ऐसी नहीं है.(व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत-- रिकार्ड से निकालने वाली क्या बात कही है ?

डा.नरोत्तम मिश्रा--किस आधार पर बात कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है ?

श्री कैलाश विजयवर्गीय--अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया है.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--उन्होंने क्या आरोप लगाया है ?

श्री कैलाश विजय वर्गीय--स्वास्थ्य विभाग के दलाल का कहा है.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. जांच (व्यवधान).

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--कुछ भी भाषण देते चले जा रहे हैं, बिना किसी आधार के कुछ भी कहते चले जा रहे हैं (व्यवधान) सी.बी.आई. की जांच चल रही है...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप कृपा करके बैठ जायें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के दवा के दलाल कहा है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि 20 परसेंट कमीशन मांग रहे हैं, उनका यह कोई तथ्य है ? (व्यवधान).

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- हर बार सी.बी.आई. को दो कहते हैं (व्यवधान).

श्री तरूण भनोत--क्या बात है, स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े विचलित हो रहे हैं (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आप कृपया बैठ जायें, सुन लें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे बैठेंगे ?(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--अब आप जब सुनेंगे नहीं, तो मैं कैसे बोलूं ? आप सुनेंगे नहीं...(व्यवधान).

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--अध्यक्ष जी, आप विलोपित करायें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अब सदन की गरिमा कहां चली गई ? (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आप कृपा करके बैठ जायें.

..(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, (श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की तरफ देखते हुए) यह तो आपको डांट रहे थे. यह गलत बात है. यह कैसे डांट रहे थे आप.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, वह डांट नहीं रहे थे, उत्तेजना में बोल रहे थे. गृह मंत्री जी.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, (प्रतिपक्ष के सदस्यों को) क्या आप लोग इसकी सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते. अगर आप सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते, तो हम इसको वापस ले सकते हैं.

(प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा बैठे बैठे कहा गया कि सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं.)

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- (xx)

अध्यक्ष महोदय -- यह कोई बात नहीं है. यह बात कार्यवाही से निकाल दीजिये.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, सीबीआई जांच की घोषणा हो गयी है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम इसको वापस ले सकते हैं. बार बार यह प्रश्न आ रहा है. पहले यह तय कर लें कि वह सीबाई से जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं.

..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) -- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी को केवल एक बात का अनुरोध करता हूं कि आपने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपके सचिवालय को एक पत्र दिया था, जिसमें सिटी केबल का उल्लेख था. ..

अध्यक्ष महोदय -- वह डिस एलाऊ हो गया है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, उसको सीबीआई जांच के लिये..

अध्यक्ष महोदय -- अब वह डिसएलाऊ हो गया है. नहीं, वह आपको जहां देना हो, वहां दीजिये. जो डिस एलाऊ हो गया है, उस पत्र की चर्चा नहीं की जा सकती है. नहीं, माननीय सदस्य.

(xx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, यह सुभाष चन्द्र बोस कालेज के फोरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष थे. मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि क्या व्यापम की ओएमआर शीट परीक्षण करने कितनी गयीं, उसको इसमें सम्मिलित कर लें.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, उसका उत्तर आ गया है. यह विलोपित कर दें. यह ठीक नहीं है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, प्लीज इसको जांच में सम्मिलत कर लें.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, यह विलोपित कर दें. इसका उत्तर नहीं आयेगा.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के सब सदस्यों की ओर से एक निवेदन करना चाहता हूं. मैं गौर साहब का आभारी हूं कि ..

अध्यक्ष महोदय -- कृपा करके एक ही निवेदन करें और विषय से बाहर नहीं जायें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीबीआई जांच के लिये कहा. गौर साहब, हमें कोई सवाल नहीं करना. हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपने सीबीआई जांच स्वीकार की. हमें भरोसा है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष होगी और जो होगा, रिजल्ट हमारे सामने आयेगा.

12.43 बजे **विशेषाधिकार भंग की सूचना**

नेता प्रतिपक्ष, श्री सत्यदेव कटारे द्वारा कमण्डल,घण्टी और भगवा वस्त्र सदन में लाने तथा श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा बिना अनुमति सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- अध्यक्ष महोदय, हमने मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164 के अन्तर्गत माननीय सत्यदेव कटारे जी, नेता प्रतिपक्ष और मध्यप्रदेश विधान सभा के उप नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय बाला बच्चन जी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना हमने आपको कल दी है. हमारा निवेदन है कि इसको ग्राह्य करें, इस पर चर्चा करायें, इसको समिति को सौंपने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय ----

नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य द्वारा सदन में कमण्डल एवं घण्टी लाये जाने और उसका प्रदर्शन कर सदन में अव्यवस्था फैलाये जाने के संबंध में मुझे निम्नलिखित सदस्यों की ओर से सदन का विशेषाधिकार भंग किये जाने संबंधी सूचनायें प्राप्त हुई हैं :

1. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
2. डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री
3. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य
4. श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य

चूंकि श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य की सूचना सबसे पहले प्राप्त हुई है। अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ।

आज दिनांक 9 जुलाई, 2014 को सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और आसंदी पर माननीय सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह आसीन थे। उस समय जब माननीय श्री गिरीश गौतम अपना भाषण दे रहे थे, तब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया।

माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य ने कमण्डल, घण्टी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा।

माननीय सभापति/उपाध्यक्ष जी द्वारा सदन में यह सब करने से मना भी किया गया।

माननीय कटारे जी बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आये और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रखा गया।

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों में इस तरह से सदन में वस्तुओं को लाना या उनका प्रदर्शन करना वर्जित है। निश्चित रूप से श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन ने जो कृत्य किया है, वह न केवल आपत्तिजनक है, अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है।

अतः मैं श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना देते हुए, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहूँगा।

मंत्री, संसदीय कार्य (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की बहुत गरिमा है. पंडित कुंजीलाल दुबे जी से लेकर के आज तक सभी ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है. हम सब जितने सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों, इस पक्ष के हों, उस पक्ष के हों, निष्पक्ष हों, निर्दलीय हों, हम सभी को आसंदी से ताकत मिलती है, सदन से ताकत मिलती है. अगर इस सदन की गरिमा का हम सभी सदस्य जो 230 चुनकर के आये हैं वे गिराने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह हम सबके लिये बहुत हेय बात होगी. अध्यक्ष महोदय, गिराने की कोशिश कौन कर रहे हैं जो एक संवैधानिक पद पर हैं नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं. वे अगर इस तरह का आचरण करेंगे तो बहुत अशोभनीय कहलाता है. एक ऐसी वस्तु को लेकर के सदन में आये कि अगर उसको खींचकर के सिर में मार दें तो सिर फट जाये, अनुमति ली नहीं. बाहर मार्शल ने रोका तो मार्शल के रोकने पर भी नहीं माने, अगर मार्शल जद्दोजहद करे तो एक अप्रिय स्थिति बनती है. हम इस सदन की मर्यादा को रखने के लिये हम इसको अपना मंदिर मानते हैं. और इसलिये हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री जब लोक सभा में जाता है तो अपना माथा उसकी दहरी पर लगाता है, हम भी जब सदन में आते हैं तो इसके पेर छूते हैं. क्योंकि यह लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर के साथ में कोई और भी छेड़ छाड़ नहीं करे यह हम सब सदस्यों की जिम्मेदारी है. कई बार इसी तरह से क्षणिक आवेश में आकर के यहां इसी सदन में अप्रिय स्थिति बनी है. इसी सदन के अंदर दो सदस्यों की सदस्यता सिर्फ इसलिये चली गई कि यहां पर हम इस सदन की मर्यादा का ध्यान रखें. इस आसंदी का ध्यान रखें. लेकिन इन सबके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति अगर इस तरह का आचरण करता है तो इसको मैं अत्यंत अशोभनीय मानता हूं और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इसको आप समिति को दें जिससे इस पर क्या कार्यवाही हो, क्या नहीं हो , इसका निर्णय आपके सामने आये और सदन और सदन के माध्यम से पूरे मध्यप्रदेश की जनता यह देखे कि सदस्यों का आचरण किस तरह का होना चाहिये, बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- जिनके विरूद्ध सूचना है वे बोलना चाहें तो प्राथमिकता दी जायेगी.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, सरकार को मालूम था जो प्रस्ताव लाने वाली है, आपको मालूम था क्योंकि आपसे अनुमति ली थी. हमें तो मालूम नहीं था, इस पर चर्चा करवाईये . हम जबाव देंगे.

अध्यक्ष महोदय-- मेरे से कोई अनुमति नहीं ली.

श्री सत्यदेव कटारे-- फिर बिना आपकी अनुमति के कैसे आ जायेगी.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- मेरा निवेदन है कि हम स्वीकार करते हैं. इस पर चर्चा हो जाये.

श्री सत्यदेव कटारे-- आपकी बिना अनुमति के कैसे आ जायेगी, क्या हमें नहीं मालूम है कि क्या होता है.

अध्यक्ष महोदय-- सूचना दी है अनुमति नहीं ली. सूचना में और अनुमति में अंतर होता है नेता प्रतिपक्ष जी इस बात को आप समझें.

श्री सत्यदेव कटारे-- जी. हमें भी मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या होता है.

अध्यक्ष महोदय--मैंने कोई अनुमति नहीं दी. अनुमति तो अब होगी बाद में.चर्चा के बाद में अनुमति होती है.

श्री सत्यदेव कटारे -- आप समिति को भेज दीजिये . विशेषाधिकार समिति बनी हुई है भेज दे.

अध्यक्ष महोदय-- आपने कह दिया.

श्री सत्यदेव कटारे -- जी हां, मैं तैयार हूं. पूरा दल तैयार है आप तो भेजो.

अध्यक्ष महोदय-- अभी उनकी बातें भी सुनेंगे जिन दूसरे लोगों ने सूचना दी है.

श्री बाला बच्चन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता .

वन मंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है अगर कमंडल लेकर के आये तो कोई गुनाह नहीं किया.

एक माननीय सदस्य-- कल से सदन के सारे सदस्य कमंडल लेकर के आने लगें तो सदन की क्या स्थिति बनेगी.

श्री रामनिवास रावत-- आप लोग कमंडल के कब से विरोधी हो गये.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके बैठ जाएं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम और परम्परायें हैं उसमें किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा विशेषाधिकार भंग की सूचना दी जाती है और जब उस सूचना को आसंदी से पढ़कर के सुनाते हैं तो स्वत: उस पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है और इसके बाद चर्चा में जो भी माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं वे और जिनके नाम हैं वे इस पर चर्चा करते हैं इसके बाद आसंदी से उस प्रस्ताव पर निर्णय आता है और तब चर्चा समाप्त होती है तो चर्चा प्रारंभ हो चुकी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जब चाहे तब चर्चा करा लें. चर्चा तो प्रारंभ हो ही गई है.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी आप कृपया विशेषाधिकार के विषय पर आयें. आपने सूचना दी है. आप कुछ कहना चाहते हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय सत्यदेव जी कटारे एवं श्री बाला बच्चन माननीय सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं. मैं स्वयं भी उस वक्त मौजूद था.जब कमंडल बताये थे उस वक्त मैं नहीं था लेकिन मैंने जब आसंदी पर रखे कमंडल और घंटी और वह सब देखा और सदन में बहुत ताकत के साथ वाद-विवाद चल रहा था. इधर वाले कुछ कहना चाहते थे, सामने वाले व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे. ऐसी स्थिति में मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर कारण क्या है, तब

यह पता चला कटारेजी, बाला बच्चन और अन्य सदस्य सदन में एक भारी वज़नी कमंडल और भगवा वस्त्र लेकर ...

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- कितने क्विंटल का था.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, यह भगवा वस्त्र का भी सम्मान है. यदि योग्य व्यक्ति भगवा वस्त्र डाले तो भगवा वस्त्र का सम्मान होता है (मेजों की थपथपाहट) और गैर जिम्मेदार जिनका कोई ठिकाना नहीं है और जनता में जिन्हें कोने में बैठा दिया. ये भगवा वस्त्र डालने से आप भगवा का अपमान कर रहे हैं. मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि कोई धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति कमंडल रखे तो कमंडल का सम्मान है और गलत नीति वाले यदि कमंडल रखेंगे तो हथियार जैसा माना जायेगा.अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात फिर से प्रारंभ करता हूं.

श्री गोपाल भार्गव-- अभी आप डॉक्टर साहब को 2-5 साल नहीं समझ पाओगे. (हंसी)

अध्यक्ष महोदय-- (श्री जितू पटवारी, सदस्य के दूसरे सदस्य के स्थान से बोलने पर) माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठें अन्यथा कोई बात नहीं कहें.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, आप में यदि योग्यता है. आप में यदि पात्रता है और आप समझते हैं कि मुझे भगवा वस्त्र गले में डालना चाहिए तो डालिए नहीं तो दुनिया क्या समझ रही है यह हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि कुल मिलाकर यह सब ढोंग करना है और यह सब अखबारों में पब्लिसिटी के लिए है.

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर आता हूं. एक तो मैंने यह देखा और पूरी बात सुनी कि यहां सदन के पटल पर कमंडल और कमंडल के भीतर घंटी और एक भगवा दुपट्टा यहां पर रखा हुआ था. इसके बाद सम्मानीय सदस्य श्री रामनिवास रावत जी ने खड़े होकर यह कहा कि पिछले विधानसभाओं में एक लंबा दस्तावेज का प्रदर्शन किया था. जब वह प्रदर्शन कर सकते हैं तो कमंडल का प्रदर्शन भी कोई असंवैधानिक नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मैं तत्काल अपनी पुरानी स्मृति में गया

और मुझे याद आया कि वह दस्तावेज तबादलों के आदेश थे जिनको मैंने एक के बाद एक चिपका कर हम कुछ सदस्यों ने उसको रखा था और उस जमाने की तत्कालीन जो सरकार थी वह किस तरीके से तबादलों में भ्रष्टाचार कर रही थी, कर्मचारियों को परेशान कर रही थी, लोग तकलीफ उठा रहे थे और उन कर्मचारियों के तबादले किये जा रहे थे और तबादलों में भारी लेन-देन और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे. पूरे प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां व्याप्त थीं तब मैंने उचित समझा. मैंने उस पर स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि प्रदेश में तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है और गलत तरीके से तबादले किये जा रहे हैं, उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए मैंने उसके पक्ष में वह दस्तावेज बताये थे. अब दस्तावेजों को एक सिक्वेंस में लगाकर लंबाई में ही रखा जा सकता है.

श्री रामनिवास रावत-- XXX

अध्यक्ष महोदय-- यह कार्यवाही से निकाल दें.

(XXX) **आदेशानुसार रिकार्ड से निकाल दिया गया.**

डॉ. गौरीशंकर शेजवार – अध्यक्ष महोदय मैंने जैसे ही वह दस्तावेज और कुछ माननीय सदस्यों की मदद से...

श्री रामनिवास रावत – माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुआ है वह कार्यवाही में रहे और मैं कह रहा हूं कि व्यापम में भ्रष्टाचार के लिए जमीर नहीं जाग रहा है.

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ जायें आप समझ लें उसको, वह उस विशेषाधिकार की चर्चा कर रहे हैं, जो पहले लिया गया था आपके द्वारा.

श्री रामनिवास रावत – वह भी निकाला जाय, वह विशेषाधिकार से संबंधित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय – आप समझ लें वह संबंधित है. बैठ जायें मैं समझाता हूं. पहले इस तरह का एक विशेषाधिकार आ चुका है. वह इस प्रकरण में आया था जो मैं बता रहा हूं यह एक पूर्व

उदाहरण है वह तो देना होगा इसीलिए उसी के तारतम्य में यह विशेषाधिकार आया है. वह अपना पक्ष रख रहे हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार – यहां पर हम चाहते हैं कि विषय आ जाये और बात पूरी आ जाय. मैंने अध्यक्ष महोदय को वह दिखाया . इसके बाद में अध्यक्ष महोदय ने 5 मिनट के लिए विधान सभा स्थगित कर दी और मेरे पास में सही तारीख नहीं है और वह विषय वस्तु भी नहीं है क्योंकि वह पटल पर और सदन में नहीं आयी है. कुछ दिन के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक ऐसी घोषणा की कि इन इन सदस्यों के खिलाफ में एक विशेषाधिकार का मामला आया है. मैं उसे सदन की समिति को सौंपता हूं. विषय वस्तु उस समय संभवत: आसंदी से नहीं पढ़ी गई. अध्यक्ष महोदय, आगे वह फिर दूसरे प्रकरणों में गया है मेरे खिलाफ में केवल वह जो दस्तावेज थे दस्तावेजों का संकलन था, संकलन करने का मेरा अपना एक तरीका था उसको मैने बताया और वह समिति को सौंपा गया. बाद में साक्ष्य हुए हैं ब्यान हुएहैं सब चीजें हुई वह एक अलग विषय है. क्योंकि आज मेरे विभाग का ध्यानाकर्षण मेरे प्रश्न थे. कल व्यस्तता के कारण कल मैं उन सब चीजों को कार्यवाही को नहीं निकाल पाया. इसलिए वह तारीख और वह सही शब्दावली नहीं बता पा रहा हूं. यदि मुझे एक दिन का भी मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने रखता लेकिन मेहरबानी करके आपसे मेरा आग्रह है कि विधान सभा की कार्यवाही से आप यह सब चीजें निकलवायें और देखें.

अध्यक्ष महोदय दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं. अगर हम कौल शकधर के पेज नंबर 268 पर आयें और इसके क्रमांक दो में लिखा है कि – संसद भवन संपदा के भीतर संपूर्ण क्षेत्र और सभी मार्ग संसद सदस्यों के लिए किसी अड़चन अथवा बाधा से मुक्त रहें, खुले रहने के लिए संसद भवन संपदा की सीमा क्षेत्र भीतर निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं—मेरा कहने का मतलब यह है कि यह तो आपने सदन में किया है. यदि सदन से बाहर भी और विधान सभा के परिसर में भीतर

भी यदि आप यह करते तो यह निषिद्ध है. आप नहीं कर सकते हैं इसके लिए प्रतिबंध है. अध्यक्ष महोदय, जिन चीजों के लिए प्रतिबंध है इसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है – आग्नेय अस्त्र, झंडे , इश्तहार, लाठियां, भाले, तलवारें, डंडे और अन्य वस्तुएं इन सब चीजों का इसमें वर्णन है.

श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना – अब इसमें कमण्डल भी लिखा है क्या.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- कमण्डल के बारे में, यदि कोई चीज प्रासंगिक है तो एक बार मान भी लें. माननीय अध्यक्ष महोदय, से आपने अनुमति ली है तब भी हम मान लें इस बात के लिए, लेकिन बिना अनुमति के आक्रमक होकर, नाराज होकर आप क्या करना चाहते थे. यदि आदमी बहुत तेज है. मैं यहां पर किसी को क्रूक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा. लेकिन यदि उसकी भावना अच्छी नहीं है, और टेम्परामेंट अगर खराब है तो इस कमण्डल को यह गुस्से में मुझे भी मार सकते थे, गौर साहब को भी मार सकते थे, अध्यक्ष महोदय आप कल्पना करें कि यह भारी कमण्डल जिसमें पकड़ने के लिए सब कुछ है, यदि इनकी नीयत बदल जाती यदि इनकी नीयत यह होती कि यह आघात पहुंचाना चाहते हैं जिसके सिर पर कमण्डल पड़ता वह बचता नहीं, जिंदा नहीं रहता .

श्री बाला बच्चन – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहताहूं कि मेरे बारे में बतायें मैं ऐसा कर सकता था क्या.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और यदि कटारे जी यह कर सकते थे तो योजना में षड्यंत्र में आप भी मारे जाते. (हंसी)..अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात को संक्षेप में करते हुए यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कृत्य करने वालों के लिए...

अध्यक्ष महोदय - विचाराधीन विशेषाधिकार सूचना पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, इसी के आगे के आखिरी पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूं कि - ...यदि अध्यक्ष प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित व्यक्ति ने निदेश का घोर उल्लंघन किया है...

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, लंच के बाद चर्चा जारी रखें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - ...तो वह इस मामले को सभा को कर सकता है और सभा इस संबंध में पेश किये गये प्रस्ताव के आधार पर उसे सभा की अवमानना के लिए दंड दे.

अध्यक्ष महोदय - उनका समाप्त हो गया है, दो-दो मिनट दो सदस्य और बोलेंगे.

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, हम लोग लंच के बाद आएंगे, सुनेंगे, चर्चा जारी रखना. हम अभी नहीं बैठ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - दो-दो मिनट लगेंगे, अब कार्यवाही बढ़ा दी है.

श्री सत्यदेव कटारे - (व्यवधान)..हम बहिर्गमन कर रहे हैं. (व्यवधान)..ढ़ाई बजे के बाद बैठेंगे.(व्यवधान)..

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने भोजनावकाश न कर सदन की कार्यवाही बढ़ाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

अध्यक्ष महोदय - चर्चा तो पूरी होगी. (व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग - अध्यक्ष महोदय, आसंदी की व्यवस्था पर इस तरह से प्रश्न चिह्न लगाना, यह तरीका ठीक नहीं है. यह निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - दो माननीय सदस्य बचे हैं.

श्री विश्वास सारंग - अध्यक्ष महोदय, एक बार आसंदी से व्यवस्था आ गई, उसका परिपालन करना सबका कर्तव्य है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, जिस सदस्य के विरुद्ध सूचना प्राप्त हुई है, उसकी कापी हमें नहीं मिली है. (व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - अध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी मनमर्जी है, मनमानी है.

श्री विश्वास सारंग - यह दबाव की राजनीति यहां नहीं चलेगी.

अध्यक्ष महोदय - अब व्यवस्था आ गई है, सदन ने सहमति दे दी है. दो-दो मिनट दो सदस्य बोल देंगे.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिन सदस्यों के खिलाफ सूचना दी गई है, उस सूचना की कापी भी कि उसके क्या तथ्य हैं, क्या विषय-वस्तु है, हम सदस्यों को नहीं मिली है तो कैसे अपनी बात रख पाएंगे? लंच के बाद इस चर्चा को ले लें तो उसका प्रतिवाद भी कर पाएंगे और पूरी बात अपनी रख पाएंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई नियम, प्रक्रिया नहीं है लेकिन अध्यक्ष जी, वे कह रहे हैं तो लंच के बाद ले लें.

श्री रामनिवास रावत - अब संसदीय कार्यमंत्री जी सहमत हैं तो बाद में ले लें.

अध्यक्ष महोदय - ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि मोशन की कापी अभी दी जाय किन्तु निर्णय होने के पहले आपको सुने बिना अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. अभी तो सुन रहे हैं जिन्होंने प्रिविलेज दिया है उनको, निर्णय होने के पहले एक बार फिर से आपको चांस देंगे. उस वक्त आप चाहें तो समय ले भी सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि आप निर्णय कर रहे हैं उसके पहले हमें सुनें ताकि हम सब यह विषय देख सकें. अभी समय बढ़ा दिया है सदन की सहमति से. दो माननीय सदस्य बचे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहेंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, यह पैराग्राफ पूरा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा. "यदि अध्यक्ष प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित व्यक्ति ने निदेश का घोर उल्लंघन किया है तो वह इस मामले की रिपोर्ट सभा को कर सकता है." यह उस परिस्थिति में है जबकि सदन के बाहर कोई घटना हो. लेकिन यह घटना तो सदन के भीतर रही है. माननीय सभापति और उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस घटना को देखा है और अध्यक्ष महोदय बात आप तक आई है. इस संबंध में पेश किये गये प्रस्ताव के आधार पर उसे सभा की अवमानना के लिए दंड दे सकती है यह सभा. अध्यक्ष महोदय, अब परिस्थितियां ये बनती है या तो आप प्रत्यक्ष रूप से इनको दंड दें और सदन के भीतर ये दंडित किये जायं. दूसरी परिस्थित यह है कि विशेषाधिकार भंग और अवमानना, यह सदन की भी अवमानना है. अध्यक्ष महोदय, यह सदस्यों का विशेषाधिकार भी है कि अच्छी बहस वे सुनें, अच्छे से बातचीत करें. बातचीत में कहीं कोई व्यवधान न आए. इस प्रकार से कोई अस्त्र-शस्त्र या वस्तुएं प्रदर्शित न की जायं. यह कुल मिलाकर सदस्यों को डराने और धमकाने वाली बात है. इसमें ऐसे व्यक्ति को सभा भी दंड देगी और दूसरी परिस्थित यह है कि आप कहीं और जांच पड़ताल या इन लोगों को बोलने का मौका देना चाहते हैं तो विशेषाधिकार समिति को इस प्रकरण को यदि आप सौंप देंगे तो इन्हें वहां अपनी सफाई देने का भी मौका मिलेगा. फिर से एक बार यह सदन में आएगा और सदन समझेगा तो उस पर भी फिर से एक बार चर्चा कर सकता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्होंने सदन में बाधा डाली है, सदस्यों को डराया है. इन्होंने ऐसी चीजें लाकर मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से धौंस दी है और इन्होंने सदन की अवमानना भी की है. अवरोध पैदा किया है और इन्होंने सदन का विशेषाधिकार भंग किया है. समिति को यह प्रकरण सौंपा जाय. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर)**-** माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार को लेकर के जो नियम और प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यहां तक है कि किस संदर्भ के नारे सदन के अंदर लगना चाहिए. अगर कोई नारा प्रतिबंधित है और वह उल्लेखित है कि यह नारा सदन के अंदर नहीं लगेगा

तो नहीं लगा सकते. ये बड़ा गंभीर विषय है. अध्यक्ष महोदय,मुझे ऐसा लग रहा है कि चौदहवीं विधान सभा में प्रतिपक्ष जितना कमजोर है उतना ही उनका नेता भी कमजोर है. न नीति है, न नीयत है और न नेतृत्व है. अब जिस विशेषाधिकार हनन को लेकर के ,एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, आपने इसको स्वीकार किया है. बाला बच्चन और नेता प्रतिपक्ष दोनों अभी सदन से उठ कर चले गये. मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, तेरहवीं विधान सभा में भी हमने दो- दो नेता प्रतिपक्ष देखे थे. इसी सत्र में प्रतिपक्ष के लोग एप्रिन पहन कर आए, किसी ने आपत्ति नहीं की. हम सबने स्वीकार किया. विरोध प्रदर्शन करने के तरीके होते हैं. लेकिन कमण्डल ले आएँगे, घंटी ले आएँगे. कुछ ऐसी वस्तुएं ले आएँगे जिनके बारे में आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया. कल गोपाल भर्गव जी बता रहे थे, आदरणीय कैलाश जी बता रहे थे. अगर उसको उठा करके किसी के ऊपर पटक दिया तो? ये ठीक है कि नेता प्रतिपक्ष की या विधान सभा में आने वाले किसी सदस्य की कोई जांच परख नहीं होती. अगर ऐसी वस्तु लेकर अंदर आ जाएं तो खतरनाक साबित हो सकता है. अध्यक्ष महोदय, क्या परिदृश्य होंगे. इसलिए मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि यह विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव आया है उसको समिति को सौंपना चाहिए, गंभीर मामला है. ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ती न हो. मुझे तो लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कुछ किया है , आज सदन में प्रारंभ में वे आकर क्षमा याचना कर सकते थे. मुझ कल तक लग रहा था कि जो गलती की वह मीडिया में छपने के लिए. मैने देखा बाहर चल कर के और आज भी गेट के बाहर खड़े है, दुपट्टा पहन कर आ गए. दुपट्टा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है , जितू भाई हम तो रोज ही पहनते हैं ,आप इसको बारह महीने पहनें, पांच बरस पहनें, कांग्रेस के कार्यालय में भी पहन कर जाएं. आप जहां जहां जाएं, जिस जिस स्थान पर जाएं इस दुपट्टे को इसी प्रकार से गले में लटका कर रखें. (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है. आखिर विशेषाधिकार क्या है? सदस्य के क्या विशेषाधिकार हे, हैं. घटना के समय कैसा विशेषाधिकार है, हम किस प्रकार का आचरण करेंगे, किस प्रकार का हम प्रदर्शन करेंगे. ये सारी चीजें विधि के अंतर्गत हैं. नियम के अंतर्गत हैं, प्रक्रिया के अंतर्गत हैं. इसलिए मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार के हनन को लेकर जो प्रस्ताव आया है वो समिति को सौपना चाहिए.

श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर (परिवहन मंत्री)- माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार, चाहे हमारे संसद हो या विधानसभा हो, ये हमारे सभी माननीय सदस्य एक तरह से हमारे संविधान की जो इच्छा है ,आत्मा है वह यह है कि यह हमारा सुरक्षा कवच है. माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छे से याद है,आप भी उस समय थे मैं भी था, हमारे माननीय भार्गवजी भी थे, हम लोगों के साथ एक घटना उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के द्वारा हुई थी. उसको लेकर हम लोग

विशेषाधिकार लेकर सदन के अंदर आए थे. वह विशेषाधिकार प्रस्ताव मेरी ओर से था. उस समय माननीय सत्यव्रत चतुर्वेदी उस विशेषाधिकार समिति के सभापति थे और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर माननीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने तमाम दबाव के बावजूद भी उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार समिति में कार्यवाही की अनुशंसा की थी. अध्यक्ष जी, इस विशेषाधिकार समिति को इतना अधिकार है कि हम किसी को भी यहां पर लाकर इस समिति के माध्यम से जेल तक की सजा सुना सकते हैं. अध्यक्ष जी, यह हमारी संसदीय नियम प्रक्रिया है और संसदीय नियम प्रक्रिया में ,कौल शकधर की. इसमें जो विपक्ष की भूमिका है इसके बारे में कहा गया है , विपक्ष की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है और संसदीय प्रणाली में उसे उचित स्थान दिया गया है. अतः विपक्ष का नेता और विपक्ष महत्वपूर्ण होता है. अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे कहा गया है कि विपक्ष के नेता को स्वयं बड़ा कुशल, संसदविद् होना चाहिए और जटिल परिस्थतियों से भलीभांति परिचित होना चाहिए. उसे सभा के नियमों का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए. इस विशेषाधिकार समिति का जो विषय है, इस विषय से स्पष्ट होता है कि जो हमारा कांग्रेस का विधायक दल है, जिनको नेता प्रतिपक्ष चुना है, वह स्वयं इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो यह जो हमारे सदन का सम्मान है और जो अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, यह उस अधिकार का हनन करने का प्रयास है और बहुत गंभीर विषय है और इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इसको आप स्वीकार करें और ऐसे व्यक्ति को एक मिनट भी नेता प्रतिपक्ष बने रहने का अधिकार नहीं है.

श्री शैलेन्द्र जैन-माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 जुलाई को जो कुछ भी यहां घटित हुआ, वह आपने, हमने और पूरे सदन ने देखा है. यह सदन नीति,नियम और मान्य परंपराओं से चलने वाला सदन है और इस सदन को गरिमा को कम करने का प्रयास वह भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जाय और ऐसी वस्तुएं जिनका अपना अलग महत्व है, उनका अपना अलग सम्मान है. गेरूए कपड़े का

सम्मान है, हमारे कमंडल और घंटियों का सम्मान है, लेकिन उनका सम्मान मंदिर में होना चाहिए, उनका एक स्थान निश्चित है और यहां सदन में लाकर

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य एक मिनट. आपको अवसर देंगे. विशेषाधिकार सूचना पर सदन की सहमति से समय में वृद्धि कर चर्चा जारी थी, इस पर प्रस्तावक सदस्यों के साथ जिन सदस्यों के विरूद्ध यह सूचना थी, उनको भी मैं सुनना चाहता था, किंतु वे इसी दौरान सदन से चले गए, फिर भी भोजनावकाश के पश्चात उनको एक अवसर मैं और देना चाहता हूं. इसलिए भोजनावकाश उपरांत भी इस पर चर्चा जारी रहेगी.

मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर संचालित संसदीय विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु संसदीय रिपोर्टिंग के विजेता पत्रकारों तथा युवा सांसद, वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिताओं के विजेत विद्यार्थियों को आज दिनांक 10.7.2014 को दोपहर 1.00 बजे से 2.30 बजे तक विधानसभा सचिवालय के मान सरोवर सभागार में पुरस्कार वितरण किये जा रहे हैं. तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा युवा संसद मंचन प्रस्तुत किया जायगा.

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों में उपस्थित होने का कष्ट करें.

सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित

(1.13 बजे से 3.00 बजे तक का अंतराल)

3.06 बजे विधानसभा पुन: समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय(डॉ.सीतासरन शर्मा)पीठासीन हुए

श्री शैलेन्द्र जैन(सागर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपसे मुखातिब था, 9 जुलाई को इस सदन के अन्दर जो कुछ भी हुआ उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता . माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें नियम, प्रक्रिया और परम्पराओं का निश्चित रुप से ज्ञान होना आवश्यक है और जिस तरह से बगैर आसंदी की अनुमति के सामग्रियां यहां लेकर के आये, उनको यहां पटल पर रखने की चेष्ठा की, यह सब कार्य निंदनीय है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता. अभी सदन में लगभग आधे सदस्य पहली बार जीत कर आये हैं. वे जो कुछ भी यहां देखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं तो उन सारे नये विधायकों के प्रति हमारा जो दायित्व है वह और भी मजबूत होता है तो इस वजह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कुछ भी हुआ और फिर वे वस्तुएं भी सम्मान का प्रतीक हैं, कमण्डल है, घण्टा है, ये सारी चीजें सम्मान की प्रतीक हैं लेकिन इनका अपना स्थान है. उनके स्थान को बदलकर हम यहां पर ब बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से रखने की कोशिश की और उन वस्तुओं का भी असम्मान हुआ तो इससे न सिर्फ सदन की गरिमा कम हुई है और जो हमारे मान बिन्दु थे उनकी भी गरिमा कम हुई है. मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस संबंध में जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है उसको विशेषाधिकार समिति को दिया जाए और इस पर गंभीरता से साथ कार्यवाही होना चाहिए.

श्री शंकरलाल तिवारी(सतना)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में बोलने का अवसर आपके आशीर्वाद से तमाम् विषयों पर सभी विधायक साथियों को मिलता रहता है और आज जिस विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है और जिस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ, यह विधानसभा के लिए और लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए शुभ लक्षण नहीं है. इसे

उचित विषय इस समय इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सूचना नेता प्रतिपक्ष पर है और नेता प्रतिपक्ष सदन के नेता के बाद दूसरे नम्बर...

डॉ. गोविन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि विशेषाधिकार का मामला माननीय अध्य़क्ष के अधिकार में रहता है. माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत कर दिया. अब यह न तो ये ध्यानाकर्षण है, न स्थगन है और इस पर इतनी लम्बी चर्चा पहले कभी नहीं हुई है. अभी तक ऐसी कोई परम्परा नहीं रही, 20-25 साल से मैं भी इस सदन में हूँ कि विशेषाधिकार का मुद्दा जब आये तो उस पर बहस हो. जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया उनकी बात हो गई अब यदि पूरा सदन उस पर अपनी अपनी बात कहेगा तो फिर हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कल आप इस विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दें तो कल इस पर लम्बी चर्चा हो जाएगी लेकिन अभी तक ऐसी परम्परा नहीं रही है.

अध्यक्ष महोदय—सदस्यों के विचार सुने जाते हैं.

डॉ. गोविंद सिंह—अभी 20-25 साल से तो हमें कोई उदाहरण ऐसा दिखा नहीं है. तमाम विशेषाधिकार के प्रकरण आए हैं. जब यहाँ चर्चा होगी तो विशेषाधिकार समिति क्या चर्चा करेगी, काहे का परीक्षण करेगी. विशेषाधिकार समिति को सुनने का अधिकार है . वह पूरा परीक्षण करेगी, गवाहों के साक्ष्य लेगी, सबूत लेगी और जब सदन में चर्चा हो रही है तो फिर उस समिति का कोई औचित्य नहीं बचता है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोविंद सिंह जी की बात पर कुछ उदाहरण देना चाहता हूं. जब सम्माननीय यज्ञदत्त शर्मा जी स्पीकर थे तो रेवनाथ चौरे जी स्वास्थ्य मंत्री थी, असत्य जानकारी देने के विरोध में उनके खिलाफ एक विशेषाधिकार भंग की सूचना आई थी और वरिष्ठ सदस्य जो यहाँ बैठे हैं, यह उस वक्त सदन में थे और मेरा अनुमान है कि साढ़े तीन घंटे उस विषय पर चर्चा हुई थी और माननीय यज्ञदत्त शर्मा जी ने इन सबको सुना था तो परंपरा

यह ही है कि जब भी कभी विशेषाधिकार भंग की सूचना किसी सदस्य द्वारा किसी के खिलाफ आए तो सदन की जानकारी , सदस्यों के मत उस पर लिये जाते हैं और डिस्कशन होता है . आसंदी की तरफ से यह एक साफ सुथरी और पारदर्शिता वाली प्रक्रिया है. गोविंद सिंह जी आप बहुत अनुभवी हैं लेकिन आप जब देखेंगे तो मेरी बात गलत नहीं निकलेगी.

अध्यक्ष महोदय-- यह नियम 168 आप देख लेंगे इसमें भी है कि सभा विचार करेगी. "यदि नियम 167 के अधीन अनुमति दे दी जाये तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी ". इसमें पहले चर्चा होती है. नियम 167 में है कि "यदि अध्यक्ष नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है". चर्चा के लिए .अभी इसको समिति को सौंपा नहीं है तो इस तरह से यह चर्चा सभा में होती है, उसके बाद ही विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है, सीधे भी सौंप सकते हैं, दोनों तरह की परंपरायें हैं और अन्य भी पूर्व उदाहरण हैं आप कक्ष में आएंगे तो आपको बतलाएंगे.

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न गोविंद सिंहजी ने उठाया उसमें एक शब्द का उल्लेख किया कि मेरे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ. तो मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब सम्मानित सदस्य 1990 में चुनकर आए थे उस वक्त माननीय पंडित बृजमोहन मिश्र जी अध्यक्ष थे और रामलखन शर्मा जी के विषय पर विशेषाधिकार आया था और उस पर भी चर्चा हुई थी और उस समय यह भी सदस्य थे.

अध्यक्ष महोदय--- मतलब कई पूर्व उदाहरण भी हैं और नियम भी है.

श्री शंकरलाल तिवारी--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह विशेषाधिकार भंग की सूचना अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है और पूरे सदन के लिए और लोकतांत्रिक

मर्यादाओं के लिए कहीं न कहीं अत्यंत गंभीर बन जाती है जब यह विशेषाधिकार सूचना हमारे विधानसभा के साथी और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लाई गई हो. मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष से सभी विधायक सीखते हैं. हम जब 2003 में पहली बार चुनकर आए थे तो श्रीमती जमुनादेवी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सरकार पर करारे वार करती थीं, चोट करती थीं. इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष हुए हैं औऱ पहले भी रहे हैं.मध्यप्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का अपना एक इतिहास रहा है. कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल जी पटवा,विक्रम वर्मा जी और गौरीशंकरजी का भी इतिहास रहा है. मैं कहना चाहता हूं कि विगत 9 तारीख को जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने अजीब किस्म की हरकत की ,वह सारे नियम कानून के ज्ञाता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं पर उसके बावजूद जिस तरह गरूड़ घंटी वह लेकर आए, घंटी को आप केवल घंटी भले ही माने पर उसमें गरूड़ चिन्ह होता है. जिस तरह मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है और मूर्ति को स्नान ध्यान पूजा पाठ कर भोग लगाया जाता है उसी तरह गरूड़ जी की भी पूजा उसी मंदिर में, उस गरूड़ घंटी के आसन पर होती है और फिर न कोई जन सवाल था, न किसानों का मामला, न कोई मजदूरों का मामला, न कोई गरीबों का मामला, न ओला का, न अकाल का, न पाले का, मामला सिर्फ था मुख्यमंत्री जी की किस तरह से मानहानि हो. मुख्यमंत्री जी को किस तरह से लक्ष्य करके नीचा दिखाया जाए. व्यापम, व्यापम, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है. एकतरफा बात चल रही है. व्यापम पर आपने चर्चा का अवसर दिया. स्थगन प्रस्ताव आपने स्वीकार किया पर यहाँ पर सिर्फ उनके परिवार की एक बिटिया को लांछित करने के लिए, उस पर भी चर्चा उन्होंने कर ली पर उसके बावजूद फिर सदन में भगवा वस्त्र, अंग वस्त्र और वह कमंडल, कमंडल पर मुझे एक मिनट का समय दीजिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- तिवारी जी, क्या यह व्यापम बहुत छोटा मामला है.

श्री शंकरलाल तिवारी-- 50 साल में जितना लूटा है उतना व्यापम में कुछ नहीं.. (व्यवधान)..

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, कृपया एक मिनट में समाप्त कर दें..(व्यवधान)..कृपया बैठ जाएँ समाप्त कर रहे हैं...(व्यवधान)..

श्री जितु पटवारी-- तिवारी जी, चलते फिरते साधु लगते हों और बात ऐसी करते हों.

श्री शंकरलाल तिवारी-- (XX) पहली बार आए हों...(व्यवधान)..

श्री सुखेन्द्र सिंह-- यह घंटी का मामला आपको बहुत जबर्दस्त दिखाई दे रहा है.

श्री शंकरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल विधान सभा में जिस तरह की बचकानी हरकत नेता प्रतिपक्ष ने की है उससे पूरा सदन, पूरे विधायक साथी और पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है...(व्यवधान).. लोकतंत्र से प्रेम करने वाले सभी लोग शर्मसार हुए हैं... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- सिर्फ तिवारी जी का लिखा जाएगा.

श्री शंकरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूँ....

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx) ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ, सुन लें.

श्री शंकरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, इस कमंडल कांड से अकेले लोकतंत्र प्रेमी ही नहीं काँग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई है...(व्यवधान)..इनके पास भी विषय था, इनके पास तर्क था ये बात करते, इन्होंने बात नहीं की. अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का उल्लेख करके..(व्यवधान)..सुनने की ताकत रखें.(xx), हम बोल रहे मुद्दे पर....

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- (xxx)

श्री शंकरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, एक साधुओं की जमात थी उस साधु की जमात में एक नया साधु नया नया तिलक लगाए, चंदन खौरे भगवा लटकाए, शामिल हुआ. जब गुरूजी के सामने पेश हुआ तो गुरूजी ने उसको नीचे से ऊपर देखा, हृष्टपुष्ट था, विद्वान था, अच्छा वक्ता था, पर गुरूजी ने कहा इसके जो शारीरिक लक्षण हैं वे अच्छे नहीं दिख रहे...(व्यवधान)..तो बाकी के साधुओं ने कहा कि महाराज, जमात में ले लीजिए, उसको ले लिया, उसका एक ही लक्षण था वह एक आँख से काणा था और काणा होने के नाते..

अध्यक्ष महोदय-- मत बोलिए, यह रिकार्ड में नहीं आएगा.

श्री शंकरलाल तिवारी-- (xxx) वह साधु जब जमात में शामिल हो गया तो वह रात में सारे साधुओं का कमंडल इधर उधर करता रहा. नेता प्रतिपक्ष ने लोकतंत्र को कमंडल दिखाने का काम किया है...(व्यवधान)..मैं मांग कर रहा हूँ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- श्री जीतू जिराती....(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- अध्यक्ष जी, जीतू जिराती विधायक नहीं हैं.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- श्री जीतू पटवारी अपनी बात कहें.

श्री जीतू पटवारी-- तिवारी जी बैठ जाएँ तो मैं शुरू करूँ.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, आप कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

श्री शंकरलाल तिवारी-- उस सामान की जप्ती बनाई जाए और इन पर सदन की अवमानना का आपराधिक प्रकरण कायम किया जाए.

. श्री जितू पटवारी (राऊ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज बहस चालू हुई है जिस पर माननीय मंत्रीजी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया. मैं समझता हूं यह सदन का समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है.

श्री के.के. श्रीवास्तव—सदन के समय की चिन्ता पहले नहीं हुई (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—इस विषय को मैंने विशेषाधिकार पर चर्चा के लिये बुलाया है..(व्यवधान) इसका नियम है, नियम 164 के तहत. तिवारी जी बैठ जायें (व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य को सुनें..(व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—कमंडल, दुपट्टा और घंटी, तिवारी जी जरा सुनने की भी आदत डालें.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आपकी सभी बातें उन्होंने सुनीं अब आप कृपया माननीय सदस्य की बात सुनिये. कृपया बैठ जायें.

श्री शंकरलाल तिवारी—हमारी बात पर यह एक दर्जन खड़े थे.

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी आप कृपया बैठ जायें. वे ठीक बात कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—नेता प्रतिपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष और उसके सहयोगी अगर दूसरे वक्ता को नहीं बोलने देंगे तो फिर दूसरे भी बैठ जाओ, बैठ जाओ से नहीं बैठेंगे. इस बात को समझ लें.

श्री जितू पटवारी—तिवारी जी मैं आपके बेटे जैसा हूँ आप बैठ जाओ...(व्यवधान)

श्री रजनीश सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तिवारी जी और श्रीवास्तव जी बोलते हैं तो हम लोगों को डर लगता है कि सदन में क्या हो गया है ये इतने जोर-जोर से बोलते हैं कि हम लोग डर जाते हैं. (व्यवधान)

श्री के.के. श्रीवास्तव—ये सदन का समय जाया करते हैं, सदन की अवमानना करते हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्रीवास्तव जी आप बैठ जायें.

श्री जितू पटवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कमंडल, दुपट्टा और घंटी को अंदर लेकर आने पर हमारी चर्चा चालू हुई है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह जो पूजा की सामग्री हम सदन के अन्दर लेकर आये इस पर कोई आपत्ति लेने की आवश्यकता थी. यह सामग्री क्यों लाये, इसका सवाल क्यों उठा और किसलिये यह नौबत आई कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, बाला बच्चन जी और अन्य सदस्य दुपट्टा, कमंडल और घंटी लेकर अंदर आये, ध्यान से आप सुनोगे और सुनने की हिम्मत रखोगे तो आप मुझे आखिरी में धन्यवाद देंगे ही और मैं भी आपके पैर छूकर ऋणी रहूंगा. श्री कैलाश विजयवर्गीय जी इसी सरकार के मंत्री हैं.

अध्यक्ष महोदय—क्या आप उनके इस सामग्री का सदन में लाने के समर्थन कर रहे हैं ?

श्री जितू पटवारी—मैं जो बात कहूंगा उस पर आप रिजल्ट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा.

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य कृपया इस विषय को समझें वह सामग्री लाने का कारण कुछ भी हो, लाना उचित था या नहीं था , कारण का जस्टिफिकेशन यहां नहीं है, आप इसको समझिये कारण क्या था इस पर चर्चा नहीं हो रही है क्या इनको सदन की कार्यवाही के बीच में लाना उचित था, कारण पर नहीं जाना है, कारण पर चर्चा नहीं हो रही है.

श्री जितू पटवारी—माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्रीजी का टी वी पर एक वक्तव्य आया था वे इसी सदन के सदस्य हैं किसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से तो क्या जीवन से सन्यास लेने को तैयार हूं. फिर दूसरे दिन मैंने आर्य जी का वक्तव्य इसी सदन में सुना (xx) .(व्यवधान)

श्री लाल सिंह आर्य—जितू जी मैं फिर कह रहा हूँ. मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं (व्यवधान) (XX)

अध्यक्ष महोदय--इसको विलोपित कर दें. सन्यास वाला विलोपित कर दें..(व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—इतने बड़े मुद्दे पर, व्यापम के मुद्दे पर ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं. अब मैं आपको डिसएलाऊ करुंगा.. .. (व्यवधान) माननीय सदस्य कृपया विषय पर बोलें, इस विषय की गंभीरता को समझें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। कृपया आप विषय पर बोले और इस विषय की गंभीरता को समझें।

(व्यवधान)

श्री जीतू पटवारी :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कार्य व्यवहार अच्छा रहे और सदन को अच्छा लगे, सदन की गरिमा रहे, सदन का कार्य व्यवहार सबको एक दूसरे का अच्छा लगे। यह आवश्यकता विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की भी है कि जिस तरह से आप हमारा व्यवहार अच्छा रखने की आशा रखते हैं उस तरह से भी विपक्ष का भी कार्य व्यवहार अच्छा रहे।

अध्यक्ष महोदय :- सभी सदस्यों से अच्छे कार्य व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं।

श्री जीतू पटवारी :- इस सरकार के मंत्री यह इस प्रकार से उठकर विरोध करेंगे तो यह व्यवहार अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतू पटवारी :-यह अपेक्षा आपसे नहीं है, इस पक्ष के सदस्यों से है।

श्री लाल सिंह आर्य :- अध्यक्षमहोदय, इन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है इसलिये मुझको बोलना पड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री जीतू पटवारी :- मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपसे दो मिनिट की भीख मांग रहा हूं आप मेरी बात सुनो तो सही, आप इतने बड़े नेता हैं, मैं तो छोटा सा अदना सा आदमी हूं आप मेरी बात तो सुने।

एक माननीय सदस्य :- इसीलिये तो आप अपना ग्राफ बढ़ाकर दिल्ली में अपना स्थान पक्का करना चाहते हो।

श्री जीतू पटवारी :- अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि दो मिनिट में अपनी बात गरिमा के साथ खत्म कर दूंगा। इसी तरह से सदन का एक सदस्य दूसरे सदस्य से कहता है कि (xx) , तब गरिमा कहां गयी थी।

अध्यक्ष महोदय:- उसको कार्यवाही से निकाल दिया है। (व्यवधान)- आसंदी ने उसी वक्त उसको कार्यवाही से निकाल दिया है। (व्यवधान) इस समय आप गलत प्रश्न उठा रहे हैं। आप होशियार सदस्य हैं, किन्तु आप शायद विषय को समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री जीतू पटवारी :- अध्यक्ष जी मुझे शर्म आती है,

एक माननीय सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य एक दूसरे को ही समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री जीतू पटवारी :- अध्यक्ष महोदय, जब हम आपसे बात करते हैं तो हाथ जोड़कर,निवेदन करके और आचना याचना करते हैं। मैं देखता हूं कि यहां पर जितने मंत्री बैठे हैं। (XXX) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- इसको विलोपित कर दें, यह बात ठीक नहीं है। (व्यवधान) यह बिल्कुल अनुचित है। जीतू जी आप बैठ जाईये अब आपकी कोई बात नहीं सुनीं जाएगी। आप किसी भी विषय को उठायें तो नियमों के तहत उठाएं ।

(व्यवधान)

श्री जीतू पटवारी :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी हिन्दू हूं, हिन्दू धर्म का अनुयायी हूं, भगवान राम को मानता हूं, हिन्दू धर्म का प्रतीक है यदि मैं इसको पहनूंगा तो (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कमंडल और घंटी पर आपत्ति करते हैं। (XXX)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये, कार्यवाही से विलोपित कर दीजिये।

श्री रामेश्वर शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरह से सदस्य हिन्दू धर्म व्याख्या और उल्लेख कर रहे हैं, मैं यह प्रार्थना करके कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू धर्म में आस्था और विश्वास है तो जैसा तिवारी जी ने उल्लेख किया है गरूड़ और कमंडल और भगवा वस्त्र इस बात का प्रतीक है क्या हम इस बात का (XX) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- कृपया आप लोग बैठ जाईये।

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(..व्यवधान..)

एक माननीय सदस्य – यह लोकतंत्र का मंदिर है.

श्री रामेश्वर शर्मा – हमें गर्व है हिन्दू धर्म पर.

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाएं.(..व्यवधान..) अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी. सिर्फ जिन माननीय सदस्यों के विरुद्ध सूचना है पहले यदि वे बोलना चाहें तो उनको अनुमति दी जा सकती है.(..व्यवधान..) तिवारी जी आप विषय पर नहीं बोलते. आप नियम पढ़कर नहीं आते. आप नियम पढ़कर आया करें विशेषाधिकार प्रश्नों की.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय – कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो तो आप उठा दीजिये बोलने की अनुमति सिर्फ बाला बच्चन जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष को है.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति यह है आपने अभी निर्देश दिये कि आप लोग नियम पढ़कर नहीं आते.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – आसंदी के विरुद्ध आपत्ति उठाते हैं.(..व्यवधान..) नहीं उठा सकते.

अध्यक्ष महोदय – वह अपनी बात कह सकते हैं उनको शालीनता से अपने बात कहने दें.

(..व्यवधान..)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – आप आसंदी का अपमान नहीं कर सकते.

श्री रामनिवास रावत – आप आसंदी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो.

अध्यक्ष महोदय – आप कृपया इधर देखकर बात करें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – आप मंत्री हैं आप अध्यक्ष नहीं हैं. [x x]

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाएं. श्री बाला बच्चन. कुछ कहना चाहें तो कहें.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के इतने सदस्यों को बोलने की अनुमति दी तो हमें भी दो मिनिट अवसर दिया जाए.

अध्यक्ष महोदय – तिवारी जी विषय से बाहर निकले तो मैंने कहा कि विषय पर आओ. वे मानते नहीं हैं और उसको जस्टीफाई करते हैं.

[xx] विलोपित

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं. हमारे सदस्य जो विषय से बाहर भटक रहे हैं बैठा दें. आसंदी का आदेश सभी मानेंगे. मेरा अनुरोध है कि जब सत्ता पक्ष के इतने लोगों को बोलने का अवसर दिया है तो हमें भी बोलने का अवसर दिया जाए.

अध्यक्ष महोदय – श्री रामनिवास रावत अकेले बोलेंगे उसके बाद माननीय बाला बच्चन जी और कोई नहीं.

श्री रामेश्वर शर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर तिवारी जी बोलेंगे तो हम भी 8-10 लोग बोलेंगे यह ध्यान रखिये.

(..व्यवधान..)

श्री रामनिवास रावत – माननीय संसदीय मंत्री जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष और बाला बच्चन जी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना लाए हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया और

..कार्यसंचालन संबंधी नियमों में 164 से 170 तक यह उल्लेख है कि विशेषाधिकार की सूचना कैसे दी जाय, उस पर चर्चा कैसे करायी जाय, उस पर व्यवस्थाएं कैसे दी जायं, यह उल्लेख है, लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी नियम प्रक्रियाओं में यह उल्लेख कहीं नहीं है कि विशेषाधिकार भंग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्थितियां विशेषाधिकार भंग की मानी जायेंगी जब कि हमें भारत के संविधान में हमें अधिकार दिये हैं अनुच्छेद 194 के तहत हम अपने नियम बना सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन से कार्य विशेषाधिकार भंग की श्रेणी में आते हैं. अब उसके बाद नहीं हैं अब फिर संसद में चलने वाली यह कॉल एवं शकधर की किताब के आधार पर जो पूरी पद्धति एवं प्रक्रिया होती है उसके आधार पर हम उसका संचालन करते हैं. यह संसद भवन सम्पदा के भीतर संसद की शक्तियां इनमें दिया हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि संसद भवन सम्पदा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मार्ग सदस्यों के लिये किसी अड़चन अथवा बाधा से मुक्त एवं खुले रखने के लिये संसद भवन सम्पदा के सीमा क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं—सार्वजनिक सभा का आयोजन, पांच या उससे अधिक

व्यक्तियों का एकत्र होना, अग्निअस्त्र, झंडे, इश्तेहार, लाठियां, भाले, तलवारें, डंडे, ईंट, पत्थर आदि लेकर चलना, नारे लगाना भाषण आदि जुलूस, प्रवेशरोधन अथवा कोई अन्य गतिविधियां इसका पेज नंबर है 2 से 68 तक यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि इस सदन में सुरक्षा कैसे बनी रहे, इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है. माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं बाला-बच्चन जी यह घंटी और कमंडल लेकर के आये, प्रतीक स्वरूप लेकर के आये, प्रदर्शन हुआ और इसे रख दिया. न तो उससे किसी के कार्य में बाधा डाली, न जो विधान सभा का सदन चल रहा था उसमें बाधा डाली उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसीन हुए उस समय माननीय संसदीय मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था भी दे दी कि यह बात अनुचित है और यह बात नहीं होना चाहिये. मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि तीन तारीख को स्थगन हमारी विधान सभा में प्रारंभ हुआ और उसको चार तारीख तक चलाया उस समय भी मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, जब हमारे नियमों में उल्लेख नहीं है और इसी पद्धति एवं कॉल एवं शकधर की किताब से सदन का संचालन होना है तो उस समय भी स्पष्ट उल्लेख था कि स्थगन को किसी भी हालत में दूसरे दिन तक नहीं चलाया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय—चलाया जा सकता है आप मेरे कक्ष में आ जाईये मैं आपको समझा दूंगा.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी को भी अधिकार नहीं है कि वह दूसरे दिन भी लें, लेकिन आपने—

अध्यक्ष महोदय—उस दिन व्यवस्था आपने व्यवधान में नहीं सुनी आप कक्ष में आ जाईये, यह है नये एडीशन में पेज नंबर 618 में आप पढ़ लीजिये मैं आपको समझा दूंगा और अपने यहां पर चार उदाहरण पूर्व में हैं.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, उदाहरण अलग चीज है या तो सदन को उदाहरणों से चलाना है.

अध्यक्ष महोदय—सदन परम्परा से चलता है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि जब हमें अधिकार प्राप्त हैं तो अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार नियम बनाने की एक समिति बना दें और यह स्पष्ट कर दें, जिससे हमारे सदस्यों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जायं और जिस तरह से हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसके बाद यह बात समाप्त हो जाना चाहिये उससे न तो किसी भी सुरक्षा को खतरा था कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसी के सिर पर मार देते हम सब लोग फोन लेकर के आते हैं इसमें किसी में बम लेकर के आयें तो यह भी कल्पना की जा सकती है, पेन लेकर के आते हैं उसमें भी कुछ लेकर के आयें यह भी परिकल्पना की जा सकती है. माननीय सदस्य महोदय की न तो कोई दुर्भावना थी, न सदन में बाधा डालने की भावना थी एक प्रतीक स्वरूप यह लाये. मैं यह भी निवेदन करूंगा जैसे माननीय संसदीय मंत्री जी ने दिया तो आपको समिति को सौंप देना चाहिये था यहां चर्चा कराकर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष को पूरी तरह से दबाना तथा डराना चाहता है. मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय, की व्यवस्था आने के बाद—

श्री बाला बच्चन --माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों से चलती है मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से पूरा सदन सहमत होगा. 8 तारीख की यह बात है, 8 तारीख को यह घटना घटी और मैं समझता हूं कि उसी समय इस मंत्रीमंडल के बहुत सारे मंत्रीगणों ने अपनी-अपनी बात रख दी थी, अपने-अपने तर्क रख दिये थे और उस समय आसंदी पर उपाध्यक्ष महोदय, मौजूद थे और उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दे दी थी कि ठीक है अनुचित है, नहीं लाना चाहिये था, तो मेरे हिसाब से इस इशू का उसी समय पटाक्षेप हो चुका था, फिर 8 तारीख की किसी घटना को, जिसमें घंटी, कमंडल और फिर भगवा वस्त्र की बात को विधान सभा की कार्यवाही को रूकवा कर जो बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है, उसको रूकवा कर फिर 10 तारीख को चर्चा कराना, माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह हम प्रतिपक्ष को यह सदन, सत्ता पक्ष के यह सदन के साथी नियंत्रित करने के हिसाब से यह कर रहे हैं कि हम सरकार की जो बात है, अगर कोई भी इन्सीडेंट हुआ है, अगर कोई मुद्दे जिसको हमने उठाये हैं, चाहे उसमें मैं भी हूं, हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, हम दमदारी से अगर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वह शायद पसंद नहीं है और अगर विशेषाधिकार बनता है हनन् हमने किया है, मैं समझता हूं तर्क कुछ भी हो सकता है अपना इसके पीछे लाजिक कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, उसको आप और हम सब समझ रहे हैं और जब इस हाउस से निकल कर प्रदेश में यह चीज जायेगी, तो प्रदेश की जनता भी इस बात को समझेगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार से इस बात का आग्रह कर रहा हूं कि हमने जो मुद्दे उठाये हैं, वह हमारे मुद्दे जीवित रहेंगे, हम उसको उठाते रहेंगे, वह लड़ें हम लड़ते रहेंगे, चाहे व्यापम का हो, चाहे पी.एस.सी. से संबंधित हो, चाहे जो हमारे ध्यान आकर्षण और विधान सभा के प्रश्नों के द्वारा या स्थगन के द्वारा हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के द्वारा जो इस विधान सभा में लगाये जा रहे हैं, वह बराबर उठते रहेंगे और मुझे शायद यही लगता है कि सरकार को यह बहुत बुरा लगा है कि क्यों इस प्रकार के करप्शन के, अरे सरकार तो पूरी तरह से भटकी हुई है. हम बता रहे हैं कि यह काम नहीं हुआ है, सरकार बराबर जवाब नहीं देने के कारण यह सारी चीजें इसमें आती हैं, तो मुझे खुद को जो समझ में आ रहा है, इसके पीछे का रीजन यह है कि यह विपक्ष को नियंत्रित करने की बात है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन को सदन के माध्यम से और विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के माध्यम से सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, सरकार पर अंकुश लगना चाहिये, नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो कार्य करना चाहिये, उससे हटकर सरकार जो कर रही है....

एक माननीय सदस्य--तो कमंडल के माध्यम से लगाओगे अंकुश ?

अध्यक्ष महोदय--कृपया बैठ जायें. आप लोग उनको सुनें.(व्यवधान) उनके खिलाफ उनके विरूद्ध विशेषाधिकार है (व्यवधान) कृपया बैठिये, उनको अधिकार है उत्तर देने का. (व्यवधान) यह सिर्फ बाला बच्चन जी जो बोलेंगे, सिर्फ वही लिखा जायेगा.

श्री अनिल फिरोजिया--(XX)

अध्यक्ष महोदय--आप बैठ जाइये.

श्री अनिल फिरोजिया--(XX)

श्री रामनिवास रावत--यह अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर बोल रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अनुमति लेकर नहीं बोल रहे हैं. मैंने बोल भी दिया है कि श्री बाला बच्चन जी जो बोलेंगे, वही लिखा जायेगा.

श्री रामनिवास रावत--तो थोड़ा सा डांट लगाओ.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, मैं किसी को डांट नहीं लगाता. मैं सबसे अच्छे से बोलता हूं.

श्री अनिल फिरोजिया--(XX)

अध्यक्ष महोदय--कृपा करके आप बैठ जायें.(व्यवधान)आपने उनके विरूद्ध प्रीविलेज मोशन लाया है, तो क्या उनको सुनेंगे नहीं आप ?

श्री अनिल फिरोजिया--(XX)

अध्यक्ष महोदय--नहीं, यह बात ठीक नहीं है.आपने उनके विरूद्ध प्रीविलेज मोशन लाया और उनको सुनेंगे नहीं ? आप उनको बोलने दीजिये, नहीं, इस तरह से व्यवधान नहीं डालना चाहिये,यह बात ठीक नहीं है.

श्री बाला बच्चन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी ही देर में मेरी बात समाप्त करता हूं. मैं सदन से इस बात का आग्रह करता हूं कि ठीक है, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

जानते हैं कि पब्लिक मैंडेट आपके पास है, बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर हैं और बहुमत के अंतर्गत अगर सदन को कोई डिसीशन करना है और आपके हाथ में है, जबकि एक बार पहले इस पर व्यवस्था आ चुकी है. मेरा तो अंतिम यह आग्रह है कि सदन मिलकर सरकार को नियंत्रित करे, तंत्र को नियंत्रित करे, बजाये विपक्ष को नियंत्रित करने के माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है, धन्यवाद, आपने समय दिया.

अध्यक्ष महोदय--पहले तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी अपनी बात कहें.

श्री राजेश सोनकर--मैंडेट हमारे पास है, कमंडल इनके पास है.

अध्यक्ष महोदय--कृपा करके चुपचाप बैठें, गंभीर विषय है, अनेक सदस्यों ने और अब उन माननीय सदस्य ने, जिनके खिलाफ प्रीविलेज लाया गया है, उन्होंने यह प्रश्न उठया कि एकदम से कैसे ले आये ? कृपा करके अध्यक्ष के स्थायी आदेश आपको दिये गये हैं. उसको आप पढ़ लें. सभी काम नियम और परम्पराओं से चल रहे हैं. पूर्ववर्ता, प्रायॉरिटी जिसको बोलते हैं कैसे दी हैं. उसमें शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, प्रश्न, प्रश्न के बाद स्थगन प्रस्ताव. यदि स्थगन प्रस्ताव नहीं हुआ तो उसके बाद सात नंबर पर विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रस्ताव. सभी कार्यों से इसको प्रायॉरिटी इसलिये दी गयी है कि सदन का विशेषाधिकार बड़ा विषय है. इसलिये ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोक करके यह काम प्रारंभ हुआ है. यह पूर्ववर्ता दी गयी है और इसलिये सारी बातें नियमों से चल रही हैं. किसी प्रकार से आप उसमें कोई शंका कुशंका न करें. माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, कितनी देर बोलने की अनुमति है.

अध्यक्ष महोदय -- आपने तो कभी समय का बंधन माना ही नहीं. अभी इतने दिनों में सौ मिनट का रिकार्ड हो चुका है. सेंचुरी तो शुरु दिन ही हो गयी.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, मैं कोई दस्तावेज नहीं लया हूं. लेकिन आपसे इसलिये पूछ रहा हूं, ताकि अपना वक्तव्य उतने में समेट लूं.

अध्यक्ष महोदय -- आप विषय पर केंद्रित चाहे जितना.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के लिये विषय का भी एजेंडा आप बनाकर भेज देना.

अध्यक्ष महोदय -- विषय का एजेंडा भेजना ही पड़ेगा. हर व्यक्ति के लिये विषय का एजेंडा होता है. सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता के लिये नहीं है, मैं भी उसके बाहर नहीं जा सकता और आपमें से कोई भी उसके बाहर नहीं जा सकता. कोई भी व्यक्ति सदन की गरिमा और इसके नियमों से बाहर नहीं है. कृपा करके इसका ध्यान रखें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, अब शुरु करुं.

अध्यक्ष महोदय --हां, करिये.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिये बधाई दूंगा कि आप एक ऐसे सदन के अध्यक्ष बन करके (xx). सदन में, सदन के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है.

श्री विश्वास सारंग -- अध्यक्ष महोदय, यह विलोपित करा दें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- अध्यक्ष महोदय, यह विलोपित करा दें. यह संसदीय नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य पूरा होगा, तब तो मेरा मंतव्य समझ में आयेगा.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- उनको कहने दीजिये.

श्री जितू पटवारी -- कृत्य बोला है. (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- यह विलोपित कर दें. वह सदन की गरिमा नहीं समझते, तो मैं क्या करुं.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, मैं अगर अपना वक्तव्य पूरा करुं, तब तो मेरा मंतव्य समझ में आयेगा. वक्तव्य ही पूरा नहीं होगा, पहले ही अगर दिक्कत है तो पहले आप तय कर लो. आप बहुमत में बैठे हैं, हमें बोलना है कि नहीं बोलना, तो हम बोलें. अगर यह स्थिति रहनी है, तो फिर मुझे काहे की बोलने की जरुरत है. यह आप तय कर लो और हमें बता दो. अध्यक्ष महोदय, हम आसंदी से व्यवस्था चाहते हैं, आप बता दीजिये. बोलना है कि नहीं.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया आप अपनी बात जारी रखें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक नई बात होने जा रही है. सदन के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है और इस सदन में हमेशा संवैधानिक व्यवस्था में दो ही तरह के सदस्य होते हैं. सरकारी और गैर सरकारी. (सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर देखते हुए) आप सब गैर सरकारी सदस्य हो. यहां तक से सब मिलाकर. सरकारी सदस्य सिर्फ ये बैठे हैं मंत्री गण हैं. दो विभाजन हैं सरकारी और गैर सरकारी. अध्यक्ष महोदय, समय के अनुसार नये नये कानून बनते गये और जिस दिन से दल बदल विरोधी विधेयक बना, उस दिन से अलग तरह का विभाजन होने लगा. मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि सदन सरकार पर नियंत्रण के लिये होता है. सदन में सरकार कटघरे में खड़ी होती है, सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी होती है. इस सदन में हमको नई बात यह देखने को मिल रही है कि सदन के माध्यम से सरकार प्रतिपक्ष को नियंत्रित करना चाह रही है और उसमें अध्यक्ष महोदय आपका भी उपयोग करना चाह रही है.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अभी तक हमें उम्मीद है, ऐसा हुआ नहीं है, भविष्य में भी ऐसी उम्मीद है कि नहीं होगा. लेकिन अगर हो जायेगा, तो फिर उसके लिये भी प्रतिपक्ष के पास रास्ते हैं, वह देखेंगे. अध्यक्ष महोदय, हमें एक बात बताइये. हमरे अभी सदस्य, रामनिवास रावत जी ने बोला. यह व्यवस्था भी आनी चाहिये. हमें निर्णय मालूम है. (xx)

अध्यक्ष महोदय -- यह विलोपित कर दें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, अब सुन तो लें.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, हम नाम लेंगे, तो कार्यवाही से निकाल देंगे. लालसिंह आर्य जी 16 बार लेंगे, तो आप नहीं निकालेंगे. यह क्या है. यह सदन का कौन सा नियम है. सरकारी सदस्य नाम ले रहा है..

अध्यक्ष महोदय -- अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज पर चर्चा कहां है.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, वहीं से तो प्रिविलेज शुरु हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- वहां से कहां से शुरु हुआ.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय,(xx)

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, विलोपित कर दीजिये.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय,(XX)

अध्यक्ष महोदय -- इसे विलोपित कर दीजिये.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, तो आप बता दें, मैं वह वक्तव्य दे दूं.

अध्यक्ष महोदय -- आपको जो वक्तव्य देना हो दे यह उचित नहीं है कि आप अपमानजनक शब्द बोले और यदि मना किया जाये तो आप कहें आप बताओ वह बोले यह उचित नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे-- तो उनके (लाल सिंह आर्य की तरफ ईशारा करते हुये) शब्द मानजनक थे ? मैंने रितु चौहान का नाम लिया अपमानजनक हो गया और लाल सिंह ने लिया तो मानजनक हो गया.

अध्यक्ष महोदय-- विशेषाधिकार को अनुमति क्यों न दी जाये इस पर बोले.

श्री सत्यदेव कटारे-- हम उसी पर आ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- इस पर नहीं . इतनी लंबी भूमिका नहीं चलेगी.

श्री सत्यदेव कटारे -- क्यों नहीं चलेगी.

अध्यक्ष महोदय-- शब्दों में बांधना पडेगा, सभी को शब्दों में बंधना पड़ता है.

श्री सत्यदेव कटारे -- ठीक है. अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिये. जब हम यह कह रहे हैं कि सदन सरकार के नियंत्रण के लिये बना है सदन प्रतिपक्ष के नियंत्रण के लिये नहीं बना है.

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य अपने अपने स्थान पर खडे होकर बोलने लगे)

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जायें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय हमें मालूम है कि विशेषाधिकार भंग का मामला है , विशेषाधिकार पर निर्णय क्या होना है . आप जो निर्णय सुनाने वाले हैं वह भी हमें मालूम है. इस प्रकरण को समिति को आप सौंपेंगे.(xx)

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक है.

श्री जसवंत सिंह हाडा-- अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाना चाहिये.

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- इसको विलोपित कर दें.

श्री शंकरलाल तिवारी –(XX)

अध्यक्ष महोदय-- आप विषय पर बोलना चाहते हैं तो आप बोलें .

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण समिति के सामने जायेगा. इसको सुनने के लिये समिति बनी हुई है. हमें जो कहना होगा वह हम समिति के सामने कहेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है.

श्री सत्यदेव कटारे -- और हमें मालूम है कि आप समिति को सौंपेंगे उससे कम कुछ कर ही नहीं पायेंगे .

अध्यक्ष महोदय-- आपके दल के सदस्यों ने ही कहा है कि समिति को सौंप दें. आप जरा अपने सदस्यों का भाषण तो सुना करिये. उन्होंने कहा कि समिति को सौंप दें.

श्री सत्यदेव कटारे—(XX) हम कह रहे हैं कि समिति को आप सौंप दें.

अध्यक्ष महोदय-- आपके माननीय सदस्यों ने कहा है कि सीधा समिति को सौंप जाता था. आप नियम पढ़कर के नहीं आते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, हम फिर से बता दें कि यह जो सत्यदेव नामक जो प्राणी है यह डरने वाला नहीं है. आप ऐसे एक हजार प्रस्ताव लाईये .(XX) जबाव देते नहीं बनेगा आपको और मुख्यमंत्री को.अभी से आप तैयारी कर लो . अगले सप्ताह की तैयारी कर लो. नई चीज लेकर के आ रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- यह विलोपित . यह सदन है . इस तरह न बोलें.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- नेता प्रतिपक्ष किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं.

एक माननीय सदस्य--नेता प्रतिपक्ष धमकी दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- आप बैठ जायें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्माननीय सदस्यों को सुना, खासकर रामनिवास भाई साहब हैं, आदरणीय बाला बच्चन जी हैं, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जी हैं. अध्यक्ष

महोदय, माननीय बाला बच्चन जी ने कहा कि 8 तारीख की घटना है मेरे ख्याल से 9 तारीख की घटना है . यह विषय को डायवर्ड करने की तीनों सदस्यों ने कोशिश की है. उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, व्यापम का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम भगेंगे नहीं, विपक्ष डरेगा नहीं, विपक्ष को बांधने की कोशिश की जा रही है. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कतई विपक्ष को बांधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं चर्चा से नहीं रोक रहे हैं. व्यापम की चर्चा जब यह लाये तो हमारे मुख्यमंत्री ने चर्चा स्वीकार की विपक्ष भगा चर्चा से . हम नहीं भगे चर्चा से. हम हमेशा चर्चा करना चाहते हैं. हम उनको कहीं दबाना नहीं चाहते , लेकिन हम दिशा पर लाना चाहते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- विपक्ष चर्चा से कब भागा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा --आपने कहां चर्चा की, आज भी चर्चा नहीं की, आज भी भागे, उस दिन भी भागे.

श्री सत्यदेव कटारे -- अकेले ढाई दिन बोल सकता हूं. लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कार्यवाही में नहीं आयेगा, यह बोल नहीं सकते , तो हम यहां पर बैठे क्यों हैं जब कुछ बोल नहीं सकते तो.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, नेता जी जब तक बोलते रहे मैं उठा नहीं था. मैं नेताजी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कोई भी असंसदीय शब्द अगर मैं बोलूं तो उसको भी विलोपित किया जाये और..

श्री सत्यदेव कटारे -- अगर हम भी असंसदीय बोलें तो विलोपित किया जाये बाकी विलोपित न हो.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- आप कार्यवाही निकाल कर देख लें आपने हमेशा बोला है.

श्री सत्यदेव कटारे –(XX)

अध्यक्ष महोदय-- यह भी विलोपित .

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष जी वह तो लिखा ही नहीं गया है. आप मेरा निवेदन तो सुन लें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब सदन में जबाव दे रहे थे मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप मुख्यमंत्री जी के पीछे से बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हूं क्या तिवारी जी अनुमति से बोल रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- उनका प्रस्ताव है. बोलनें दें.

(व्यवधान)

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्षजी, यह आपकी अनुमति से खड़े हुए हैं?

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- माननीय मंत्रीजी सुनिये, आपने यहां पर बात कही है.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी कृपा करके बैठ जायें. (व्यवधान)

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आपकी अनुमति से खड़े हैं क्या?

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- मुख्यमंत्रीजी के पीछे खड़े होकर आप कह रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होगी. मुख्यमंत्रीजी बोल रहे थे.

अध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्यमंत्री जी बोल रहे हैं आप 2 मिनट सुन लें. (व्यवधान)उन्होंने प्रस्ताव लाया है. यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, फिर यह कहते हैं कि सत्ता पक्ष विषय को डायवर्ट करके दबाना चाहता है(व्यवधान) यह कौन सा आचरण है. फिर बाहर जाकर विरोध करते हैं. अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी आपकी अनुमति से जितना चाहे उतना बोलें. यह फ्लोर हमको संवाद के लिए मिला है. इस सदन की ताकत संवाद में है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आपसे ज्यादा सम्मान हम लोग देना जानते हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आप एक बार जीत कर आये हो आप हमसे ज्यादा क्या जानते है. (व्यवधान) यहां हमको 25 साल हो गये हैं. पहली बार जीते हो अगली बार इस सदन में दिखोगे नहीं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया सभी लोग बैठ जायें.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी को तो रोकें.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट कहना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्य मंत्रीजी की बात हो जाये फिर आपकी बात सुनेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे-- ठीक है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय-- संक्षेप में.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- जी. बहुत संक्षेप में बोलूंगा. मैं तो टू द प्वाइंट बोल रहा था. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के बारे में यह कहा गया कि उपाध्यक्षजी की व्यवस्था आ गई थी. यह बात सच है कि व्यवस्था आ गई थी. उन्होंने कहा था कि इस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं है. नहीं करना चाहिए. लेकिन वह प्रदर्शन हो चुका था. हम उस पर बात कर रहे हैं. उन्होंने एक नसीहत दी कि नहीं करना चाहिए. लेकिन जो हो चुका है, जो गलती हो चुकी है हम उस पर व्यवस्था चाहते हैं. इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वह गलती आज ही की गई हो. कल नहीं की गई है लेकिन उसको आज पुनः दोहराने की कोशिश की गई. इस सदन की गरिमा को पुनः तार-तार करने की कोशिश, जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष ने फिर करने की कोशिश की है.(सत्ता पक्ष की ओर से शेम शेम की आवाज)अध्यक्ष महोदय, यह फ्लोर हमको संवाद के लिए मिला है. इस पर सार्थक चर्चा

होना चाहिए. इसमें जनहितैषी चर्चा होना चाहिए. सरकार अगर कोई गलती करती है तो विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह पूरी सार्थकता के साथ अपनी बात को रखें. लेकिन कल को ये यहां पर हथियारों का प्रदर्शन करेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- ये हथियार मत जोड़ों.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आपके सदस्य ने कहा कि यदि हम मोबाइल में बम रखकर ले आयें तो? यह किस तरह की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- हथियारों से मत जोड़ों.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्षजी, रामनिवास जी बोलें तब मैं नहीं बोला.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्षजी, ये कितनी बार बोलेंगे.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- कटारे जी आप बोल लें मैं बैठ जाता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- कितनी बार नहीं. दूसरी बार बोलें है पहली बार उन्होंने प्रस्ताव रखा और अब दूसरी बार बोलने के लिए खड़े हुए.

श्री सत्यदेव कटारे-- आप व्यवस्था दे दीजिए.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी बैठ जायें. आप बोल दीजिए. (व्यवधान) सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता जी एक मिनट बोलेंगे इसके बाद विषय को यहीं समाप्त करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अभी रामनिवास जी ने बात उठायी थी कि या तो हम कौल और शकधर की पुस्तक से चलें जो उसमें अंकित है या हम अपनी परम्परा से चलें जो सदन की हमारी पुरानी परम्पराएं हैं. एक ही विषय पर एक दिन उस पर कौल और शकधर से व्यवस्था हो रही है, नियम से चल रहे हैं और दूसरे दिन उसमें परम्परा आ जाती है. एक विषय पर एक समय तक तो कम से कम एक के अनुसार चलें. जहां तक नियमों का सवाल है आसंदी से हमें सिर्फ यह बता दिया जाये कि यह उल्लंघन किस नियम के तहत हुआ है और कौन सा

विशेषाधिकार भंग हुआ. अध्यक्ष महोदय, मेरी नीयत विशेषाधिकार भंग की तो नहीं थी. मेरी नीयत सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की थी और सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं होता है और आसंदी भी हमको उसमें सरंक्षण नहीं देगी तो अध्यक्ष महोदय हमें रास्ता बताईये हम कहां जायेंगे और किस माध्यम से जायेंगे. हमने आपको संकेत में तीन चीजें बता दी हैं कि हमने रितु चौहान नाम लिया तो गजब हो गया कार्यवाही से निकाल दो और मंत्री ने नाम लिया तो कोई दिक्कत नहीं है खुशी की बात है. हमने अगर कोई और नाम लिया तो गड़बड़ हो गई और शासन की ओर से कोई नाम ले रहा है तो गड़बड़ नहीं है. अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष को नियंत्रित करने के लिए यह नहीं हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है.

अभी हमने सदन के बाहर जो चीजें हो रही हैं वह नहीं बतायी हैं मंत्री जी सदन के बाहर जो चीजें हो रही हैं न वह भी मैं किसी दिन सदन में रख दूंगा.**(XX)....**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – अब यह क्या है**,** क्या यह विशेषाधिकार का विषय है**.** यह क्या है इसे कार्यवाही से निकाल दीजिये**...**(व्यवधान)**..** कृपया सभी लोग बैठ जायें**.** अब उनकी बात पर व्यवस्था देकर के बात को समाप्त करेंगे**....**(व्यवधान)**...**

श्री विश्वास सारंग – माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत देर से इस विषय पर चर्चा हो रही है. चाहे विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव किसीभी तरफ से आये लेकिन इस सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए. अध्यक्ष महोदय जिस विषय पर हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य कमण्डल और घंटी लेकर के आये थे. उसी विषय पर इसी सदन में पूर्व..

श्री सत्यदेव कटारे – आप तो यह बता दें कि भांजी का सर्टिफिकेट गलत था या नहीं........... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – नहीं अब किसी को समय नहीं दिया जायेगा..(व्यवधान).. नहीं किसी को अनुमति नहीं है.. कृपया सभी सदस्य बैठ जायें अब किसी को अनुमति नहीं है. अब कोई नहीं बोलेगा.

श्री लाल सिंह आर्य –अध्यक्ष महोदय मेरा नाम आया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – नहीं मंत्री जी अब नहीं. अब किसी को अनुमति नहीं है..(व्यवधान).. कृपया करके बैठ जायें यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय अब प्रकरण समाप्त करें.

अध्यक्ष महोदय – प्रकरण समाप्त नहीं कर रहे हैं. व्यवस्था दे रहा हूं मैं. कृपया सभी लोग बैठ जायें...(व्यवधान)... अब इस पर कोई बात नहीं होगी सभी बैठ जायें. इसके पहले कि मैं अपनी व्यवस्था दूं प्रतिपक्ष के नेता जी को एक बात बताना चाहता हूं. उन्होंने दो बात अपनी बात के समापन में यद्यपि विधिवत समाप्त नहीं किया . यह नहीं उठाई की कि आप यह बतायें कि सदन नियम से चलेगा या परंपरा से चलेगा, अब यह बड़ा अजीब सा प्रश्न है. इसका मैं क्या उत्तर दूं. सदन नियम से भी चलेगा और सदन परंपरा से भी चलेगा. यदि ऐसा नहीं होता और कोई लाइन खींची जा सकती थी तो नियम से ही चलता. किंतु कोई लाइन खींची नहीं जा सकी. इसी प्रकार से विशेषाधिकार भी हैं जिस पर मैं जा नहीं रहा हूं. अब आपने दूसरी बात बड़ी अजीब पूछी और इसलिए पूछी कि आपने नियम पढ़े नहीं हैं. आपने कहा कि यह विशेषाधिकार कैसे हो गयाहै. मैंने कब कहा कि यह विशेषाधिकार कैसे हो गयाहै. अभी तो मैंने व्यवस्था दी ही नहीं है. अब आप अगर विषय को नहीं समझें तो इसमें मेरा दोष नहीं है. अभी एक माननीय सदस्य ने नियम 164 के तहत यह विषय उठाया, उस पर मैंने सदन से राय मांगी है, नियम भी है राय मांगने के लिए, राय भी मांगी जाती है अगर सहमत नहीं होते हैं तो सदन से सदस्य खड़े होकर राय देते हैं, फिर गिनती की जाती है यह नियमों में है पढ़ तो लें कृपया करके. अब आप पढ़ेंगे नहीं और यहीं पर सब बहस करेंगे

तो कैसे काम चलेगा. मैंने सभी सदस्यों की बात सुन ली है और इस विषय पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखताहूं.

4.05 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री गोविन्द सिंह पटेल (गाडरवारा):- अध्यक्ष महोदय, मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प — शुक्रवार, दिनांक 04 जुलाई, 2014 — निर्धारित समय

1 (क्रमांक-11)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	50 मिनट
2 (क्रमांक-14)	चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी	50 मिनट
3 (क्रमांक-22)	श्री आरिफ अकील	50 मिनट

श्री गोविन्द सिंह पटेल:- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि:-

सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.06 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी.

4.07 बजे **वक्तव्य**

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आवंटित केरवा कोल ब्लॉक के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित करने के संबंध में खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य

खनिज साधन मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) - अध्यक्ष महोदय,

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ने अपने परिपत्र क्रमाँक 13016/26/2004–सी.ए.–1(पी.टी) (वाल्यूम–1) दिनाँक 07.11.2013 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियम 2012 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्थित केरवा कोल ब्लाक म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के साथ संयुक्त रूप से आवंटित किया गया है। इस कोयला ब्लाक में 112.94 मिलियन टन के जियोलॉजिकल कोल रिजर्व संभावित हैं, जिसकी आधी–आधी मात्रा दोनो निगमों को आवंटित की गई है। इस प्रकार म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड को 56.47 मिलियन टन कोल रिजर्व आवंटित हुए हैं।

उक्त केरवा कोल ब्लाक के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद आदेश आइटम क्रमाँक 5 दिनाँक 08.07.2014 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

(1) केरवा कोल ब्लाक (जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है) हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी (JVC) का गठन किया जावे जिसमें 51 प्रतिशत अंश, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं 49 प्रतिशत अंश दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का रहेगा। उक्त संयुक्त उपक्रम कंपनी का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में किया जावे तथा कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भी छत्तीसगढ़ में रखा जावे।

(2) प्रारंभ में संयुक्त उपक्रम कंपनी की अधिकृत पूंजी रूपये 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़) एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़) होगी।

(3) प्रारंभ में उक्त संयुक्त उपक्रम कंपनी में कुल डायरेक्टर्स की संख्या 08 रहेगी, जिसमें 04 डायरेक्टर्स दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड तथा 04 डायरेक्टर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नामांकित होंगे।

(4) भविष्य में व्यवसायिक हितों/जरूरतों के दृष्टिगत उपरोक्त कंडिका 2 व कंडिका 3 एवं अन्य वैधानिक/व्यवसायिक आवश्यकताओं के संबंध में निर्णय लेने हेतु म.प्र. राज्य खनिज निगम के संचालक मंडल को अधिकृत किया जाये।

(5) जे.व्ही.सी. का अध्यक्ष (Chairman) दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)- अध्यक्ष महोदय, यह दो राज्यों का ज्वाइंट वेंचर है, इसमें बहुत वैसी बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि आप एमडी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं और चेयरमैन मध्यप्रदेश हो रहा है. इसमें यह वायदा जरूर करें कि इसमें और कोई तीसरा प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर नहीं घुसाएंगे और घुसना भी नहीं चाहिए, उससे कई बार सरकार को नुकसान हुआ है और दिक्कतें आयी हैं. यह अगर आपका मन से है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है.

4.09 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध)संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014 का पुरःस्थापन.

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय)-अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह हैकि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन करता हूं.

समय . 4.11 बजे वर्ष 2014-2015 की अनुदान की मांगोपर मतदान (क्रमशः)

मांग संख्या-21 आवास एवं पर्यावरण

मांग संख्या-22 नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय

मांग संख्या-75 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या-78 सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय

श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए दो सौ इकतीस करोड़, अठहत्तर लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए तीन सौ उनहत्तर करोड़, बासठ लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पॉच हजार सात सौ उनचास करोड़, सात लाख, ग्यारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 78	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक सौ चालीस करोड़ रूपये

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अब, इन मांगो पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठा कर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या -21 आवास एवं पर्यावरण

श्री कमलेश्वर पटेल	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्री बाला बच्चन	3
कुंवर विक्रम सिंह	4
श्री फुन्देला सिंह मार्को	5
डॉ.रामकिशोर दोगने	6
श्री आरिफ अकील	7

मांग संख्या-22 नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय

श्री कमलेश्वर पटेल	2
श्री जितू पटवारी	3
श्री बाला बच्चन	4
श्री हर्ष यादव	5
श्री रामनिवास रावत	6
कुंवर विक्रम सिंह	7
डॉ. गोविन्द सिंह	8
श्री हरदीप सिंह डंग	9
श्री आरिफ अकील	10

मांग संख्या-75 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

कुंवर विक्रम सिंह	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री हर्ष यादव	4
श्री सचिन यादव	5

मांग स्ख्या-78 सिंहस्थ,2016 से संबंधित व्यय

श्री बाला बच्चन	1
श्री आरिफ अकील	2

उपस्थित सदस्यों को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगो और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

अध्यक्ष महोदय-आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी , अनुदान मांग संख्या 21,22,75,78 पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति ने 2 घंटे का समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटितत है-

भारतीय जनता पार्टी - 1 घंटा 25 मिनट

इंडीयन नेशनल कांग्रेस - 27 मिनट

बहुजन समाज पार्टी - 06 मिनट

निर्दलीय - 02 मिनट

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय सीमा का कठोरता से पालन करें.

श्री कमलेश्वर पटेल(सिंहावल)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मांग सख्या 21,22,75 और 78 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने का मौका मिला है. अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव में प्रदूषण निवारण के प्रति सरकार गंभीर नहीं है. वर्षों से अमला नहीं बढ़ाया गया है. प्रदूषण के नये नये तरीके आ गए हैं. प्रदूषण निवारण मंडल में संगणात्मक सुधार की जरूरत है. सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है. उद्योंगों को प्रदूषण फैलाने की छूट दे दी है. उद्योग बेझिझक पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं. सरकार की कोई पर्यावरण नीति नहीं बनी है. 1999 में कांग्रेस के समय जो पर्यावरण नीति बनी थी तब से अब तक पर्यावरण के कई मुद्दे सामने आए हैं. ग्लोबल वार्मिंग,जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण जैसा समस्याएं उभरी हैं . सरकार को चाहिए कि प्रदेश के पर्यावरण के लिए नई नीति बनाये. पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन बेल्ट की घोषणा तो कर दी जाती है. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि जो भी एरिया ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया जाता है और जिन भी गरीब किसानों की जमीन उसमें फंसती है उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पाता या उनके लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए. क्योंकि अगर किसी के पास एक दो एकड़ ही जमीन है या

छोटासा ही रकबा है. तो उसके जीवनयापन के लिए ही संकट खड़ा हो जाता है. इस पर भी मंत्री जी को विचार करना चाहिए. शहरी भूमि पर बेहतरीन बसाहटें बनने और दुरूपयोग को रोकने के लिए शहरी भूमि उपयोग की नीति बनाने की जरूरत है लेकिन भूमि के लालची लोग नहीं बनने दे रहे हैं. जैसे भोपाल में हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, दो साल से मास्टर प्लान आ रहा है. वो मास्टर प्लान आ नहीं पा रहा है. उसके पीछे क्या कारण है ये जानकारी से परे है. इस तरह के सभी छोटे शहर हैं, चाहे जिला मुख्यालय है या और भी जो नगरपालिका स्तर के क्षेत्र हैं वहां भी भूमि उपयोग की नीति आनी चाहिए और प्लानिंग के साथ बसाहट होनी चाहिए. तालाबों के संरक्षण के लिए बजट में जो प्रावधना रखा गया है , वह बहुत कम है. 15 करोड़ की राशि रखी गई है. हम समझते हैं कि अगर पूरे मध्यप्रेदश में शहरों के तालाब के ही संरक्षण की बात करेंगे तो 15 करोड़ तो जन जागरण अभियान , प्रचार प्रसार में ही खर्च हो जाएगा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसमें और बजट बढ़ाने की आवश्यकता है. पहले भी भोपाल में ही हमने देखा है कि तालाब संरक्षण के लिए बहुत पैसा आया पर तालाब का संरक्षण तालाब का हुआ नहीं ,वह पैसा कहां गया तालाब वैसा का वैसा ही है. तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. शहरों का मास्टर प्लान बनाते समय बिल्डरों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है. आम लोगों की सुविधा को अनदेखा किया जाता है. जब भी जिस शहर का मास्टर प्लान आए , आम जनता के नियेजन का और एक समुचित विकास के नियोजन का ध्यान रखा जाय, यह हमारा कहना है. विकास प्राधिकरणों ने अपने उद्देश्यों को पीछे छोड़ दिया है. जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन हुआ था आज वे इन उद्देश्यों से भटक गए हैं और बिल्डरों वाला काम करने लगे हैं. चाहे वह मध्यप्रदेश हाऊसिंह बोर्ड हो या आपके जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, इन्दौर,जबलपुर,उज्जैन,भोपाल. जहां भी विकास प्राधिकरण हैं वे अपने उद्देश्यों से आजकल भटक गए हैं. मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि विकास प्राधिकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाय.

04.15 बजे { उपाध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए]

और उनका काम बिल्डरों जैसा न हो. विकास प्राधिकरणों का गठन गरीबों की सेवा के लिए किया गया था. ताकि आम आदमी को सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सस्ता मकान मिल सके. ये विकास प्राधिकरण और हाऊंसिंह बोर्ड के माध्यम से होता था. पर आज कांपीटिशन के दौर में जो बिल्डरों का रेट है वही आजकल हाऊसिंह बोर्ड और विकास प्राधिकरण का भी हो गया है. उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप भी इस पर ध्यान देंगे.

स्थानीय शासन विभाग के अंतर्गत अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो निकाय मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम के भरोसे लोन लेंगे वह वापिस कैसे होगा. सरकार को मदद करनी चाहिए, ऐसा करने के बजाय उन्हें लोन लेने को कहा जा रहा है. यह एक गंभीर संकेत है. इसका निदान कैसे होगा इसका बजट में स्पष्ट उल्लेख नहीं है. इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है.

जवाहरलाल शहरी पुनरोद्धार मिशन में प्रदेश को लाखों का बजट मिला है. बी.आर.टी.एस. रोड बनी, जिसका बजट प्रावधान सरकार ने किया है. सरकार ने इसका उल्लेख किया है कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेव्हलपमेन्ट का जो पैसा था, वह आगे कन्टीन्यू रहेगा, जबकि इस मिशन को बंद करने का संकेत केन्द्र सरकार दे रही है तो मंत्री जी यह भी आश्वासन दें कि केन्द्र सरकार इस मिशन को बंद नहीं करेगी और इसके तहत जो काम किए जा रहे हैं, वह यथावत जारी रहेंगे. नगरीय निकायों में अर्बन सोशल आडिट होना चाहिए ताकि आम लोग स्थानीय निकायों पर सीधी निगरानी रख सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, मंत्रीजी इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. राजीव गांधी आवास योजना जैसी सरल और महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्रदेश में नहीं मिल पाया है. अब यह पता नहीं चल रहा है कि केन्द्र इस योजना का क्या करेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—दो मिनट में समाप्त करें.

श्री कमलेश्वर पटेल—जी उपाध्यक्ष महोदय दो मिनट में खत्म कर देंगे. सिंहस्थ में सरकार की बदनामी पहले बहुत हुई है, यह किसी से छिपा नहीं है. सड़कें उखड़ गई थीं, जांच हुई, पता नहीं क्या हुआ जांच का, अब फिर सिंहस्थ आ रहा है. उम्मीद है कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं ले सकते. माननीय मंत्रीजी को इस पर विशेष ध्यान होगा, क्योंकि

धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई आस्था का प्रतीक सिंहस्थ है और पूरे देश के लोग आते हैं और पहले जैसी घटना घटी थी, जिस तरह से पैसे का दुरूपयोग हुआ था, आगे इस तरह से नहीं होगा, मंत्रीजी इस पर विशेष ध्यान देंगे. ऐसी हमें अपेक्षा है. गरीबों के लिए आवास बनाने की बात कही गई है. इस बारे में तथ्य यह है कि न तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है और न ही गरीबों को मिल पाता है, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा और सही में जो पात्र हैं, गरीबों के लिए जो EWS मकान बनाए जाते हैं, वह उनको नहीं मिलते हैं. वह अपने हिसाब से बिल्डर्स लोग मैनेज कर लेते हैं या नगर निगम के माध्यम से जो बने हैं, उसमें भी इस तरह की धांधली काफी देखी गई है. उम्मीद है कि भ्रष्टाचार जो बहुत बड़ा मुद्दा है. उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने हेतु वह कड़ा कदम उठाएंगे. आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद.

श्री विश्वास सारंग (नरेला)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21, 22, 75, 78 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. शहर का विकास, नगरीय विकास निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयाम है. वैसे तो आजादी के बाद इस पर बहुत ध्यान नहीं गया, परंतु 74 वें संविधान संशोधन के बाद इस बात पर विचार हुआ कि समुचित रूप से शहरों का विकास होना चाहिए. वैसे यदि हम अपनी संस्कृति की बात करें तो इसके अवशेष हमें मोहन जोदड़ो में भी देखने को मिले थे, हिन्दुस्तान में पुरानी जो बसाहट थी, उसमें शहरों की परिकल्पना थी और बहुत व्यवस्थित शहर थे. इस बात को वर्तमान की सरकार ने पूरी तरह से शिरोधार्य किया. मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि उन्होंने निश्चित रूप से शहरों के विकास के लिए इस सरकार का जो संकल्प है, उसके हिसाब से ही इस बजट में प्रावधान रखा. जैसा मैं कह रहा था कि शहरों का विकास मानव संस्कृति के लिए और उसके विकास के लिए, आगे के पूरे समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यूनाइटेड नेशन का हेबीटाइट में विचार किया अर्बनाइजेशन पर और

अर्बन डेव्हलपमेन्ट पर, उसकी दो बैठकें हुई हैं, उसमें जो दूसरी बैठक हुई, उसमें बहुत रोचक तथ्य सामने आए, मैं पढ़ रहा था, मुझे वह देखने को मिले. मुझे लगता है कि यह सदन को बताना बहुत आवश्यक है. उन्होंने जो स्टडी की, जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने बताया है कि 2050 में जो विकसित देश है, उसकी लगभग 14 परसेन्ट आबादी शहर की सीमा के बाहर रहेगी यानि 86 परसेन्ट शहर हो जाएंगे विकसित देशों में और विकासशील देशों की बात करें तो 66 प्रतिशत आबादी 2050 तक शहरों में निवास करेगी, केवल 33 प्रतिशत आबादी शहर के बाहर रहेगी. इतना तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे गांवों में सुविधाएं कम होना, स्कूल, कालेज, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार परंतु सही मायने में यह बात निकलकर आ रही है कि पूरी दुनिया में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और इससे हमारे देश और प्रदेश भी छूटा नहीं है. इस बात को ध्यान में रखकर इस सरकार ने निश्चित रूप से इस बजट में जो प्रावधान किए हैं, उसका निश्चित रूप से हम सबको समर्थन करना चाहिए. उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मध्यप्रदेश के आंकड़ों की बात हम करें तो नगरीय आबादी लगभग 5.8 प्रतिशत है और पूरे देश में हम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो मध्यप्रदेश 8 वें राज्य के रूप में आता है. एक रोचकका तथ्य और है कि 10 वर्ष पहले हमारे शहर की आबादी 1.61 करोड़ थी, वह बढ़कर लगभग 2.10 करोड़ हो गई है. बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस सरकार ने जो भी प्रस्ताव दिए हैं. मैं उसका समर्थन करता हूं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्यप्रदेश में बनी, तब से नगरीय विकास के बजट में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है. 2002-2003 में यह बजट 738 करोड़ का था, 10 साल में 2013-14 में यह लगभग 4858 करोड़ का हुआ अर्थात लगभग इसमें 6 गुना की वृद्धि हुई है. यह हमारे संकल्प को परिलक्षित करता है. इसी तरह इस बार 2014-15 का जो बजट है, 6012 करोड़ का है, जोकि पिछले बजट से लगभ 819 करोड़ रूपए ज्यादा है. जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने विगत् दिनों इस बात पर विशेष ध्यान दिया, जब शहर के विकास की

बात आती है तो केव नगरीय निकायों तक हमारी आशा की किरण केन्द्रित हो जाती है, कोई और बजट नहीं होता था, लेकिन मुझे इस सदन में यह कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि यदि मैं दूसरी बार इस सदन में पहुंचा हूं तो विगत् दिनों, विगत सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास का मद प्रदेश के शहरों के विकास के लिए दिया, उसी का परिणाम निकला कि मुझे इस चुनाव में उसका फायदा मिला और लगभग 40 करोड़ रूपए की सड़कें मेरे अकेले क्षेत्र में इस बजट से बनी थीं और इसी तरह इस बजट में भी मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के माध्यम से शहरों के विकास की एक अलग अवधारणा प्रतिपादित की गई है, जिसका मैं समर्थन करता हूं.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—विश्वास जी आप ही नहीं बहुत से लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले आए हैं, सबको लाभ मिला है.

श्री विश्वास सारंग—जी हां. उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत शहरों के विकास के लिए अलग से मद बनाया गया, जिससे सड़क बन रही हैं, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो रहा है. मैं भोपाल में ही पैदा हुआ हूं, जो भी चुनाव होता था, चाहे वह पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे वह सांसद का चुनाव हो, हर बार यह बात आती थी कि नर्मदा जी को भोपाल लेकर आएंगे. नर्मदा जी भोपाल के प्यासे कंठों की प्यास बुझाएगी. वह बात केवल और केवल चुनावी वादों तक सीमित रहती थी, परंतु मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि भागीरथ हुए थे, जो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए थे, शिवराज सिंह चौहान जी भी 70 किलोमीटर दूर से नर्मदा मैया को भोपाल लेकर आए, यह भोपाल वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है. मेरे अकेल क्षेत्र में पटरी के पार मेरा पूरा क्षेत्र है, जब मैं विधायक बना था, लगभग 85 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पर डिपेन्डेबल थी, केवल नलकूप के पानी को पीती थी. इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को धन्यवाद देना

चाहता हूं, नगरीय प्रशासन विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से मेरे क्षेत्र में 100 प्रतिशत नर्मदा का जल अब पहुंच चुका है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है. इसी तरह मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत् 72 शहरों में लगभग 977 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं और 2014-15 के बजट में 140 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो कि किसी भी शहर के लिए , किसी भी शहर की आबादी के लिए पेयजल बहुत महत्वपूर्ण है. इसीतरह गांधी जी ने कहा था कि किसी भी मानव संस्कृति के विकास के लिए स्वच्छता बहुत जरुरी है और इस बात को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी आगे बढ़ाया. मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग ने भी स्वच्छता अभियान को लेकर अलग से बजट में प्रावधान किया है और यह केवल सरकार की योजना तक सीमित नहीं है, जनजागरण करना, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि स्वच्छता केवल सरकार या नगर निगम का विषय नहीं है बल्कि यह जनता का विषय है, इस बात को लेकर भी इस बजट में अच्छे प्रावधान किये गये हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कमलेश्वर पटेल जी शहरी गरीबों को आवास देने की बात बोल रहे थे, चाहे हम भोपाल की बात करें या मध्यप्रदेश के बाकी दूसरे शहरों की बात करें, हमें इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा कि रोज शहरों में गांवों से पलायन होता है, गांव के गरीब जिनको गांव में रोजगार नहीं मिलता और रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. वे कहीं न कहीं झुग्गी बनाने के लिए मजबूर होते हैं. सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा, या तो हम गांव की स्थिति ऐसी कर दें कि वहां से कोई पलायन न हो और यदि पलायन हो रहा है और शहर को यदि हमें झुग्गीमुक्त रखना है तो निश्चित रुप से हमें शहर के गरीबों को आवास देने की व्यवस्था करी पड़ेगी और इसलिए इस सरकार ने इस बात का संकल्प लिया है कि प्रदेश को हम झुग्गीमुक्त बनायेंगे और 2014-15 में राजीव आवास योजना एवं आईएचएसडीपी योजना के तहत् 60-60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. यह केवल एक योजना का इतना बजट है जो कांग्रेस की

सरकार में पूरे के पूरे विभाग का बजट होता था, इस सरकार को मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ.

श्री कमलेश्वर पटेल-- विश्वास जी, यह भी तो बताते जाइये कि केन्द्रीय अनुदान भी इसमें शामिल था.

श्री विश्वास सांरग—कमलेश्वर जी, अब केन्द्र में हमारी सरकार है . वैसे कमलेश्वर जी के ज्ञानचक्षु मैं खोलना चाहता हूँ, पैसा कहीं का भी हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे केन्द्र का हो, वह पैसा जनता का होता है... (xxx)... जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी.

श्री कमलेश्वर पटेल—यह कार्यवाही से विलोपित किया जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—यह गलत बात है. इसको कार्यवाही से निकाल दें.(व्यवधान) विश्वास जी आप अपना भाषण जारी रखें. आप लोग बैठ जाएं.(व्यवधान)

डॉ. गोविन्द सिंह-- (XXX)

उपाध्यक्ष महोदय—यह भी विलोपित किया जाए. डा. साहब, यह हम विलोपित करते हैं. (व्यवधान) इस तरह सांकेतिक भाषा ठीक नहीं है.

श्री रजनीश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जब विश्वास सारंग जी बोलते हैं तो फ्लो में इतना बोल जाते हैं कि उन्हें खुद ही को याद नहीं रहता कि कौन कौन सी बात वह बोल रहे हैं.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री विश्वास सारंग—माननीय उपाध्यक्ष जी, शहरों की यदि हम बात करें, पूरी दुनिया में शहरों के विकास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा आयाम है और इस बात को लेकर के पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया. मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार ने यदि कोई योजना बनायी थी, बीआरटीएस के तहत् हमारे शहरों में बसें चलाने की योजना बनायी थी, तो मैं यह बात जोरदार ढंग से कहना चाहता हूँ, हो सकता है दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार हो, पर यदि पूरे देश में उसको लागू किसी दो प्रदेशों ने किया तो एक गुजरात ने किया और दूसरा मध्यप्रदेश ने किया, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी.अहमदाबाद में बीआरटीएस सिस्टम अच्छा चला. कैलाश जी के शहर इन्दौर में चला और भोपाल में भी बीआरटीएस के तहत् निश्चित रुप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया. माननीय उपाध्यक्ष जी, मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव इस सरकार का है और केवल वह प्रस्ताव तक सीमित नहीं है. भोपाल और इन्दौर में मेट्रो की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है, यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और उसके साथ ही जबलपुर में भी यह मेट्रो ट्रेन शुरु होगी उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है. हमारा विचार है, जिस विचार के तहत् भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पण्डित दीनदयाल विचार जी का अन्त्योदय, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को रोजगार देना और उसका कल्याण करना और इस सरकार ने उस विषय पर बहुत काम किया है. जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हाथ ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, घर में कामकाज करने वाली महिलाएँ, उन की आर्थिक स्थिति पर भी हमें कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा. मैं कैलाश भाई साहब को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हाथ ठेला और साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोगों के कल्याण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा है. इसी तरह वह वर्ग जिसकी तरफ शायद पहले कभी नहीं देखा जाता था, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए 3 करोड़ का प्रावधान रखा है और इसी तरह जो शहरी फेरी लगाने वाले लोग हैं उनके कल्याण के लिए 5 करोड़

की बात हमें इस बजट में देखने को मिलती है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमलेश्वर भइया बोल रहे थे कि हाउसिंग बोर्ड ने कोई काम नहीं किया. मुझे लगता है कि उनको यह याद नहीं रहा कि शायद वह कांग्रेस के समय बोल रहे हैं,केवल हाउसिंग बोर्ड की बात नहीं है, इस तरह के कोई भी बोर्ड और निगम जो कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार के कारण आकण्ठ कर्ज में डूबे थे,इस सरकार ने उन सब को उबारा है और उसी का परिणाम है कि हाउसिंग बोर्ड भी उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हाउसिंग बोर्ड के मामले में एक अनुरोध जरुर करना चाहता हूँ, पूरे देश में छठवां वेतन आयोग 2006 से लागू हुआ था परन्तु हाउसिंग बोर्ड एक अकेला मध्यप्रदेश में बोर्ड है जिसमें छठवां वेतनमान 2009 से लागू किया गया. लगभग 48-52 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने वाला है पर वहां के कर्मचारियों ने थोड़ी सी सहिष्णुता दिखाते हुए इस बात पर सरकार को ज्ञापन दिया है कि वे एरियर छोड़ने को तैयार हैं, केवल उनका 2006 से फिक्सेशन किया जाए. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण किसी भी समाज के भविष्य के बहुत महत्वपूर्ण आयाम है और इस विषय में सरकार ने बहुत काम किया है. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जहां ओद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए अच्छे से काम किया गया है उसके साथ ही इसमें समाज जुड़ सके, जनजागरण हो सके, इसके लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है. विगत दिनों माननीय मंत्री जी और मैं स्वयं उपस्थित था, भोपाल में आमजन को लेकर,युवाओं को लेकर लगभग 15-20 हजार युवाओं के साथ एक मेराथन आयोजित की गई थी जिससे पर्यावरण के प्रति समाज जागृत हो सके.(जारी)

जिससे कि पर्यावरण के प्रति समाज जागरूक हो सके इसका काम किया गया था इसी के साथ हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस प्रदेश में रहते हैं जहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ होता है .माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैलाश जी को इस बात का सौभाग्य मिला है कि पिछला सिंहस्थ जो 2004 में आयोजित किया गया था उसकी जिम्मेदारी भी उन पर थी और मुझे लगता है

कि उस समय संतों का जो इनको आशीर्वाद मिला निश्चित रूप से उसी का ही परिणाम है कि कैलाश जी इस तरह से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं . 2016 में भी सिंहस्थ आयोजित होने वाला है .

श्री सुदर्शन गुप्ता-- विश्वास जी , सिंहस्थ हमेशा भाजपा के शासनकाल में आता है. हमेशा सिंहस्थ में भाजपा को सेवा करने का मौका मिला है.

श्री विश्वास सारंग-- सुदर्शन जी बहुत सही बात आपने कही है. माननीय उपाध्यक्ष जी उज्जैन में सिंहस्थ को आयोजित करना अपने आप में बहुत चुनौती है क्योंकि देश के बाकी शहरों में बड़े बड़े तट हैं परन्तु उज्जैन में नदी का तट बहुत छोटा है मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ सिंहस्थ बहुत सफलतापूर्वक आयोजित होता है

उपाध्यक्ष महोदय--- अब आप समाप्त करिये.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, शेर की मांग हो रही है .आप कहें तो मैं बोल दूं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- कैलाश जी भी शेर मंत्री हैं तो इनके सम्मान में एक शेर कहना ही पड़ेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- लेकिन गीदड़ और तेंदुए की बात ना करियेगा.

श्री विश्वास सारंग--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं इस विभाग की सभी मांगों का समर्थन करता हूं और इस बात के लिए करता हूं कि विगत वर्षों में इस विभाग ने जो काम किया है वह ऐसा काम है कि उनके रिपोर्ट कार्ड में इस बात का पूरा संकेत मिलता है कि उनको यह पैसा फिर से दिया गया है तो इसका सदुपयोग होगा. मैं कैलाश जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसी तरह लगे रहे. कैलाश जी के लिए मुझे बोला गया है कि शेर कहे, तो मैं कहना चाहता हूं कि--

"यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं,
ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं,
रख दूं जहाँ कदम तो नये रास्ते बने

और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं." बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती अर्चना चिटनिस(बुरहानपुर)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वास जी ने जो बात कही उसको सुनकर आपके माध्यम से मुझे भी दो पंक्तियों कहना पड़ेंगी कि जिस प्रकार का यह अर्बन डेवलपमेंट का बजट प्रस्तुत हुआ है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि---

"कैलाश जी चलते-फिरते मेहताब दिखाएंगे तुम्हें,
हमसे मिलना अपना शहर दिखाएंगे तुम्हें .
यहाँ चाँद हर छत पर, सूरज हर आँगन में है ,
नींद से जागो , हकीकत से मिलाएंगे तुम्हें".

उपाध्यक्ष महोदय-- वैसे शेर तो बाद में कहा जाता है क्या आप भाषण समाप्त करने वाली हैं .दो तरह के भाषण होते हैं छोटा भाषण थैंक्यू और बड़ा भाषण थैंक्यू वेरी मच.

श्रीमती अर्चना चिटनिस--- उपाध्यक्ष महोदय, अदा-अदा में फर्क होता है कोई शेर से अंत करता है कोई शुरुआत करता है. मैं कम समय में कुछ सुझाव देकर अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करुंगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच में चिंता का भी विषय़ है और बहुत आगे की प्लानिंग अभी से कर लेने का विषय है नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी पीढ़ी को और हमारी सरकार को माफ नहीं कर सकेंगी. अगर हम शहरीकरण के लिए आने वाले 50 वर्षों के लिए तैयार न हो. यह एक अध्ययन से पता लगा है कि भारतवर्ष में शहरीकरण की गति शेष विश्व के शहरीकरण से बहुत तेज है और शायद उसे मद्दे नजर रखते हुए ही हमारे बजट का जो इजाफा हुआ है वह सात गुना हुआ है वर्ष 2002-03 की तुलना में. मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी उन्हें बधाई देना चाहूंगी कि आपने शहरी अधोसरंचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवल शहरों में ही 810 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें, उत्कृष्ट सड़क के रूप में पूरी करी है. अभी यह पहली कड़ी है और उत्कृष्ट सड़क की निर्मिति यह पहला कदम है लेकिन क्रमित विकास शहरों का इसके अंतर्गत हो उसके लिए आपने बजट में प्रोविजन निश्चित तौर पर किया है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस शहर से आती हूं वह ताप्ती के किनारे बसा है लेकिन 66 साल की आजादी के बाद हमें

वहाँ शहरवासियों शुद्ध मीठा पानी पीने को नहीं मिलता है. बहुत सोच समझकर सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना प्रारंभ करी है. मैं मंत्री जी और विभाग को इस बात की बधाई देती हूं. वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 72 शहरों में पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई हैं तथा 977 करोड़ रुपये की राशि का काम प्रगति पर है और इस वर्ष 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि पेयजल की योजनायें जो बड़े बजट की हैं उनको आपने टेंडर भी किया है स्वीकृत भी किया है . मेरे शहर के लिए आपने यूआईडीएसएमटी के लिए भारत सरकार को प्रेषित करी है और आपके माध्यम से उसके लिए भारत सरकार से फंडिंग भी लाने का प्रयास करेंगे . परन्तु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन,संचालन, संधारण करने के लिए नगरीय निकायों के लिए यह एक चुनौती है , इसको सुनिश्चित करने के लिए इसके ऑपरेशन और मेंटनेंस के लिए ओ एंड एम के लिए टैक्नीकल असिस्टेंट्स का प्रावधान होना चाहिए ताकि वह चल सके और इस प्रकार का प्रावधान टेंडर करते समय ही हो कि आगामी 30 वर्ष तक उन्हें निर्बाध रूप से ऑप्टिमम कैपेसिटी पर चलाने के लिए कोई एडीशनल सपोर्ट हो, टैक्नीकल सपोर्ट हो तब ही इन पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन हम भली भाँति कर सकेंगे. मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहती हूं. एक स्त्री होने के नाते से दिल की गहराईयों से बधाई देना चाहती हूं कि गांव तो गांव , शहरों में भी शौचालयों की व्यवस्था गरीब व्यक्ति के घर में नहीं होती. मातायें, बहनें सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर होती हैं , आपने 608 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किये हैं इसलिए आप बधाई के पात्र हैं. न केवल सामुदायिक शौचालय , उस देश में , उस सभ्यता में जहाँ हम महिला को परिवार का देश का, समाज का सम्मान मानकर चलते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि वह गरिमापूर्ण व्यवहार करे, वहाँ उसको लोटा लेकर सड़क पर बैठना पड़े , उससे बचाने के लिए न केवल सामुदायिक शौचालय , आपने व्यक्तिगत शौचालयों की भी स्वीकृति करी और एक –दो नहीं 92406 व्यक्तिगत शौचालय न केवल स्वीकृत हुए , उनके टेंडर हुए, उनके वर्कऑर्डर्स भी हो गये हैं. तो यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है आपने यह किया

है मैं आपको इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहती हूं. मैं कहना चाहती हूं कि एमयूएसपी का काम पूरा हुआ और उन गतिविधियों को पूरा करते हुए उसका आपने रीव्यू भी कर लिया और ब्रिटिश सरकार की इस योजना को एक नये नाम से पुनः आप प्रदेश के लिए मंत्री जी आप ला सके , कैलाश भाईसाहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एमपीयूएसपी के बाद एमपीयूआईआईपी के नाम से आपने नई योजना का क्रियान्वयन शुरु किया है जिसके अंतर्गत कई सारा काम प्रदेश में होगा . उसमें ई-गवर्नेंस में सुधार होगा, ऊर्जा की दक्षता पर काम होगा, शहरी पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण पर काम होगा . इसके लिए 220 करोड़ रुपये,अगर ब्रिटिश की करेंसी में कहे तो 27.4 बिलियन ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग्स आपको उपलब्ध होंगे , मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहती हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी की पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार ने प्रावधान किया कि इसको पीपीपी मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा और उसके लिए मेरा अपने शहर का जो अनुभव रहा कि सात बार रिकवेस्ट फॉर प्रपोजल्स भेजे गये लेकिन पीपीपी मोड पर किसी ने उसमें अभिरूचि नहीं ली या तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ परिवर्तन किया जाये अन्यथा इसको शासन ही टेकअप कर लें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम पीपीपी मोड के बजाय शासन द्वारा किसी भी कार्ययोजना के अन्तर्गत लेकर उसे आगे बढ़ाएँ. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूँगी. अभी अभी कुछ ही समय पूर्व देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हमारा देश प्लास्टिक के टाइम बम पर बैठा है वह टिक टिक कर कह रहा है कब फट जाएगा कहा नहीं जा सकता और पूरा देश कोई नौ सौ टन कचरा रोज फेंक रहा है. उस दृष्टि से मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को इस बात के लिए बधाई दूँगी कि सारे देश के सामने हमारे पर्यावरण विभाग ने एक उदाहरण पेश किया है और उन्होंने जो किया है, पूरा देश उस पर अगर फॉलोअप करे, उसका अगर अनुकरण करे और हम भी अपने यहाँ पर उसको रिप्लीकेट करें. अभी तो हमने मात्र एक उदाहरण किया है और

उदाहरण के स्वरूप हमने दो नगर निगम से आठ सौ मैट्रिक टन प्लास्टिक के कचरे को निष्पादन करके सीमेंट के प्लांट से उसको जोड़ा है और वह उसमें ईंधन का काम कर रहा है. इसको जो आप करके देख चुके हैं, आप उसकी इफेक्टिवनेस देख चुके हैं. मात्र आठ सौ मैट्रिक टन तक कचरे के निष्पादन से हमने शुरुआत भर की है. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जिस प्रकार आपने इसका एक रास्ता जरूर आपने बना लिया है, इसके अन्तर्गत शेष सभी शहरों में, नेटवर्क बनाकर, प्लास्टिक के निष्पादन का अगर हमने कुछ न कुछ सॉल्यूशन नहीं किया तो हमारी सारी अच्छाइयाँ ये एकमात्र प्लास्टिक के वजन के नीचे दब जाएँगी और हम एक बीमार और कमजोर जीवन जीने के लिए विवश हो जाएँगे.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि प्रदूषण की दृष्टि से, जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड काम करता है, उसके लिए, हमारे सामने वाले सदस्यों ने भी शायद कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी विराजमान हैं, 11 करोड़ का प्रावधान है पर अगर हम चाहते हैं कि समाज में अवेयरनेस बढ़े, उस पर हम इफेक्टिवली काम करें, तो उस 11 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केवल उद्योगों तक सीमित न रह कर आम जन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार करने के लिए अवेयर भी करें और उसकी भागीदारी में उसको क्या करना है उसको थोड़ा सा ओरिएंट करें, उसको थोड़ा सा एजुकेट करें, इस दृष्टि से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है.

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी कि नगरीय प्रशासन और आवास पर्यावरण शहरी विकास के ये दो पहिए थे और ये दोनों पहिए अलग अलग विभाग थे. इन दोनों विभागों को जो एक कर दिया, मुझे लगता है इन दोनों विभागों के एक कर देने से शहरी विकास को गति मिलेगी और आने वाले समय में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलेपमेंट पर प्लान किया है. हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश

है जिसने पार्किंग पॉलिसी बनाई है, विज्ञापन की पॉलिसी बनाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनाई है, हमारा प्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है जिसने इन सब चीजों में नीतियाँ बनाकर अपना काम प्रारंभ किया है. इन नीतियों का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र हो, ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्ण निवेदन है

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप एक शेर के साथ समाप्त कर दीजिए तो अच्छा रहेगा.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- उपाध्यक्ष महोदय, शेर के बजाय मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ आग्रह कर लूँ तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- वह विकल्प ज्यादा अच्छा है. आप क्षेत्र की कुछ मांगें रख लें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बुरहानपुर अपने आप में नगर निगम है, जिला है, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहाँ पर एक मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के अन्तर्गत एक ऑडिटोरियम की स्वीकृति करें ताकि हम अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स करने के लिए, हमारे पास एक जगह उपलब्ध हो जाए. उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्दौर से इच्छापुर की रोड है जो स्टेट हाई वे है, शहर के बीचोंबीच से गुजरती है. आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं. आपने इन्दौर में कई फ्लाय ओव्हर्स बना लिए. मेरा आप से आग्रह है कि बुरहानपुर में शनवारा पर एक फ्लाय ओव्हर की स्वीकृति कर दें जिससे आए दिन उस स्टेट हाइ वे पर होने वाली दुर्घटनाओं से हम बच सकें और शहर एक बड़े शहर की ओर बढ़ता हुआ नजर आए. हमें बस स्टेंड की आवश्यकता है, एक मॉडर्न बस स्टेंड के लिए आप बुरहानपुर का चयन करें. मेरा आप से पुनः आग्रह है.

उपाध्यक्ष महोदय, जो नर्मदा किनारे बसे हुए शहर हैं उनमें गंदगी न जाए इस पर आपने बहुत सुन्दर प्लानिंग की है और उपाध्यक्ष महोदय, ताप्ती बूढ़ी गंगा के रूप में जानी जाती है. उसकी उम्र बहुत पुरानी है, पृथ्वी की उम्र के बराबर ताप्ती मैय्या की उम्र है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि

हमारे शहर में सारी झुग्गी बस्तियाँ, सारी मलीन बस्तियाँ, ताप्ती मैय्या के किनारे हैं, सीवरेज का सारा पानी उनमें जाता है. आप से विनम्र आग्रह है कि इसी प्रकार उसको भी, आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं और विभागीय मंत्री भी हैं....

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें. आपने काफी बड़ी मांग रख दी है.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- ताप्ती मैय्या में इस प्रकार का पानी न जाए इस पर आप कुछ कार्ययोजना बनाएँगे. ताकि हम इसको रोक सकें. उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए. एक अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमने एमआईसीज को बहुत स्ट्रेंथन किया है और उस स्ट्रेंथनिंग से एमआईसीज की जिम्मेदारी है कि वह समय पर वर्कऑर्डर्स दे, समय पर रेट सुनिश्चित करे, उनकी इंपावरमेंट काम रोकने के लिए नहीं है, उनकी इंपावरमेंट काम करने के लिए है आप कुछ न कुछ प्रावधान ऐसा करें ताकि समय सीमा के अन्दर एमआईसीज और पीआईसीज अपना काम पूरा करे और अगर समय सीमा में वह काम पूरा नहीं होता है तो या तो शासन अपने स्तर पर ले ले या उसको अधिकारिक तौर पर देखा जाए, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि पहुँचाया हुआ पैसा राजनैतिक कारणों से कहीं न कहीं विकास के लिए इच्छा शक्ति न होने के कारण से शहरी स्तर पर रुक जाता है....

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- आप से मेरा आग्रह है कि एमआईसीज और पीआईसीज समयावधि में काम करे इसके लिए कुछ न कुछ स्ट्रांग प्रावधान लाया जाए, रूल्स में या एक्ट में. जिससे इफेक्टिवली काम कर सकें.

उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार दो पंक्ति कह कर अपनी बात पूरी करती हूँ कि-

प्यास है तो नैन से गगन मत निहार, तेरे लिए बरसने बादल न आएगा, हाथ के छाले न देख, हाथ के छाले न देख, फेंक मत कुदाल, और जरा खोद ले, और जरा खोद ले, जल निकल आएगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र जैन(सागर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21, 22, 75, एवं 78 का समर्थन करता हूँ...

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

कार्य सूची के पद 8 (1) में उल्लेखित अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई)

श्री शैलेन्द्र जैन-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उस विभाग के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जी का बुंदेलखंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं निर्मलचंद जी निर्मल उनकी इन चार पंक्तियों के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ.

कहते हैं कर्म का सूरज जिन्हें है राह देता, निष्काम सेवा भाव जिनको चाह देता,

पद बहुत छोटा हुआ करता है उनको,

वक्त जिनको देश की परवाह देता.

उपाध्यक्ष महोदय-- शैलेन्द्र जी, आप भी भावना में बह गए भाषण जारी रखें. समय तो आगे चल रहा है घड़ी टिक टिक कर रही है.

श्री शैलेन्द्र जैन-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय शहरी क्षेत्र में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे हमारे भाई विश्वास जी बता रहे थे,

ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बड़ी जनसंख्या शहरों में शनैःशनैः निरंतर आती जा रही है तो शहरी क्षेत्र में, शहरी संरचना में, उनका घनत्व बढ़ता जा रहा है. इन सारी तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए वहाँ पर अधोसंरचना का भी निर्माण करना है उनका विस्तार करना है और जो हमारी जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखना है. इस नाते से एक अभिनव पहल मुझे लगता है पूरे देश की यह अनूठी पहल होगी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है. उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 277 नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय इकाइयों में, इसके द्वारा काम किया जा रहा है और लगभग 14 29 करोड़ 79 लाख की वित्तीय स्वीकृति, इस तरह से 277 नगरीय निकाय क्षेत्रों को अभी तक मिल चुकी है.

उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़े शहर हैं उनके विकास की तो चिंता हुई जो छोटे और मध्यम श्रेणी के शहर हैं उनके समुचित और समग्र विकास की चिंता इसके पूर्व में नहीं हो पायी है लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने और विभाग के मंत्री कैलाश जी ने इस दिशा में बहुत ईमानदारी व गंभीरता के साथ काम किया है. मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इसमें जो ऋण दिया जा रहा है उसमें कुछ राशि अनुदान के रुप में मिल रही है और कुछ राशि ऋण के रुप में मिल रही है. लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि हडको से स्वीकृत हो चुकी है इसमें स्थानीय निकायों को बोझ न पड़े इस कारण 75 प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य शासन करेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, विभागीय मंत्रीजी ने एक नई व्यवस्था लागू की है. नगरीय क्षेत्रों में जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता बनाये रखने के लिये थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन की व्यवस्था की गई है, क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी की व्यवस्था की है इससे क्वालिटी में सुधार आयेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्र में जो विकास हो रहा है जो निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिये जो कुछ भी संभव है वह करना

चाहिये. जिन ठेकेदारों का ट्रेक रिकार्ड अच्छा नहीं है, जिनकी करने की सामर्थ्य नहीं है, संसाधन नहीं हैं ऐसे ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करके व्यवस्था से अलग कर देना चाहिये. मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक काम ऐसे पड़े हुए हैं जो ठेकेदार की निष्क्रियता और साधनों के अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं ऐसे ठेकेदारों के प्रति कड़ाई के साथ काम करना होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, हडको से जो ऋण लेने की सुविधा है उसमें कुछ कठिनाई आ रही है इसमें एक ऐसी एजेंसी हो जो उन नगरीय निकायों के साथ हडको के बीच में सामंजस्य का काम करे और आने वाली कठिनाइयों को दूर करे. सागर का साढ़े 11 करोड़ रुपये का ऋण 4 महीने से स्वीकृत नहीं हो पा रहा है इस तरह कोई एजेंसी बनायेंगे तो कामों में गतिशीलता आयेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के विषय में कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की शुरुवात की गई है यह प्रशंसनीय कदम है इसमें 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सागर की एक बड़ी पेयजल योजना दो तिहाई शहर में पूर्ण हो गई है एक तिहाई शहर अभी प्यासा है. कैलाश जी हमारे पालक मंत्री रहे हैं वे सागर की कमियों से, सागर की अच्छाइयों से, सागर की आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित हैं. स्वच्छता के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने पर्याप्त बता दिया है. हमारी सरकार का यह संकल्प है कि वर्ष 2017 तक खुले शौच को पूर्णत: बंद कर दिया जायेगा. यह अभिशाप है इससे मुक्ति दिलाने के लिये हमारी बहन ने भी कहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैं बात करना चाहता हूं. यह न सिर्फ बड़े शहरों के लिये बल्कि सागर जैसे शहरों के लिये भी अत्यंत आवश्यक है. 20 सालों से सुन रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ व्यवस्था होने वाली है अभी तक किसी न किसी वजह से काम अटका पड़ा है. हमने अपनी योजना बनाकर शासन को भेज दी है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था वे कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा. पॉलीथिन मुक्त शहर बनाने का हमने संकल्प लिया है इस दिशा में अनेक काम करने की आवश्यकता है इसमें हमें

शासन के सहयोग की आवश्यकता होगी. इंदौर, भोपाल व अन्य शहरों में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन का काम हो रहा है छोटे शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाये ताकि हम पॉलीथिन के अभिशाप से मुक्त हो सकें.

उपाध्यक्ष महोदय, सागर की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है एनएलसीपी (नेशनल लेक कंजरवेशन प्रोजेक्ट) जिसके तहत हमें 22 करोड़ रुपये मिले हुए हैं. इसमें एक कमेटी है जिला स्तरीय, एक कमेटी है संभागीय स्तरीय, एक कमेटी है राज्य स्तरीय और एक कमेटी है राष्ट्र स्तरीय उनमें को-ऑर्डिनेशन की कमी है उसकी वजह से इस योजना में से 22 करोड़ में से पिछले 10 सालों में हम एक करोड़ रुपये ही खर्च पाये हैं. मंत्रीजी हमारी इस योजना पर ध्यान देंगे. हमारी दूसरी बड़ी योजना है UIDSSMT की, सीवरेज सिस्टम की इसमें 100 करोड़ रुपये सागर नगर निगम के पास उपलब्ध है लेकिन जब टेंडर किया तो 250 करोड़ रुपये का टेंडर आया. मैं आपके माध्यम से कैलाश जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारी सीवर लाइन का काम बहुत महत्वपूर्ण है और उसी लाइन से सागर के तालाब की योजना इंटरलिंक्ड है. आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हमारी इन दोनों योजनाओं को क्लब करके STP सिंगल बनाकर उस योजना को आगे बढ़ायें. यह 250 करोड़ की योजना है इसको स्वीकृति दें. हमारी एक योजना जो 22 करोड़ की है वह मूलत: 50 करोड़ की थी आज से 10 वर्ष पहले केन्द्र ने हमारी इस योजना को कट कर दिया है और डी-सिल्टिंग का पूरा का पूरा आईटम माइनस कर दिया है. डी-सिल्टिंग के बगैर हमारे तालाब की रिटेंशन केपेसिटी कम होती जा रही है सागर का तालाब मर रहा है उसको पुनर्जीवन की आवश्कता है उसको जीवन देने का काम माननीय कैलाश जी कर सकते हैं. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने शासन के समक्ष एक स्कोरिंग स्कूज का प्रपोजल भेजा है जो कि 62 लाख रुपये का है. इससे नई सिल्ट जमा होने से निश्चित रुप से बच जायेगी. शहरी IHSDP योजना के माध्यम से सागर शहर में हमने 480 मकान बना लिये हैं लेकिन उस डीपीआर में पेयजल व्यवस्था नहीं हो पाने

की वजह से वहां पर लोगों का विस्थापन नहीं हो पा रहा है. हमने एक योजना बनाई है जो 2.83 करोड़ की है यह पेयजल की योजना है इससे न केवल उन 480 मकानों के लिये पेयजल उपलब्ध हो जायेगा वरन सागर के अनुसूचित जाति वर्ग के आठ वार्डों के लिये पेयजल की समस्या का निदान हो जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, बगैर शेर के हमारी बात कैसे समाप्त होगी.

उपाध्यक्ष महोदय—आप भी एक शेर ले आइये, इतने शेरों को रखेंगे कहां पर शेजवार साहब भी नहीं है उनसे सलाह कर लेते.

श्री शैलेन्द्र जैन—उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं—

मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज,
और परमार्थ के काज में मोहे न आये लाज.

मैं जो कुछ मांग रहा हूँ सागर शहर के लिये मांग रहा हूँ और कृपापूर्वक कैलाश जी हमें देंगे. अंत में, मैं कैलाश जी के लिये कहना चाहता हूँ---

तुम्हारी बज्म में देखा न हमने "दाग" सा कोई
जो सौ आये तो क्या आये हजार आये तो क्या आये.

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा (राजनगर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21, 22, 75 और 78 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी आवास योजना के प्रथम चरण में यह व्यवस्था 6 शहरों के लिये की गयी थी एवं द्वितीय चरण में यह 12 शहरों के लिये थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह राजीव गांधी आवास योजना चूंकि खजुराहो विश्व मानचित्र में है, वहां पर एक नगर पंचायत है और वहां पर नगर पंचायत के हिसाब से वहां वोटर्स भी ज्यादा हो चुके हैं।

कृपा करके उसको नगर पालिका करवाने का काम किया जाए, अगर वहां नगर पालिका वहां हो जायेगी तो यह योजना वहां पर भी आ जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय:- आपका सुझाव अच्छा है।

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा :- आपकी राजीव ऋण योजना जो लागू है, जिसमें अक्टूबर 2013 में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के मकान बनाने के लिये शुरू की गयी थी। इस योजना का स्वागत करता हूं और यह काफी अच्छी है , इसमें शासन का प्रचार प्रसार में काफी पैसा खर्च हुआ है। परन्तु इस योजना का क्रियान्वयन और इसका प्रचार प्रसार घर घर तक पहुंचना, यह नहीं हो पाया है। इस तरफ मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय शहर आवीजिका मिशन (NULM) से जो राशि शासन को प्राप्त होती है, जिसमें मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 2012 में प्रारंभ की गयी। 50,000 जनसंख्या वाले शहरों के लिये वर्ष 2013-14 में पेयजल योजना के लिये 90 करोड़ अनुदान राशि नगरीय निकायों को जारी की गयी। योजना अंतर्गत 2014 तक 977 करोड़ की कुल 72 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है, किन्तु उसमें जो कार्य हुआ है वह मानक स्तर से सही ढ़ग से काम नहीं हुआ है और उनकी टंकिया, पाईप लाईन है या कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ी जरूर है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें जहां जहां गड़बड़ियां हैं वहां जांच करवाने की कृपा करें। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, मिशन हेतु पंचवर्षीय योजना के तहत रूपये 459. 44 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। मिशन के लिये वित्तीय वर्ष 2013- 14 में रूपये 78.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में शौचालय, कचड़ा और स्वच्छता के नाम पर काम होता है, ठोस अवशिष्ट के कलेक्शन हेतु भी यह राशि खर्च की जाती है। मेरा यह कहना है कि यह योजना बहुत अच्छी है, इस योजना को हर नगरीय निकायों में पहुंचाया जाए। ताकि विशेष तौर पर हमारे बुन्देलखंड जिले में जो विसंगति है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप कृपया समाप्त करें, आपके दल के कुल 27 मिनिट हैं।

श्री गोपाल भार्गव :- राजा आप छोड़िये अपन बुन्देलखंड के लोग हैं, आप तो खजुराहो के मंदिर बैठकर दिवारें देखो। यह सब काहे के लिये कर रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- जनता ने उन्हें भेजा है, यहां पर बैठने के लिये।

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नगर पंचायत खजुराहो में कोई खेल का मैदान नहीं है। नगर पंचायत खजुराहो में एक व्यवस्था की जाए, ताकि वहां के जो युवा लोग है वह क्रिकेट और फुटबाल के गेम कम से कम खेल सकें। इसके लिये मैदान चयनित है, केवल उसके लिये राशि की व्यवस्था कर दीजिये। आप उसका प्रबंधन कर दीजिये, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह राशि की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह काफी दरियादिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय:- वह अमेरिका से लौटने के बाद और दरियादिल हो गये हैं।

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा :-मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। लवकुश नगर, नगर पंचायत में एक राजापुर्वा वार्ड आता है, उसकी लंबाई 1.27 किलोमीटर है उसकी सड़क के लिये अगर इसी बजट में प्रावधान करवा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। वहां पर आजादी से लेकर अभी तक सड़क नहीं बन पायी है। इसी प्रकार सिंगवापुर्वा है,दो पुर्वों के लिये लवकुश नगर में और राजनगर में जैसा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का नाम है, वहां पर वार्ड क्रमांक 2,3,4 में भयानक पेयजल संकट है वहां पर एक पानी की टंकी बनवाने का कष्ट करें। अब मैं सिहस्थ की बात करना चाहता हूं,

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया :- वहां आपको दर्शन करने के लिये आना पड़ेगा।

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा:-मैं वहां पर बिल्कुल दर्शन करने आऊंगा, पिछली बार भी वहां पर गया था। उपाध्यक्ष महोदय,सिंहस्थ के लिये जो प्रावधान किया गया है, वह स्वागत योग्य है। यह एक अच्छा कार्य है, यह मध्यप्रदेश के लिये गौरव की बात है कि सिंहस्थ हमारे प्रदेश में होता है और यह दूसरा सिंहस्थ है, मेरे सामने यह दूसरा सिंहस्थ होगा, माननीय कैलाश जी दूसरी बार इसका प्रबंधन करेंगे और इसका उन्होंने जो प्रावधान किया है। वह स्वागत योग्य है। इसमें मेरा एक

निवेदन है कि इसमें भ्रष्टाचार न हो पाये। इसमें मानीटरिंग की आवश्यकता है। नगर पंचायत में जो कालोनियां है पिछली बार गौर साहब ने कहा था कि हम इनको नियमित करेंगे। परन्तु मेरा निवेदन है कि अभी तक वह कालोनियां नियमित नहीं हो पायी है। आप उनको नियमित करने का कष्ट करेंगे।

श्री रामेश्वर शर्मा (हुजूर):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान मांगों 21,22,75 और 78 के समर्थन और कटौती प्रस्तावों को विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश की वह सरकार है, क्योंकि मैंने तो नगर निगम के पार्षद के रूप में जो हमने राजनीति की, उस समय मध्यप्रदेश के मुखिया श्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। तब हम अपनी राजधानी के लिये पैसा मांगने जाते थे तो दो लाख तीन लाख रूपये हमे चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलती थी। शिवराज सिंह जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कैलाश जी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के जमाने में 6 हजार, 12 करोड़ रूपये का जो आपने प्रावधान किया है जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार से 9 गुना अधिक है। यह मध्यप्रदेश के विकास की अवधारणा है और इस अवधारणा में जब हम लोग विचार करेंगे तो केवल दिग्विजय सिंह जी की सरकार कहीं है ही नहीं, दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि चुनाव तो प्रबंधन से जीते जाते हैं, विकास से नहीं जीतते। हमने मध्यप्रदेश की सरकार में रात को मशाल लेकर और चक्का जाम करके यह बताना पड़ता था कि ऐसे नहीं तब यहां पर एक नारा मध्यप्रदेश के लोगों ने दिया अन्धेरा हटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा औरउसमें से यह कमल खिलकर सामने आया और मध्यप्रदेश के विकास की योजना केवल यहीं नहीं रूकती, जब श्रीमान अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी उस समय उन्होंने अम्बेडकर वाल्मीक आवास योजना का निर्माण किया वह चाहते थे कि अनुसूचित जाति,जनताति पिछड़े वर्ग के लोगों को पक्के मकान मिले , पर कांग्रेस ने उसमें राजनीति की और

राजीव गांधी आवास योजना यहां पर चालू की परंतु मैं मुख्यमंत्री जी का और माननीय कैलाश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने राजीव जी का नाम नहीं बदला.

श्री सोहनलाल बाल्मीक - उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट है या भाषण है.

उपाध्यक्ष महोदय – उनको बोलनें दें.

श्री रामेश्वर शर्मा – 72299 मकान बनाकर हमने गरीबों को दिये यह मध्यप्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. यह काम यहीं नहीं रुकता. दिग्विजय सिंह जी ने कुछ संकल्प लिया है कि नहीं परंतु शिवराज चौहान जी ने संकल्प लिया है उन्होंने कहाकि 2018 तक मध्यप्रदेश के एक-एक गरीब तक, मध्यप्रदेश के एक-एक पिछड़े आदमी तक, मध्यप्रदेश के एक-एक बेरोजगार तक पांच लाख मकान का निर्माण करके उसके ऊपर छत होगी और वह भी अपना सपना देखेगा कि उसके पास पक्का मकान है. आज इस तरह के मकान निर्माण की योजना स्थानीय शासन विभाग में चल रही हैं. अनेक बातों पर यहां बात हुई हम जब दिल्ली की सरकार से राजधानी में बैठकर मांग करते थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार है. एक पैसेंजर ट्रेन दे दो. मनमोहन सिंह जी की सरकार हमको एक पैसेंजर ट्रेर ट्रेन नहीं दे सकती थी लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं शिवराजी जी का और कैलाश विजयवर्गीय जी का कि अब मध्यप्रदेश के चार-चार महानगरों में मेट्रो ट्रेन शुभारंभ होने जा रही है जिसमें भोपाल है, इन्दौर है,जबलपुर है, केवल यह काम यहीं नहीं रुकता और आगे बढ़ता है. मध्यप्रदेश में लोक सेवा परिवहन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने और महत्वपूर्ण काम किये. उसने 1500 बस लाकर प्रत्येक नगर में पहुंचाने का काम मध्यप्रदेश सरकार ने किया है. मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार का जब काम करने का तरीका हो, दृढ़ विश्वास हो, कीचड़ जहां होता है वहां कमल खिलता है लेकिन जहां कमल होता है वहां पक्की सड़क का भी निर्माण हो सकता है. हमने शहर की अधोसंरचना को परिवर्तित किया है. जब हम पानी की व्यवस्था को देखते थे पानी के लिये हाहाकार होता था, चारों तरफ आंदोलन होते थे आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

कैलाश विजयवर्गीय जी को कि जब दिग्विजय सिंह जी थे हम नर्मदाकी मांग करने उनसे जाते थे तो वह कहते थे कि कमण्डल लेकर नर्मदा के घाट पर बैठो वहीं तपस्या करो अरे, दिग्विजय सिंह जी आपको कमण्डल मध्यप्रदेश की जनता ने दे दिया परंतु हमने भोपाल की जनता को नर्मदा का पानी दिया. मैं सरकार को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कमण्डल तो इस बात का प्रतीक होता है. या तो कमण्डल लोग प्यार से स्वीकार करते हैं या कमण्डल जबरन थोप दिया जाता है तो यह कमण्डल मध्यप्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने कांग्रेस को दे दिया है. अब यह कमण्डल लेकर आप घूमो. फेरी लगाने का काम अब आपका है.

उपाध्यक्ष महोदय – आप कटारे जी का केस मजबूत कर रहे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा – मैं उनका कुछ भी मजबूत नहीं करना चाहता.

उपाध्यक्ष महोदय – अपने क्षेत्र पर आएं. कुछ क्षेत्र की मांगे रखें माननीय मंत्री जी से. आप बहुत दूर जा रहे हैं .

श्री रामेश्वर शर्मा – मैं उसी पर आ रहा हूं. मैं राजा भोज की नगरी में रहता हूं और इस मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य हूं तो जो बाहर की भी सुनूंगा वह भी कहूंगा कुछ अंदर की होंगी वह भी कहूंगा परंतु कटारे जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा. क्योंकि कुछ कहने योग्य हो तो कहूं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा – दिग्विजय सिंह जी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम आप बार-बार ले रहे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा – वे मुख्यमंत्री रहे हैं. मैं सम्मान से ले रहा हूं अपमान नहीं कर रहा.

उपाध्यक्ष महोदय – कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है उन्होंने.

श्री रामेश्वर शर्मा – आपत्तिजनक बात नहीं कही है. अगर आप कहो तो कर दूं.

उपाध्यक्ष महोदय – हम विलोपित कर देंगे. आप जारी रखें.

श्री रामेश्वर शर्मा – मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजा भोज के नगर भोपाल से आते हैं. यह ताल,तलैयों,झीलों का शहर कहलाता है. जब हमारी अधोसंरचना जन्म ले रही होगी तब राजा भोज इस धरती पर आए होंगे. तब उन्होंने शहर के बीचोंबीच एक विशाल तालाब का निर्माण किया होगा. आज वह तालाब के अंदर राजा भोज की प्रतिमा मध्यप्रदेश की सरकार ने लगाकर भोज के भोपाल के सपने को साकार किया है. पर मैं मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम झीलों का संरक्षण तो करना चाहते हैं. झीलों के संरक्षण करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी है. पर एक प्रार्थना है हम एक भोज पथ का निर्माण करें. जैसे लोग नर्मदा जी का पथ गमन करते हैं. नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं. ऐसे ही भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसकी भी परिक्रमा होना चाहिये. इसीलिये मैं चाहता हूं कि खानूगांव,वी.आई.पी. रोड से लेकर संत हिरदाराम नगर वहां से वनट्री हिल्स फिर भैंसाखेड़ी और भैंसाखेड़ी से ईंटखेड़ीछाप और वहां से सूरजनगर और सूरजनगर से वन विहार आकर भोज पथ का निर्माण होगा तो यह जीवंत पथ होगा और इस पथ के कारण इस तालाब के आसपास होने वाले अतिक्रमण से भी मुक्ति मिलेगी इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि झीलों का संरक्षण करना हमारा दायित्व हैक्योंकि सभ्यताएं यहां पनपती हैं और सभ्यताएं बिना जल के जिंदा भी नहीं रह सकती जैसा आपने नर्मदा का सफाई अभियान चालू किया है वैसे ही राजा भोज के तालाब के लिये भी आपने उसके संरक्षण का काम किया है. राजधानी चारों तरफ फैल रही है. राजधानी के बीचों बीच कलियासोत डेम है कलियासोत डेम से कलियासोत नदी निकलती है वह कलियासोत नदी 18 कि.मी. होते हुए बेतवा में जाकर मिलती है जैसे साबरमती गुजरात की पुरानी नदी है उसका विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया. मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कलियासोत नदी का साबरमती नदी जैसे सौंदर्यीकरण और विकास किया जाए. हम जब शहरों को देखते हैं तो उसमें आवागमन के लिये सड़कों की भी आवश्यकता होती है. आज राजधानी में कई कालोनियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ नहीं

पा रही है अगर उनको नहीं जोड़ेंगे तो राजधानी का स्वरूप नहीं बन पाएगा.इसलिये मैं चाहता हूं कि कलियासोत नदी पर दो पुलों का निर्माण होकर कोलार और भोपाल को जोड़ने के लिये भी काम किया जाए.

जब हम मेट्रो की कल्पना करेंगे तो मेट्रो भोपाल चारों तरफ घूमेगी जब मेट्रो भोपाल चारों तरफ घूमेगी तो राजधानी में आन्ने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी. नहीं तो मध्यप्रदेश की राजधानी में रोज गाड़ियां बढ़ रही हैं. गाड़ियां बढ़ने से यातायात असुविधाएं पैदा हो रही हैं. एक्सीडेंट कीसंभावनाएं बढ़ रही हैं. इसीलिये मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जो मेट्रो ट्रेन चलाना चाहते हैं यह मेट्रो ट्रेन संत हिरदाराम नगर से चले. ये कोलार तकचले वहां से बीएचईएल जाए नरेला जाए गांधीनगर जाए. सब तरफ राजधानी को समेटते हुए मेट्रो ट्रेन का खाका तैयार किया जाए जिससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलें. एम्स जैसे अस्पताल खुलें और इसलिये मध्यप्रदेश सरकार ने जो यह बजट रखा है. इस बजट का मैं स्वागत करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब दूसरा बजट मध्यप्रदेश सरकार इस सदन में रखेगी तो राजधानी से लेकर शहरों का जो विकास होगा उसकी चर्चाएं भी हम करेंगे. आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब जो नये सदस्य हैं इनको बोलने दिया जाए. एक प्रार्थना और करना चाहता हूं जो वहां पर प्रबोधन हुआ उस उद्बोधन का किसी पर प्रभाव नहीं है. माफ करना तुलसी की वह चौपाई "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" जो नेता प्रतिपक्ष ने वहां बोला उसका यहां विपरीत किया.

उपाध्यक्ष महोदय – अभी आप बजट पर बोल रहे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा – हमें पीड़ा है. हम नियम विरुद्ध नहीं बोलना चाहते. हम यह चाहते हैं कि हम नये सदस्य हैं हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर कोई अपमान करता है तो उसकी भी जवाबदारी कहीं न कहीं हमारे अंदर है. मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम

कुंभ से पैदा हुए हैं. और कुंभ की तैयारियों की तरफ जा रहे हैं और जब महाकाल की रथयात्रा शिवराज जी ने मतदान का आव्हान किया तो महाकाल के चरणों में माथा टेककर शिवराज जी मध्यप्रदेश के अंदर गये और लोग कहते हैं कि शिवराज जी की सरकार पर ये षड़यंत्र रखते हैं सरकार को बदनाम करते हैं वे यह भूल गये कि यह सरकार मध्यप्रदेश की जनता और महाकाल के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है. इस सरकार का कोई कुछ नहीं करेगा. जिसकी रक्षा महाकाल करता हो उस सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्री शंकरलाल तिवारी—मेरी एक चौपाई है रामेवश्वर शर्मा जी के लिये है.

बूंद आगाद सांई गिरि कैसे खलके बचन संत सहेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—वाह पंडित जी.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को(पुष्पराजगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में मात्र एक नगर पंचायत पवित्र नगरी अमरकंटक है और मां रेवा को प्रणाम करते हुए माननीय सदस्यों के विचार मां नर्मदा के प्रति सारा सदन चिन्तित है मां नर्मदा की पवित्रता और शुद्धता को बनाये रखने के लिये और उसका पवित्र जल मेकल से चलकर भोपाल के विभिन्न जगहों पर लोगों को खुशहाली बांट रहा है. अमरकंटक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है मां रेवा के अस्तित्व के साथ उसकी सेवा के लिये बहुत सारे अनुसूचित जनजाति के लोग उसके अगल-बगल में बस गये उसने धीरे-धीरे नगर का स्वरूप लिया साधु-महात्माओं के बड़े बड़े धर्मार्थ आश्रम बने और आज लाखों लाख लोग माई के दर्शनार्थ वहां पहुंचते हैं. पिछले शिवरात्रि मेले में लगभग 5 लाख लोग दर्शनों के लिये पहुंचे निश्चित ही अमरकंटक नगर पंचायत बना और पंचायत बनने के साथ वहां पर संख्या बढ़ी और संख्या के साथ प्रदूषण भी बढ़ा, उसके अगल-बगल पूरे गांव बस गये और लोगों ने मकान बना लिये. मां नर्मदा के जल में गटर का पानी समाहित हो रहा है उसकी एक योजना बनायी जाय

वहां उद्गम स्थल है वहां पर तीन नदियां निकल रही हैं सोन, जुहेला, है उसमें गटर का पानी जा रहा है उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाय और उस पानी को रोका जाय ताकि उसकी शुद्धता एवं पवित्रता बनी रहे. 2003-04 के पूर्व लाखों लाख लोग उस मूल कुंड में स्नान करते हैं आज उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है. विश्व में ऐसी नदी नर्मदा ही है जिसकी परिक्रमा की जाती है और लोग परिक्रमा करके जब नर्मदा जी में आते हैं उनको वहां पर स्नान नहीं करने दिया जाता है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी लोगों को यदि आप प्रतिबंधित करते हैं ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति जो मां नर्मदा की परिक्रमा करके वहां आते हैं वहां जाकर परिक्रमावासियों को एक डुबकी लगाने की छूट दी जाय, यह आस्था से जुड़ा हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी यह महत्वपूर्ण सुझाव है.

श्री फुंदेलालसिंह मार्को—उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाय और दूसरा जनसंख्या बढ़ी है तो लोगों को इधर-उधर विस्थापित कर रहे हैं हम अतिक्रमण करते हैं यह आज से नहीं जब से साधु-संतों की सेवा में बहुत सारे लोग अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग इकट्ठे होकर बस गये उन्होंने छोटी छोटी झुग्गी-झोपड़ियां बना लीं. हम उनको अतिक्रमण के नाम से हटा देते हैं, लेकिन उनको वहां पर व्यवस्थित किया जाय और उनको पट्टा दे दिया जाय ताकि वह बार बार और कई बार अतिक्रमण के चपेट में न आयें उनकी आस्था मां नर्मदा जी से है, उसके उद्गम से है वहां उनको स्थायी पट्टा देकर के उन्हें सेवा करने का मौका दिया जाय. दूसरा अमरकंटक में छोटे-छोटे स्थल हैं वहां पर दर्शनार्थी जाते हैं एकाध घंटे चार घंटे घूमकर फिर वह सोचने लगते हैं कि अमरकंटक इतनी दूर हम गये हैं फिर हम क्या करें तो वहां पर बहुत सारे प्वाईंट्स है उनका नाम लेना चाहूंगा और उनके विकास के लिये निवेदन करना चाहता हूं हमारा रूद्रगंगा वहां पर आवागमन की व्यवस्था कर दी जाय, वहां पर जल प्रपात बहुत ही अच्छा है उसका विकास किया जाय. भ्रक मंडल, धूनि पानी ऐसी जगहें हैं जिनके मार्ग का निर्माण किया जाय और नाका तिराहा से

कबीर चौराहे तक बढ़िया रोड़ बना दिया जाय ताकि लोग आने-जाने लगें. पिछले शिवरात्रि मेले में 5 लाख लोग इकट्ठे हो गये और उस दिन बहुत अधिक वर्षा हुई कि लोगों में भगदड़ मच गई छोटे छोटे बच्चे लेकर के लोग भागने लगे ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण करा दिया जाय ताकि ऐसे समय में यदि किसी प्रकार की मुसीबत आ गई अतिवृष्टि होने लग गई वहां पर बारिश होती ही है मैं चाहता हूं बड़ी बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण कर दिया जाय ताकि लोग वहां जाकर के रूकें और लाभ लें. जंगलों की बड़ी तेजी के साथ कटाई हो रही है करीब 1997-98 में साल के वृक्ष काटे गये, लेकिन वहां पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है जिसके कारण धरातल फूल गया है और बहुत सारा भू-कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिये वृक्षारोपण किया जाना बहुत आवश्यक है. गायत्री सरोवर और सावत्री सरोवर बने हुए हैं वहां पर सीपेज के कारण वहां पर पानी नहीं रूक रहा है इसको पुनः नवीनीकरण कर दिया जाता है तो जो लोग बाहर से आकर स्नान करते हैं, उसका उन्हें लाभ मिलेगा. कपिलधारा के लिये अच्छा रोड़ निर्माण किया जाय जिस तरीके से हमारे सिंहस्थ के लिये बजट प्रावधान है मैं मंत्री जी से कृपा चाहूंगा कि वैसा ही प्रावधान मां नर्मदा अमरकंटक में महाशिवरात्रि के लिये बजट उपलब्ध कराया जाय लोग तमाम दूर दूर से लाखों लाख इकट्ठा होते हैं यदि आप बजट की व्यवस्था करेंगे तो वहां का मेला और अच्छा हो जायेगा इससे लोगों को अच्छा लाभ भी मिलेगा. दो सुझाव और देना चाहता हूं अमरकंटक पोलीथिन के उपयोग को वर्जित किया जाय यह पूरे प्रदेश में हो जाय तो बहुत बड़ी कृपा होगी. अमर कंटक में शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिये जब एक ही जगह में लाखों लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर शौचालयों की बड़ी दिक्कते हैं मैं चाहता हूं कि अमरकंटक नगरी के आसपास जहां जहां पर प्वाईंट्स हैं वहां पर शौचालयों की व्यवस्था के साथ पानी की भी व्यवस्था कर दी जाय.

उपाध्यक्ष महोदय—अब आप समाप्त करें. मंत्री जी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं इसको कृपा नोट करें.

श्री शंकरलाल तिवारी (सतना)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21,22,75, 78 के समर्थन में खड़ा हूं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले नगरीय निकाय की हालत किसी से छुपी नहीं है. मैं अगर अपने ही संभाग की बात करूं, तो रींवा जैसे नगरनिगम में वेतन बांटने के लाले पिछले समय 2003 के पहले पड़ा करते थे और निरंतर जैसे ही बी.जे.पी. की सरकार आई, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति जो दीवालियेपन की तरफ थी जिस तरह पूरे सरकार की थी, उसको सुदृढ़ और मजबूत करने का काम सरकार ने निरंतर किया, बजट प्रावधान किये और नगरीय क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना तथा उच्च स्तर की नागरिक सुविधायें दिलाने के लिये सरकार निरंतर संकल्परत रही और उसी का परिणाम है कि नगरीय निकायों में चाहे वह नगरनिगम हों, चाहे नगरपालिका हों, नगर पंचायत हों कहीं भी अधोसंरचना के कार्यों के लिये और विकास के कार्यों के लिये, जनसुविधा के कार्यों के लिये राशि की कमी सरकार ने अपनी ओर से नहीं की. जवाहर लाल नेहरू शहरी मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन और मुख्यमंत्री शहरी पेय जल मिशन यह कार्य योजना लेकर और चिन्हित करके इन नगरनिगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों ने सभी वर्ग के लोगों को जो आवश्यक जल सुविधायें हैं, वह जल सुविधायें दिलाने का प्रयास किया गया है. वर्तमान बजट में इन योजनाओं हेतु 1 हजार, 70 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि वर्तमान बजट में कुल 5 हजार, 895 करोड़ रूपये का प्रावधान नगरीय निकायों के लिये और नगर के विकास के लिये, जनसुविधाओं के लिये किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 14 परसेंट अधिक है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय निकाय मंत्री को और सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उसने शहर की पेय जल व्यवस्था और भूमिगत जल को जो एकदम नीचे जा रहा है, कहीं 400 फुट, कहीं 500 फुट और कहीं 600 फुट पर

भी पानी नहीं मिल रह है शहरों में, उसको ठीक करने के लिये जल स्तर बढ़ाने के लिये शहर के तालाब और आसपास की झीलों को पुनर्जीवन देने का काम और उनको ठीकठाक करने का काम करने का वायदा इस बजट में किया है, उसके लिये 15 करोड़ रूपये का प्रावधान भी इस बजट में है. अभी एक वक्ता ने कहा था कि यह 15 करोड़ रूपये सच में कम हैं. मैं भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे शहर सतना में पेय जल का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है. पानी 400-500 फुट के नीचे भी कई स्थानों में मिल नहीं पा रहा. शहर में एकमात्र तालाब है जगतदेव तालाब, दूसरा तालाब है नारायण तालाब, संतोषी माता तालाब और अमहुदा का तालाब अगर इन तालाबों में निरंतर मांग होती रही, प्रभारी मंत्री जी ने भी इस जगतदेव तालाब और नारायण तालाब के लिये पिछले समय योजना बनवा करके सरकार के पास भेजी थी, मैं आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री जी से कहूंगा कि जगतदेव तालाब, नारायण तालाब और संतोषी माता तालाब, अमहुदा तालाब के लिये निश्चित रूप से राशि का प्रावधान करें और इन तालाबों का गहरीकरण, सफाई और सौंदर्यीकरण का भी काम किया जाये.

(5.44 बजे, (सभापति महोदय, श्री मान्वेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए

श्री शंकरलाल तिवारी--मान्यवर सभापति महोदय, सतना में एक ऐसा स्थान है जहां सतना नदी और ट टमस नदी का संगम है और इन दोनों नदियों के संगम के साथ -साथ केदारी का एक नाला है, जो नाला तो बोला जाता है, परंतु उसका पानी भी किसी नदी के पाट से कम उसका पाट नहीं है, ना धार है. इन तीनों नदियों का संगम खेरूआटोला के पास और बेलहटा के समीप में जो नगरनिगम से लगा हुआ मुश्किल से 3-4 किलो मीटर का एरिया है, यदि वहां पर इस राशि के माध्यम से जो तालाब और झील संरक्षण के लिये की गई है, वहां पर सौंदर्यीकरण और पिकनिक प्लेस बनाया जाये, तो निश्चित रूप से शहर के लोगों को एक स्थान मिलेगा. मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सतना में बरस्टैंड बीच शहर में आ गया है,

सेमरिया चौराहे में जो बस स्टेंड स्थित है, वह बरस्टैंड मान्यवर, सुंदर लाल जी पटवा जब मुख्यमंत्री थे, उस समय वह बरस्टैंड को बनाया गया था. शहर की आबादी साढ़े 3 लाख हो चुकी है. सेमरिया चौराहा सबसे व्यवस्तम चौक है और वहां यह बस स्टेंड अब मात्र उप बरस्टैंड रखने की स्थिति में है. जिले का एक बड़ा बरस्टैंड शहर के पास ही शासकीय जमीन पड़ी हुई है, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जिले का बरस्टैंड अलग बनाया जाये और शहर के तीन स्थानों में जो उप बरस्टैंड है, जो अलग-अलग दिशाओं के लिये यात्रियों के लिये सुविधाकारक होंगे, उन उप बसस्टैंडों को बनाया जाये. सेमरिया चौराहे के बरस्टैंड को उप बरस्टैंड रखा जाये. मेरे यहां एक बड़ी समस्या है, मेरे यहां सीमेन्ट फैक्ट्रियां निरंतर लग रही हैं, उद्योग लगे हैं, लोगों को रोजगार मिले और विकास हो, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना परंतु इन उद्योगों के कारण पर्यावरण की स्थिति बड़ी विषम हो गई है और इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है. जहां एक और इन फैक्ट्रियों को पानी देने की समस्या सामने आ रही है, एक तरफ पेय जल लो लोगों को मिल नहीं पा रहा है , सिंचाई के लिये पानी अभी बाणसागर से हमको मिलना शुरू हुआ है, दूसरी सीमेंट फैक्ट्रियों को पानी कहां से दिया जायेगा, क्या जनता के बीच से काट करके इनको पानी दिया जायेगा ? यह भी एक चिन्ता का विषय है.

मान्यवर सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों मेरे शहर सतना गये थे, उन्होंने सार्वजनिक सभा में सतना शहर में फ्लाई ओवर की घोषणा की थी, उसके एस्टीमेट बनकर यहां पर भोपाल आ चुके हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार, सतना में फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाये. सतना शहर साढ़े 3 लाख की आबादी का शहर है, एक भी आडीटोरियम या सभागार नहीं है, बस एक पुराना टाउन हाल है, जो कि बहुत ही कम क्षमता का है, मान्यवर, मैं मंत्री जी निवेदन करूंगा कि सतना शहर में एक आडिटोरियम बनाया जाये. अवैध

कालोनियों को वैध करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय करी थी, घोषणापत्र में भी यह बात थी, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सतना जैसे मझोले शहर जो विकास के लिये संघर्ष कर रहे हैं, वहां कोई नियम- कानून नहीं चलता. अवैध कालोनियां पहले भी कटती रहीं, आज भी कट रही हैं और इन अवैध कालोनियों का दंश वहां के आम आदमी को और मध्यम परिवार के लोगों को झेलना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से नगरीय निकाय मंत्री जी से विनती करूंगा कि इन अवैध कालोनियों को वैध किया जाये, जो पुरानी हैं और नई अवैध कालोनियां न बनने पायें, इसका सख्ती से पालन कराया जाये. झुग्गी-झोपड़ी वालों को अभी पट्टे की बात आई थी. झुग्गी-झोपड़ी वालों को मेरे शहर में और प्रदेश में पट्टे दिये गये हैं, अभी और लोगों को पट्टे देना शेष है, उन पट्टों की कार्यवाही पुन: प्रारंभ मध्यप्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकायों में कराई जाये. मान्यवर सभापति महोदय, आखरी बात मेरी यह है कि राजीव गांधी आवास योजना का पैसा मेरे यहां 3 साल पहले गया था, परंतु आज तक सतना नगर निगम ने वह आवास पूर्ण नहीं किये और मुझे लगता है कि वह आवास पूर्ण नहीं होंगे और फिर जितने अधूरे बने हैं , वे गिर जायेंगे. मान्यवर सभापति महोदय, इसी तरह से 85 करोड़ रूपये जल आवर्धन योजना का शहर के पेय जल के लिये 2 साल पहले से नगरनिगम में जा कर पड़ा हुआ है, पर प्रदेश के अधिकारी, प्रदेश के वरिष्ठ जन क्या कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है, इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी को भी बताया है...

सभापति महोदय--तिवारी जी, आपकी सारी बातें आ चुकी हैं अब समाप्त करें.

श्री शंकरलाल तिवारी--यदि 85 करोड़ के काम, जिसमें 8 ओवरहेड टैंक, एक एनीकेट और एक फिल्टर प्लांट लगना था, राइजिंग पाइप बिछना था, यह काम हो जाता, तो आज सतना को पीने के पानी की सुविधा हो जाती. बाणसागर का पानी हमें मिल चुका है. माननीय सभापति महोदय, आज हालत यह है कि सतना में 40 लाख रूपये की लागत से जिला अस्पताल में पानी की

टंकी बनी है, पर 2 साल से वह पानी की टंकी भर नहीं पा रही है, मैं नगरीय निकाय मंत्री जी से यह विनती करूंगा कि इन नगरीय निकाय संस्थाओं में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, इस भ्रष्टाचार से प्रदेश के अंदर हम जनप्रतिनिधि नगरनिगमों और नगरपालिकाओं के भ्रष्टाचार से बदनाम हो रहे हैं, सरकार बदनाम हो रही है.

सभापति महोदय--तिवारी जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, अब बैठें.

श्री शंकरलाल तिवारी--नगरनिगम और नगरीय निकाय के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अलग से गंभीरता के साथ प्रावधान किये जायें, इतना ही कहना है, धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर) -- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में जो प्रावधान किया है, उसका बहुत विस्तार से यहां पर उल्लेख हुआ है. दो तीन बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं. इस बजट में शहरों में अच्छी सड़कें बनाने के लिये, शहरों में अच्छी व्यवस्था करने की दृष्टि से मेट्रो चलाने के लिये, बसें चलाने के लिये और शहर में अच्छे प्रबंध हो सके, जनता की सुविधा की दृष्टि से, उस सब के लिये बजट में प्रावधान हुआ है. मैं इस बात के लिये मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि गांव से जो लोग शहर में आते हैं, उनको ठहरने की बहुत बड़ी कठिनाई होती है. मजदूरी करने की दृष्टि से जो लोग आते हैं, ऐसे लोगों के लिये भी इस बजट में प्रावधान करके रेन बसेरा और राम रोटी जैसी योजना प्रारंभ की है. इस योजना के माध्यम से जो लोग शहरों के अंदर मजदूरी करने की दृष्टि से आते हैं, उनको रुकने का कोई स्थान नहीं होता. उनके लिये रेन बसेरा बनाकर उनके रुकने का प्रबंध किया है. इसी प्रकार से पांच रुपये में ऐसे श्रमिकों को भोजन देने का प्रावधान भी इस बजट में किया है, इसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा एवं तारीफ करना चाहता हूं.

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के बारे में कभी सरकारों ने विचार नहीं किया. वे बहुत परेशानी, कठिनाइयों में रहते थे. हाथ ठेला चलाने वाले लोग, सड़कों पर बैठ करके काम करने वाले लोग. घरेलू महिलाएं जो घरों में जाकर के झाडू पोंछे का काम करती हैं, इनके लिये बजट में प्रावधान करके उनकी कल्याण की विभिन्न योजनाएं बनाने का काम जो विभाग ने किया है, मंत्री जी उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं. इसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं.

एक बात मैं और इस बजट के बारे में कहकर अपने क्षेत्र की बात पर आऊंगा कि स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो स्वच्छता अभियान चलाने का काम किया है, मेरे साथियों ने उसका बहुत उल्लेख किया है. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नगर निगम, नगर निकाय अच्छे और उत्कृष्ट कार्य इस क्षेत्र में करने वाले हैं, उन नगर निगम और नगर निकाय को पुरस्कृत करने के लिये भी बजट में प्रावधान करके और उन लोगों को प्रेरित करने का काम किया है कि नगर में स्वच्छता और साफ सफाई ठीक तरीके से रह सके, इसके लिये भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्योपुर में अग्निशमन का जो वाहन है, वह वाहन बहुत छोटा है और बहुत पुराना है. वहां अग्निशमन के एक बड़े वाहन की आवश्यकता है, उसकी न केवल नगर में आवश्यकता रहती है, ग्रामीण अंचल में भी उसी वाहन को ले जाकर के आग बुझाने का काम किया जाता है. इस कारण मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि श्योपुर में एक बड़ा अग्निशमन वाहन भेजने के लिये प्रावधान करें. श्योपुर नगर के बीच में एक सड़क गुजरती है. वह सड़क शिवपुरी, मुरैना , ग्वालियर, गुना, झांसी और कानपुर तक जाती है. बहुत वर्षों से वह सड़क बनी हुई है, नगर के बीच में है. वह बहुत बसाहट वाला क्षेत्र है. मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि इसमें भारी वाहन गुजरते हैं. राजस्थान से बहुत सारा बनास नदी का रेत आता है. वह शहर के मध्य से गुजरते हैं और जितने भी यात्री वाहन आते हैं, वह गुजरते हैं. बहुत दुर्घटनाओं की आशंका रहती है. इस कारण वहां पर एक बड़ा बायपास रोड बनाये जाने की आवश्यकता है.

हमारे श्योपुर नगर में ऑडिटोरियम की बहुत कमी है. उसके लिये क्षेत्र की जनता वहां मांग करती है. वहां यह ऑडिटोरियम बनाने की भी आवश्यकता है. इसके साथ साथ श्योपुर शहर के बीच में एक नदी बहती है, उसको सीप नदी कहते हैं. श्योपुर शहर के जितने भी

गंदे नाले हैं, वह उस पवित्र और निर्मल नदी में गिरते हैं. वह नदी वहां के श्योपुर नगर के लोगों की जीवन रेखा है, और उसमें जाकर के मिलते हैं और उसके कारण से उस नदी में गंदगी उत्पन्न होती है. मंत्री जी से निवेदन है कि उस नदी में वह नाले नहीं मिल सके और उनको ठीक तरीके से दूसरी जगह व्यवस्थित करके किया जाय, ताकि गंदी पानी एक स्थान पर चला जाय और नदी में नहीं मिले. इसके प्रबंध करने की आवश्यकता है. इसके लिये सीवर लाइन डालने की जरुरत है. श्योपुर नगर में सीवर लाइन नहीं है और यह होना चाहिये.

सभापति महोदय, यहां पर इस बजट में हेरिटेज की दृष्टि से 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हमारे श्योपुर में एक पुराना किला है और बहुत ही आकर्षक है. चूंकि इसमें 15 करोड़ का बजट दिया है, तो एक प्रार्थना तो यह है कि बजट बढ़ाकर के थोड़ा सा और करना चाहिये. श्योपुर के किले को ठीक तरीके से और जो उसकी पुरानी भव्यता है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिये विभाग की ओर से प्रयास होना चाहिये. हमारे मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी ने जो सड़क पर बैठने वाले लोग हैं, उनके लिये हॉकर्स जोन बनाने का फैसला

किया है और कई स्थानों पर उस पर काम भी हुआ है. लेकिन अभी श्योपुर में यह हॉकर्स जोन नहीं बने हैं. इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी हॉकर्स जोन बनाकर के और जो विक्रय करने वाले लोग हैं, पथों पर बैठकर जो काम करते हैं, उनके लिये इस काम को करने की आवश्यकता है. सभापति महोदय, आपने संक्षिप्त समय ही दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) -- सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा. सबसे पहले मैं अपने विधान सभा क्षेत्र ब्यौहारी के पर्यावरण और प्रदूषण पर बात करना चाहूंगा. ब्यौहारी रेल्वे स्टेशन से होकर के गाड़ियों का आवागमन होता है. लगभग एक हजार की तादाद में ब्यौहारी,जयसिंह नगर, सीधी, मझौली, मानपुर के नागरिक ब्यौहारी रेल्वे स्टेशन से यात्रा के लिये आते जाते हैं. स्टेशन के आस पास जेपी कम्पनी बघवार जिला सीधी द्वारा कोयला,

क्लिंकर, सीमेंट लोडिंग अन लोडिंग का कार्य किया जाता है. जिसके कारण आम जनता को प्रदूषण के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. रेल्वे स्टेशन के आस पास एवं रेलवे स्टेशन के पास ही हनुमान पहाड़ी एवं तपो भूमि गोदावल एक धार्मिक स्थल है, जहां पर 14 जनवरी को भव्य मेला का भी आयोजन होता है. उसका भी अस्तित्व खतरे में है. नगर पंचायत ब्यौहारी के बीच में एक बड़ा ही रमणीक खड़खड़िया तालाब के नाम से जाना जाता है. पूर्व में 16 लाख रुपये मध्यप्रदेश शासन के द्वारा दिया गया था, उसकी सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये, किन्तु आज तक न तो उसकी सफाई और न ही सौंदर्यीकरण का काम किया गया है. मैं मंत्री जी से ऐसी आशा करता हूं कि उस तालाब का सौंदर्यीकरण और सफाई का काम होगा, वह शहर के बीच में है और शहर की सुंदरता को वह बढ़ायेगा. नगर पंचायत ब्यौहारी में बायपास रोड का निर्माण होना बहुत ही अति आवश्यक है. हफ्ते में वहां घटनायें घटित होती ही हैं, चूंकि रोड सकरी है. नगर पंचायत का जो एरिया लगता है, वहां कम से कम रोड का चौड़ीकरण हो और बायपास रोड का निर्माण हो. सेमारी टोला नगर पंचायत के अंतर्गत एक वार्ड है, जहां पर एक झरप नाला है, बरसात के दिनों में वहां की जनता को मेन मार्केट में आने में एवं स्कूलों में बच्चों को आने के लिये बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि सेमारीटोला में पुल का निर्माण कराये जाने का कष्ट करें. नगर पंचायत, ब्यौहारी में तीन तिराहे हैं एक चौराहा है . मैं चाहता हूं कि इस चौराहे का विस्तारीकरण हो और सौन्दर्यीकरण हो. नगर पंचायत ब्यौहारी में जो शमशान घाट है वहां पर शेड़ का निर्माण किया जाना चाहिये, जहां लोग रूक सकें और पानी के लिये भी उचित व्यवस्था होना चाहिये. नगर पंचायत, ब्यौहारी में बहुत दूर दूर से लोग आते है . कभी उनकी गाडी छूट गई तो रूकने में उन्हे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. सभापति महोदय, वहां पर रेन बसेरा नहीं है तो वहां रेन बसेरा का निर्माण होना चाहिये.

साथ में ब्यौहारी का खेल मेदान बहुत अच्छा है उसको अगर स्टेडियम का रूप दे दिया जाये , तो बहुत अच्छा निर्णय होगा तथा शहर का विकास होगा. सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर मुस्लिम समुदाय की मस्जिद बनी हुई है वहां पर सड़क और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है. कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर सड़क उखड गई हैं, सड़क की उचित व्यवस्था नहीं है. हमारे पूर्व सदस्यों ने भी इस बात को सदन में रखा कि जो पॉलीथिन शहरों में बिखरी रहती हैं जिसके चलते शहर में बहुत प्रदषण है इसको प्रदूषण से मुक्त कराये जाने की दिशा में शासन काम करेगा. चूंकि मेरे विधानसभा में दो नगर पंचायत है एक खाड़ जो देवलोंद या बाणसागर कहलाती है, चूंकि बाणसागर महाकवि बाणभट्ट की नगरी है वहां पर आबादी वाले क्षेत्रों से लोगों को भगाया जा रहा है , विस्थापित किया जा रहा है और आबादी वाले क्षेत्र को वन विभाग को दिया जा रहा है. सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि उस स्थान को बाणभट्ट के स्मारक, बाणभट्ट का पुस्तकालय या पर्यटन की दृष्टि से उस क्षेत्र को विकसित किया जाये. सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में पहली बार अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये धन्यवाद.

श्री सुदर्शन गुप्ता आर्य(इंदौर-1) -- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग का समर्थन करते हुये कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- सभापति महोदय, 6 बज गये हैं. बाकी चर्चा कल ले लें, सभी सदस्य काफी समय से यहां बैठे हैं.

सभापति महोदय-- सदन में इस बात की सहमति पहले ही हो चुकी है कि कैलाश जी के विभाग की मांग पर चर्चा तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

श्री सत्यदेव कटारे-- सभापति महोदय, हम लोग पहले भी निवेदन कर चुके है और हम लोग इस पक्ष मे कतई नहीं है कि सदन 5 बजे के बाद चलाया जाये, अगर आप लोग चलायेंगे तो हम लोग चले जायेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- सभापति जी विजयवर्गीय जी को उत्तर भी देना है. काफी समय लगेगा, लंबा उत्तर होगा .

सभापति महोदय-- सदन का निर्णय हो चुका है.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- इस विभाग को तो पूरा कर लिया जाये.

श्री सत्यदेव कटारे -- सभापति जी इसी स्थान से आप कल ले लें हम मानने को तैयार हैं.

सभापति महोदय-- इस विभाग की मांगे तो आज पूरी करना पडेंगी, क्योंकि सदन में निर्णय हो चुका है.

श्री सत्यदेव कटारे-- सभापति जी अब नहीं, बहुत समय हो गया है.

सभापति महोदय-- इसको तो पूरा करवाना ही पडेगा.

श्री सत्यदेव कटारे-- आप पूरा करवायें हम लोग चले जाते हैं. आप पूरा करते रहिये.

सभापति महोदय-- यह कोई बात नहीं हुई.

एक माननीय सदस्य -- विपक्ष सदन से भागना क्यों चाहता है.

डॉ. गोविंद सिंह-- सभापति जी लंच ब्रेक न करें लगातार चलाते रहें लेकिन अभी बहुत समय हो गया है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय --सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर थे उन्होंने सदन से अनुमति ली है कि जब तक एजेंडा पूरा नहीं होगा तब तक सदन की कार्यवाही चालू रहेगी. उस समय किसी ने आपत्ती नहीं ली. अब जबकि सदन की कार्यवाही बहुत आगे बढ़ गई है उस समय यह कहना कि हम चलने नहीं देंगे यह बहुत गलत बात है. यह संसदीय परम्परा नहीं है. प्रतिदिन विपक्ष संसदीय परम्परा का उल्लंघन कर रहे हैं यह उचित नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे -- संसदीय परम्परायें आप हमें नहीं बतायें. हम ज्यादा देर तक सदन चलाने के पक्ष में नहीं है, हम लोग निकल रहे हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- सभापति जी विभाग की मांग आज पूर्ण होना चाहिये.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- सभी का समय कीमती है.

श्री सत्यदेव कटारे --सभापति महोदय, हम लोग सहमत नहीं है.

सभापति महोदय-- चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और 1 घंटे के बाद में यह बात लाना उचित नहीं है. सदन का मत हो चुका है .

डॉ. गोविंद सिंह -- क्या हम लोग बंधुवा मजदूर है. बैठे रहेंगे रात के 2 बजे तक.

सभापति महोदय-- यह उचित नहीं है.

डॉ. गोविंद सिंह -- सदन नियम प्रक्रिया से चलाया जाये. समय से चलाये जाये समय पर खत्म किया जाये. आप शनिवार को चलायें, रविवार को चलायें.

श्री रामनिवास रावत-- आप 40 दिन की विधानसभा बुलायें.

डॉ.गोविंद सिंह -- हमने अपनी बात रखी है इस पर सभापति जी अपनी व्यवस्था दे दें.

श्री सत्यदेव कटारे -- हम कल सुनने को तैयार है आज समय बहुत हो गया है, आज हम सुनने की स्थिति में नहीं है.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- यह अच्छी परम्परा नहीं पड़ रही है.

(नेता प्रतिपक्ष के साथ में कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से बाहर गये)

श्री विश्वास सारंग -- सभापति महोदय, यह तो जबरिया उठा उठा कर के ले जा रहे हैं.

सभापति महोदय-- आप बैठिये. गुप्ता जी को अपना भाषण जारी रखने दें.

श्री शंकरलाल तिवारी -- यह तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है. आधी चर्चा हो जाने के बाद यह पलायन कर रहे हैं.

सभापति महोदय-- आप बैठिये, गुप्ता जी को बोलने दें.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य) -- सभापति महोदय, हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं और इसी सदन में रात के 8 बजे तक 9 बजे तक चर्चा चली है और हम लोगो ने उसमे हिस्सा लिया है.

श्री विश्वास सारंग-- सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार निश्चित रूप से आपत्तीजनक है. घेर घेर कर के लोगों को ले जा रहे हैं.

सभापति महोदय -- आप लोग बैठें. गुप्ता जी अपना भाषण प्रारंभ करें.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- सभापति जी इतिहास गवाह रहेगा कि पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने सदस्यों को ले जाने का प्रयास किया. कांग्रेस के सदस्य विभाग की मांग पर बोलने वाले थे, उनको भी खींचकर ले गये.

सभापति महोदय--आप बैठें, गुप्ता जी प्रारंभ करें.

श्री सुदर्शन गुप्ता (इंदौर-1)-- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 21, 22, 75 और 78 का समर्थन करता हूं. और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं.

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बहुत अच्छा और तेजी के साथ में कार्य कर रहा है. चूंकि समय का अभाव है इसलिये मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं . मैं कुछ सुझाव भी मंत्री जी को देना चाहता हूं. सभापति महोदय, मंत्री जी से अनुरोध है कि इंदौर में पश्चिम रिंग रोड का काम अभी बाकी है. पश्चिम रिंग रोड माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और उसका भूमि पूजन हुआ उस भूमि

पूजन में मंत्री जी आप भी शामिल थे, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाले इस पश्चिमी रिंग रोड अथवा इस पर एलिवेटेड ब्रिज का कार्य शीघ्र प्रारंभ होना चाहिये. सिंहस्थ 2016 आ रहा है और इस एलिवेटेड ब्रिज को सिंहस्थ की तैयारियों में शामिल किया जाना चाहिये तथा सिंहस्थ मद में अथवा मुख्यमंत्रीजी के अधोसंरचना मद से इसका कार्य होना चाहिए.

सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि मेरी विधानसभा में MR 5 का निर्माण प्रस्तावित है. उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए. टाटा स्टील चौराहे से लेकर छोटा बांगरदा होते हुए सुपर कॉरिडोर को जोड़ने वाला रोड़ है. सुपर कॉरिडोर इंदौर के पश्चिम क्षेत्र का महत्वपूर्ण मार्ग है और सिंहस्थ में इसका काफी उपयोग होगा. इसे भी सिंहस्थ मद अथवा मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से बनाया जाना चाहिए.

सभापति महोदय, इसी तरह MR 4 का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है. यह MR 4 रेल्वे स्टेशन से लक्ष्मीबाई नगर रेल्वे स्टेशन तक बनना है. सिंहस्थ को देखते हुए लक्ष्मीबाई नगर रेल्वे स्टेशन को रेल विभाग द्वारा सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है. MR 4 विधानसभा क्षेत्र क्र. 1 और 2 के अंतर्गत आता है.

सभापति महोदय, इसी तरह से इंदौर की मास्टर प्लान की मेजर रोड्स हैं, उसका कार्य भी शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ होना चाहिए.

सभापति महोदय, प्रदेश की नगरीय निकायों--नगर निगम और नगर पालिकाओं में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी वर्षों से पदस्थ हैं. इन प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों की रुचि विकास कार्यों तथा जनता की समस्या हल करने में नहीं होती है. ये अधिकारी 20-25 साल से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उन्हें उनके मूल विभाग में भेजना चाहिए.

सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में सफाई हेतु जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई है किन्तु इस प्रथा के नाम से अभी भी कई क्षेत्रों में अवैध वसूली हो रही है. उस ओर शासन को ध्यान देना चाहिए.

सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि प्रदेश के जितने भी नाले हैं, उनका सीमांकन होना चाहिए क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लगातार नालों की जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है. उस पर मकानों का निर्माण होता है. जब बारिश होती है तो यह सब बह जाते हैं और फिर सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता है.

सभापति महोदय, इसी तरह 13 जनवरी 2013 को इंदौर मे माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी. उसकी प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए.

सभापति महोदय, मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके, कई स्थानों पर अवैध क़ॉलोनियां काटी जा रही है, उनको भी सख्ती के साथ रोकना चाहिए. ग्रीन बेल्ट की भूमि पर अनेक वर्षों से निर्माण किये जा चुके हैं और लोग वहां पर रह रहे हैं. गरीबों की कॉलोनियां बस चुकी है. मकान बनाकर लोग रह रहे हैं. वहां पर लोग या तो व्यवसाय कर रहे हैं या उद्योग धंधे चला रहे हैं. जहां रहवासी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं या उद्योग धंधे, व्यापार चला रहे हैं, उस भूमि को ग्रीन बेल्ट से मुक्त किया जाना चाहिए. यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि पूरे प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिए तथा जल स्तर को बढ़ाने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिचार्जिंग का कार्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है. इस ओर विशेष रुप से हमें ध्यान देना चाहिए.

सभापति महोदय, इसी तरह खान नदी का जो गंदा पानी है वह क्षिप्रा नदी में नहीं मिले क्योंकि सिंहस्थ आ रहा है अतः इस ओर भी हमको चिन्ता करना चाहिए. आपने समय दिया उसके लिए आपको और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार(नीमच)-- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या के समर्थन में खड़ा हुआ हूं.

सभापति महोदय, बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए बेहतर अधोसंरचना के विकास के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं. नीमच अंतिम छोर का जिला है. राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है. वहां पर पानी की बड़ी समस्या थी. माननीय मुख्यमंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी ने 38 करोड़ रुपये नल जल योजना के लिए स्वीकृत किये हैं उनका काम बहुत धीरे चल रहा है. आज भी वहां पहले 7 दिन में पानी मिलता था, आज 5 दिन में पानी मिल रहा है. सीआरपी की जन्मस्थली है वहां हमारे सैनिक निवास करते हैं. आम लोग निवास करते हैं. आज भी 3-4 दिन तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. वह नगर पालिका कांग्रेस की है और उसका अध्यक्ष भी कांग्रेस का है. वहां पिछल 15 सालों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं. इस नल जल योजना को शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कराया जाये जिससे लोगों को प्रतिदिन पीने का पानी मिले. माननीय मंत्रीजी वहां पानी बहुत है. मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां लोगों को ट्यूब वेल खोदने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. जब तक यह नल जल योजना पूर्ण हो तब तक आप कम से कम 100 फीट, 200 फीट के ट्यूब वेल खोदने की भी अनुमति निवासियों को दें.

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि जो फिल्टर प्लांट बन रहा है उसको आधुनिक तरीके से बनाया जाये और लोगों को शुद्ध RO वाला पानी पिलायेंगे तो वहां के लोग आपको धन्यवाद देंगे. आप इस पुनीत और पवित्र कार्य को कर सकते हैं. क्योंकि मैंने आपकी इच्छा शक्ति देखी है. जब आप लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे तब आपने हमको 4 लेन दी थी. हमारे नगर में हेलीपेड से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक डिवाईडर युक्त सड़क की आवश्यकता है. यदि आप नगरीय क्षेत्र में डिवाईडर की सड़कें बनायेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. नीमच सुन्दर बनेगा. आपने हमारे शहर को चार उत्कृष्ट सड़कें दी हैं. उन सड़कों का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है. नीमच में जहां मैं निवास करता हूं, वहां एक उत्कृष्ट सड़क बन रही है लेकिन वहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और नगर पालिका का अमला उस अतिक्रमण को नहीं हटाकर उस सड़क को

टेड़ा-मेड़ा बना रही है. माननीय मंत्रीजी अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह सड़क सीधी बने और नीमच सिटी जो मुख्य नगर है, वहां तक जाये. वहां एक पुलिया का निर्माण होगा तो उससे लोगों को सुविधा होगी.

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करुंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि मेरी विधानसभा में 35 प्रतिशत जनता जो बंगला बगीचा में निवास करती है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं. उनको पीने के लिए पानी, सड़क,बिजली, नाली आदि की व्यवस्था नहीं है. जो 35 प्रतिशत लोग उस बंगले में रहते हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है. मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्रीजी से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि जो हमारी बंगला बगीचा के लोगों की समस्या है, विकास शुल्क लेकर उनका निराकरण हो. उनको स्वामित्व मिले जिससे की वे ऋण लेकर अपना छोटा सा आशियाना बना सके. वहां पर रजिस्ट्री पर भी रोक लगी हुई है. मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि छोटे प्लाटों का निराकरण कराया जाये. लोग ऋण लेकर अपना मकान बनाये. उस मकान में रहे और उनको सुविधाएं उपलब्ध हो. इस काम के लिए आप विशेष पहल करेंगे तो निश्चित ही नीमच की जनता आपको दुआएं देंगी और दुआएं आपकी उन्नति में कामयाब होगी.

सभापति महोदय, नीमच में जो हेलीपेड है. उस हेलीपेड पर सीआरपी का केन्द्र होने के कारण से अन्य मंत्रीगण भी आते हैं वहां एक ओवर ब्रिज बन जायेगा तो उससे भी नीमच की जनता को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी.

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करुंगा कि माननीय सुन्दरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने डॉ हेडगेवार बस स्टेंड का निर्माण किया था. ड़ॉ हेडगेवार जी हमारे आदर्श हैं. उन्होंने हमें सिखाया है-- **ये जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे भारत माता से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे.** इस ध्येय पथ पर हम सब लोग चलते हैं. वहां कांग्रेस की

नगर पालिका है. माननीय पटवाजी जब मुख्यमंत्री थे तब उस नगर पालिका ने उस बस स्टेंड का उन्नयन नहीं किया. 24 करोड़ रुपये का वह बस स्टेंड का कार्य रुका हुआ है, उसका उद्धार आपके हाथ से होने वाला है. भगवान राम ने जिस प्रकार अहिल्या का उद्धार किया, इसी प्रकार से नीमच की लाल माटी का उद्धार शिवराज जी के नेतृत्व में कैलाश जी करने वाले हैं. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हेडगेवार बस स्टेंड का कार्य वर्षों से रुका हुआ है, यदि आप उसको करायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा.

सभापति महोदय, यूआईडीएसएमटी योजना के तहत गरीब लोग निवास करते हैं. उनकी झोपड़ी नहीं है, यदि उनकी झोपड़ी बनना प्रारंभ हो जायेगी. उन गरीबों को मकान मिल जायेंगे तो वह भी आपको दुआएं देंगे. आप दुआएं लेते जायें क्योंकि दुआएं बहुत काम करती हैं.कहते हैं-- **क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है. मिलता है जहां का प्यार उसे, जो गरीब के आंसू पीता है.** आप गरीब के आंसू पीने वाले मंत्री हैं. मैं आपसे निवेदन करुंगा कि उन गरीबों के मकान की योजना है उसको भी आप जल्दी से जल्दी प्रारंभ करायें.

सभापति महोदय, नीमच का मास्टर प्लान बहुत जरुरी है. वहां पर लोग आकर नई-नई कॉलोनियां बना रहे हैं. जो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं. वहां रैन बसेरा है. उसमें 10-15 रुपये में भोजन मिल जाये.

लोग वहां पर रूकने लग जायें हाथ ठेला वाले पर्यावरण के संबंध में . हमारा नीमच एक सुंदर शहर है वह राजस्थान से लगा हुआ है वहां पर केनाल की व्यवस्था है पानी है नदी वहां पर आस पास से बह रही है अगर वहां पर नदी के गहरीकरण का काम हो जायेगा कुछ पौधे लग जायेंगे तो वह कहते हैं न कि देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें सूरज हमें रोशनी दे रहा है पेड़ हमें छाया दे रहे हैं हवा हमें नया जीवन दे रही है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर उस केनाल का गहरीकरण हो जायेगा और वहां पर पौधे लग जायेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा. महाकाल का

आपको आशीर्वाद है जब भी सिंहस्थ आता है, आप वहां के प्रभारी बनते हैं हमारा नीमच जिला है उसमें भी आप सारी सुविधाएं उपलब्ध करायें. पास में हमारे एक बरूखेड़ा एक गांव है जहां पर कचरा फेंकतेहैं गांव के लोगों ने कई बार कलेक्टर को घेरा, हम विधायकों को घेरा लेकिन वहां पर कचरा फेंकना बंद नहीं हुआ है, आप वहां के कचरे से कुछ बनाना प्रारम्भ करें ऐसे अविष्कार करें की कचरे से कुछ बनायें ताकि उस कचरे का उपयोग हो सके. हमारे यहां पर जो सड़कें बन रही हैं उसके आस पास कुछ पौधे लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा पौधा लगाने में पीढ़ियां बीत जाती हैं वर्षों लग जाते हैं. उन पौधों के लिए ऐसी मशीन नगरपालिका में आ जाये कि वह मशीन पौधे को उठाकर दूसरी जगह पर लगा दे तो अच्छा होगा पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे, शहर की सड़कें बहुत खराब हैं जगह जगह पर स्थानीय पैकेट है. मैं इस अवसर पर छोटी छोटी मांगें है उनके लिए बात करना चाहता हूं. जब नीमच में वीरेन्द्र कुमार सकलेचा जी , नीमच वह धरा है जिसने दो दो मुख्यमंत्री दिये हैं माननीय सुंदरलाल पटवा जी और माननीय वीरेन्द्र कुमार सकलेचा जी, उन्होंने वहां पर एक स्टेडियम बनाया है उसके साथ में वहां पर स्वीमिंग पूल बनवाया है उस पूल में तैराकी प्रतियोगिताएं होती हैं, वहां पर दूर दूर से बच्चियां तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आती हैं, लेकिन पास में नगरपालिका ने लोगों को शराब पीने के लिए जगह दे रखी है. मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो नगरपालिका के स्वामित्व की है जो सकलेचा जी ने स्वीमिंग पूल का निर्माण किया है वहां से दारू की दुकान जरूर हटा दें क्योंकि वहां पर तैराकी प्रतियोगिताएं होती हैं. केवल क्षणिक स्वार्थ के लिए नगरपालिका के कांग्रेस अध्यक्ष ने उसको दे रखा है

आपसे निवेदन है कि उसको जल्दी से वहां से हटा दिया जाय. स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है यदि लोग तैरेंगे स्वस्थ रहेंगे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नीमच में एक ईंट भट्टा है जो कि बहुत प्रदूषण करता है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वहां से ईंट भट्टे वाले को हटा दें हम किसी के पेट पर लात नहीं मारते हैं और हमारी सरकार की योजना भी नहीं है,

कहीं न कहीं उनको अन्य जगह पर विस्थापित करें उनका आधुनिकीकरण करके वे वहां पर अपना ईंट भट्टे का व्यवसाय करें. वे अपने परिवार को पालें ताकि जो शहरमें प्रदूषण हो रहाहै ईंट भट्टे को हटाकर शहर को प्रदूषण से मुक्त करने का काम करें. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद. मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि आप नीमच के लिए वरदान साबित होंगे नीमच पर आप पूरा आशीर्वाद रखेंगे तो मैं इस सदन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी नगरपालिका का चुनाव होगा तो हम वहां पर भाजपा का झण्डा फहरायेंगे लोक सभा में हम सबसे अधिक वोटों से जीते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद नीमच की जनता पर बना रहे जनता को आपसे बहुत अपेक्षा है धन्यवाद्

समय 6.23 बजो (अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए)

श्रीमती उषा चौधरी (रैगांव) – माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि सभी सदन में गरिमा की बात करते हैं संविधान की बात करते हैं विशेषाधिकार की बात करते हैं लेकिन इसी सदन में कार्यवाही में हरिजन शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है..(व्यवधान)...

डॉ गोविंद सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय सदन को चलाने के बारे में आपसे अनुरोध किया था ,आपका निर्णय हो गया क्या.

अध्यक्ष महोदय – कल से भोजनावकाश नहीं होगा.

श्रीमती ऊषा चौधरी -- कोठी नगर पंचायत मेरे रैगांव विधान सभा में है. उसमें काफी घनी बस्ती बसी हुई है वहां के लोगों के लिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है मैं चाहती हूं कि वहां पर एक बरात घर बनवा दिया जाय. क्योंकि वहां की जनता को बहुत असुविधा होती है. कोठी नगर पंचायत में अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम हैं जहां पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है वहां पर छावनी की व्यवस्था कर दी जाय और

जो नगर पंचायत में कोठी चौराहा के नाम से जाना जाता है मैं चाहती हूं कि कोठी नगर चौराहे को रणवत सिंह जी के नाम से जाना जाय वहां पर उनकी एक प्रतिमा लगवा दी जाय. शहरमें गरीब लोग बसते हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है. जमीन के अभाव में उनका परिवार एक कोठरी में रहकर अपना गुजाराकरता है. मैं चाहती हूं कि गरीब दलित बस्तियों में जहां भी शासकीय जमीनें हैं वहां पर उनको जमीन आवंटित की जाय. रीवा जिले में राजीव गांधी अस्पताल है सतना से काफी लोग रेफर होकर रीवा जिले में जाते हैं वहां पर इतना गंदगी का अंबार है कि मरीज तो मरीज लेकिन उनके साथ में जो लोग जाते हैं वह भी बीमारहो जाते हैं. वहां परसफाई का काम कराया जाय वहां पर सीसी रोड बनवाकर नाली का निर्माण कराया जाय. इसी तरह से सतना अस्पताल में, सतना शहर में सफाई कर्मियों की कमी है वहां पर सफाई कर्मियों की भर्ती की जाय क्योंकि एक एक हफ्ते दलित बस्तियों में झाडू नहीं लगती है नालियों कापानी ऊपर से बहता है जिस कारण से लोग बीमार होते हैं. अमोधाकला में शंकरलालतिवारी जी चर्चा कर रहे थे वहां पर वार्ड नंबर एक में तालाब है जो 1996 के बाद में अंबेडकर जी के नाम से स्वीकृत किया गया था उस तालाब का निर्माण आज तक नहीं हुआ है उसको भी अंबेडकर पार्क के नाम से कराया जाय. सिविल लाइन्स चौराहे के पास एक टोपी होती है चौराहा है जो सिविल लाइन्स के नाम से जाना जाता है मैं चाहती हूं कि सतना जिले में संघर्षशील सामाजिक महापुरूष बिरसामुंडा की स्थली बनाकर चौराहा बना दिया जाय. आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद्.

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर) – माननीय अध्यक्ष महोदय भारतवर्ष में चार स्थानों पर सिंहस्थ महापर्व मनाया जाता है इलाहाबाद नासिक हरिद्वार और उज्जैन है. कालों के काल महाकाल, मोक्षदायिनी क्षिप्रा के स्थान पर यह कुंभ लगाया जाता है. कुंभ लगने में केवल 23 माह शेष बचे हैं इन 23 माह में बहुत कुछ काम प्रदेश की सरकार को करना है. समय सीमा में अगर मानिटरिंग प्रभारी मंत्री जी करेंगे तो समय पर काम हो जायेगा. 2004 में प्रभारी मंत्री कैलाश

विजयवर्गीय जी के समय में मैं विधायक था और सिंहस्थ मनाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था और पुन: सिंहस्थ के प्रभारी भी हमारे कैलाश जी हैं. मां नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना जो असंभव कही गई थी कांग्रेस की सरकार के समय में मां क्षिप्रा सूख गई थीं. कुंभ में जो श्रद्धालु आते थे उनको स्नान करने के लिए पानी नहीं रहता था.

25 फरवरी, 2014 में मात्र 14 माह में 4 करोड़ 32 लाख रुपए की योजना का लोकार्पण इस सरकार के द्वारा किया गया है. (मेजों की थपथपाहट)..यह एक रिकॉर्ड समय में किया है. मां क्षिप्रा जो कि महिदपुर में जाती है और महिदपुर मेरा विधान सभा क्षेत्र है, उज्जैन से महिदपुर 30 से 40 कि.मी. की दूरी पर है.

अध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान - अध्यक्ष महोदय, अब आपने कह दिया है तो समाप्त करना होगा, आपके आदेश का पालन करना है. लेकिन हम तैयारी करके आए हैं, सुबह से बैठे हैं. इस विभाग के बारे में बात करना चाहते हैं. लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - समय की मर्यादाएं हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान - अध्यक्ष महोदय, मैं क्षेत्र की ही बात कर लूं. अध्यक्ष महोदय, मुझे विभाग को एक सुझाव देना है, उसके लिए आप मुझे जरूर समय दे दें. अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में 377 निकाय हैं, जिनके अंतर्गत 2 करोड़ 58 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व यह विभाग करता है. इस विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की बहुत ही कमी है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में निश्चित रूप से भर्ती करें ताकि इसका संचालन अच्छी तरह से किया जा सके.

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जो ग्राम डोंगला है, यह महिदपुर विधान सभा का क्षेत्र है, वहां पर माननीय प्रभारी मंत्री जी 3-4 बार आ चुके हैं. वह पूरे विश्व की काल गणना का क्षेत्र बन रहा है. वहां पर जब भी कोई वीआईपी आता है तभी गड्ढे बुरना विभाग चालू करता है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस रोड को टू लेन बनाया जाय. घटियाजगूट से झालड़ा व्हाया खेड़ाखजूरिया और

धनोडिया-नागपुरा रोड बन जाएगा तो उससे पहुंचने की सुविधा हो जाएगी. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 फरवरी, 2008 को महिदपुर में आए थे और उस समय मैं विधायक था, उन्होंने वहां घोषणा की थी कि महिदपुर में सर्वसुविधायुक्त बस स्टेण्ड बनाया जाएगा. वहां पर जो अतिक्रमण था, तत्कालीन सरकार के द्वारा वह अतिक्रमण हटा दिया गया. लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर जल आवर्धन की योजना बनकर पूर्ण हो गई है. उसका उद्घाटन करने आएं और सर्वसुविधायुक्त जो बस स्टेण्ड का शिलान्यास करने के लिए जरूर महिदपुर पधारें. यह निवेदन करना चाहता हूं. अंतिम सुझाव यह देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कृष्ण सुदामा मंदिर है, कृष्ण स्वयं सांदीपनी आश्रम से वहां गये थे और कृष्ण सुदामा मंदिर क्षेत्र के लिए पूर्व सिंहस्थ से काफी पैसा मिला है. इस बार भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं उस मंदिर के लिए सिंहस्थ से और राशि दी जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) - अध्यक्ष महोदय, हमारा समय जब बोलने का आता है तब एक या दो मिनट बचते हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप उठकर चले गये थे, आपका तो दोबारा नाम लिया है. इसलिए ऐसा मत बोलिए.

श्री हरदीप सिंह डंग - अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि काम कराने के दो तरीके होते हैं. एक तो बहुत अच्छी तारीफ करके और एक हकीकत बताकर. माननीय मंत्री जी, मैं वह तरीका कौन-सा अपनाऊं कि मेरी नगर पंचायत का काम हो सके. मैं यह हकीकत बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नगर पंचायतें हैं, श्यामगढ़, सुवासरा और सीतामऊ. ये तीनों नगर पंचायतों में जो काम होना है वह भी बताऊंगा और जो नहीं हुए हैं वह भी काम बताऊंगा. इन तीनों नगर पंचायतों में आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी ग्राम पंचायतें होती हैं. पंचायत में मनरेगा का रुपया आता है. कपिलधारा के कुएं

खुदते हैं. पंच परमेश्वर की राशि आती है. नगर पंचायतों में जो विकास होना चाहिए वह तीनों नगर पंचायतों में बाकी है. अध्यक्ष महोदय, जो पंचायतों में राशि आती है, उससे भी कम राशि नगर पंचायतों में राशि आ रही है, इसलिए वहां विकास नहीं पा रहा है. मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसा माननीय विधायकों ने कहा है, मैं भी चाहता हूं कि वे नगर पंचायतें भी आपको धन्यवाद दें, आपका स्वागत करें, हम आपको बुलाएं और आपके गले में माला पहनाएं. विकास के नाम पर हम भी यह चाहते हैं. वहां पर तीनों नगर पंचायतों में से एक में भी आवास योजना का काम चालू नहीं हुआ है. एक भी आवास वहां पर नहीं बने हैं. दूसरा, जल आवर्धन योजना जो सीतामऊ और श्यामगढ़ में मंजूर होनी थी, श्यामगढ़ में मंजूर हो चुकी है उसके लिए धन्यवाद. इन दो नगर पंचायतों में जल आवर्धन योजना जल्दी स्वीकृत कराएं. आवास योजना जल्दी स्वीकृत कराएं और वहां पर दो चीजें हैं, एक तो राजस्व अपनी जमीन मानता है और नगर पंचायत अपनी जमीन मानती है तो यह नगर पंचायत, नगर परिषद् में जिसकी जमीन रहती है, उस पर किसका अधिकार रहता है, राजस्व विभाग का या नगर पंचायत का? यह बताने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. तीसरा, श्यामगढ़ में जो एक मेन रोड है, वह नगर पंचायत के अंतर्गत है. वहां की जनता बार-बार मांग करती है परन्तु वहां पर जो बजट है वह सिर्फ डामरीकरण का है. जबकि हम आपके इंदौर जाते हैं तो सीसी रोड के मोटो-मोटे रोड देखने को मिलते हैं. हमारा निवेदन है कि श्यामगढ़ और सुवासरा में जो रोड दिखें तो वे कम से कम इंदौर की तुलना में आधे तो नजर आएं. वहां सीसी रोड मंजूर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है.

अध्यक्ष महोदय - अब आप बैठ जाइए.

श्री हरदीप सिंह डंग - हाऊसिंग बोर्ड की जो जमीन मंजूर थी, लेकिन उस पर आगे काम प्रारंभ नहीं हुआ है. सामुदायिक शौचालय वहां पर मंजूर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है. अध्यक्ष

महोदय, सीतामऊ में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो और कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने के आपने आदेश दिये थे, सफाई कर्मचारियों को वर्दी दी जाय तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी.

अध्यक्ष महोदय - आप सुझाव लिखकर दे देना. अब आपका समय हो गया है. आप बैठ जाइए.

श्री चेतन कुमार काश्यप (रतलाम सिटी) - अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21, 22, 75 और 78 का मैं समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह पहला मौका है, मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके बहुत-बहुत धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मैं मूल रूप से आवास पर बात करना चाहूंगा. आवास आज के संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है. मध्यप्रदेश सरकार ने दृष्टिपत्र के अंदर पांच लाख मकानों का प्रावधान किया है. मैं ऐसा मानता हूं कि आज मध्यप्रदेश के अंदर 32 प्रतिशत शहरी आबादी का मलीन बस्तियों में रहता है. उनके लिए जो योजनाएँ चल रही हैं उनमें कई विसंगतियां हैं. उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है. क्योंकि जो बस्तियां हैं उनमें 5 से 10 प्रतिशत लोग अतिरिक्त भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं और उन योजनाओं को लागु नहीं होने देना चाहते हैं. 8 हजार से ऊपर मकानों के नगरीय निकायों ने अभी तक प्रस्ताव दिए हैं ,3 हजार के आसपास उनमें मकान तैयार हुए हैं. मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश सरकार ने अटल योजना के माध्यम से 2011 में 1-रूपये स्क्वेयर फिट में एफोर्डेबल हाऊसिंग के लिए जमीन देने का प्रावधान किया था. परन्तु उसकी अभी बहुत कम योजना बन पायी हैं. रतलाम नगर की एक योजना ईश्वर नगर में 845 मकानों की पिछले माह ही स्वीकृत हुई है. परन्तु उसमें भी वही समस्या जो झुग्गी बस्तियों की है. मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें और झुग्गी बस्तियों में जो अवैध कब्जे हैं , कई लोगों के पास 5-5,10-10 बस्तियां हैं और वे मल्टी स्टोरी में नहीं जाना चाहते हैं. उसके ऊपर विशेष ध्यान दें. क्योंकि मध्यप्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्रों में करीब करीब 30 लाख के आसपास परिवार यहां बसते हैं और उनमें से 20 लाख परिवारों की आवश्यकता है.उनमें से 10 लाख परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और 10 लाख परिवार किराये के मकान में या छोटे सुन्दर मकानों में नहीं रह पाते हैं. उनके लिए जमीनों को चिन्हित करना बड़ा आवश्यक है. उन जमीनों को चिन्हित किया जाय. मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा. एक संयुक्तराष्ट्र संघ का डिक्लेरेशन है. 25 नंबर एक स्तम्बुल डिक्लेरेशन हैबीटेट अजेण्डा का है. उसमे भारत सरकार ने पूरे देश में रहने वाले नागरिकों के लिए कि उनको स्वस्थ्य, सुन्दर और अच्छा वातावरण मिले उनको रहने का आवास मिले इस प्रकार के डिक्लेरेशन पर साईन किए हैं और संविधान की धारा 21 के अनुसार आर्टिकल 21 प्रायारिटी हमारे जीवन का अधिकार देता है और जो स्टेट डायरेक्टिव्स प्रिन्सीपल्स हैं वे भी इस बात को हमेशा उद्धृत करते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को सर्व

सुविधायुक्त मकान देना प्रथम जवाबदारी है. तो मैं कैलाश जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आवास के एजेण्डे को प्राथमिकता दें. आज भी बजट भाषण में हमारे देश के वित्त मंत्रीजी ने 2022 तक देश के समस्त नागरिकों को मकान देने की जो घोषणा की है उसी घोषणा के सिलसिले में वे मध्यप्रदेश के अंदर जितने जल्दी हो सके इन आवासों का निर्माण हो और दूसरा रतलाम नगर के अंदर जो मेरे क्षेत्र की समस्या है , पीने के पानी की धोलावड़ योजना प्रारंभ हो गई है परन्तु 172 किलोमीटर की नई पाइप लाईन वहां डालना आवश्यक है. उसके साथ ही 3-4 पानी की टंकियों की भी आवश्यकता है और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो मकान बन रहे हैं इन मकानों के साथ में एक ऐसा प्रावधान हो , मेरे रतलाम नगर में 100 गरीब परिवारों के लिए मकान बनाए हैं, तो उनके साथ में गरीब लोगों के लिए ऐसी जगह रहे कि जहां वे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें और उनकी महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनें और साथ में उत्पादन भी कर सकें. इन योजनाओं का भी ख्याल रखा जाय. एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो अवैध और अविकसित कालोनियों की रतलाम में समस्या है. वहां सभी गरीब बस्तियों से 15 रूपये फिट के हिसाब से डेवलपमेन्ट चार्ज ले लिया गया है. वो शासन ने अभी वापिस लिया है और 50 प्रतिशत अनुदान की नई योजना दी है. उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाय.

श्री प्रदीप अग्रवाल(सेंवढ़ा)- अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21,22,75 और 78 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार के सतत प्रयासों के द्वारा हमने नगरीय क्षेत्रों में क्रान्तिकारी सुधार किए हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है. मेरे क्षेत्र में दो नगर पंचायतें आती हैं. दोनों पंचायतों में शहर के मध्य में नाले नहीं है. जिनके कारण से बारिश के समय में पूरा क्षेत्र जलमग्न जैसा हो जाता है. अतः मेरे क्षेत्र में रोड़ के दोनों ओर नालों की व्यवस्था की जाय. अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायतों में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां दोनों नगर पंचायतों में एक एक फिल्टर प्लान्ट की व पानी की टंकी की व्यवस्था की जाए. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्र में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है अत: वहां सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए. अध्यक्ष महोदय, मेरी नगर पंचायत, सेवढ़ा में वर्तमान में आजादी के समय से आज तक शमशानघाट की स्थायी व्यवस्था नहीं है इसीलिए वहां एक बेहतर शमशानघाट की व्यवस्था भी की जाए. मेरी नगर पंचायत में लगभग 200 गांव लगते हैं और दोनों पंचायतों में

केवल एक ही अग्निशमन यंत्र है. मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अपेक्षा करता हूँ कि दोनों पंचायतों में एक-एक अग्निशमन यंत्र और दिया जाए. माननीय अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया उसक लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ.

श्री सत्यप्रकाश सखवार(अम्बाह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्याओं का विरोध एवं कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ. आवास एवं पर्यावरण विभाग का मध्यप्रदेशवासियों को आवास उपलब्ध कराने का कर्तव्य है जो हाउसिंह बोर्ड, विकास प्राधिकरण आदि माध्यमों से पूर्ति की जाती है. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा राज्य की आवास समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराता है. यह कार्य जिला स्तर पर ही संचालित है अत: मेरा अनुरोध है कि इसे विकासखण्डों पर लागू कराया जाए तथा जिसमें अम्बाह, पोरसा विकासखण्ड मुरैना में शामिल हैं यहां के आवासहीनों को भवन एवं भूखण्ड का लाभ मिल सके. अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि अभी हाल ही में अभी ओलावृष्टि पूरे प्रदेश में हुई लेकिन अम्बाह और दिमनी को वंचित किया गया है. अध्यक्ष हमारा वहां के एक सेतघाट का पुल है जो महत्वपूर्ण है वह जिले को जोड़ता है उसका यदि निर्माण हो जाए तो उससे पूरे जिले के लोगों सहित पूरे प्रदेशको फायदा होगा.मुरैना में शक्कर मिल है जो काफी लम्बे समय से बीमार पड़ी है इसको दुबारा से चालू कराया जाए जिससे वहां के किसानों को लाभ होगा.अध्यक्ष महोदय, मेरी एक महत्वपूर्ण गुजारिश है कि पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो पांचवी और आठवीं की कक्षाएं हैं उनको उन्नययन करके बोर्ड से लागू कराया जाए.धन्यवाद.

श्री अनिल फिरोजिया(तराना)-- माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय—दो मिनट में.

श्री अनिल फिरोजिया—अध्यक्ष महोदय, आज तो समय देना पड़ेगा. व्यवस्था का सवाल है, आप 15-15 मिनट और 10-10 मिनट समय दे रहे हैं.5-7 मिनट की इजाजत दें तो बोलूंगा नहीं तो बैठ जाऊंगा.

अध्यक्ष महोदय—नहीं आप दो मिनट में बोलिये.

श्री अनिल फिरोजिया—नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा आज.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, यह कोई बात नहीं है. आप जबर्दस्ती नहीं कर सकते .

श्री अनिल फिरोजिया-- जबर्दस्ती नहीं साहब, आप नये लोगों को तो बोलने ही नहीं देते हैं.

अध्यक्ष महोदय, -- आप बोलिये, इतना समय तो आप उसी में निकाल देंगे.सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करें.

श्री अनिल फिरोजिया—मैं साहब, सिंहस्थ की करुंगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में जो सिंहस्थ हुआ था उसके सफल आयोजन के लिए मैं माननीय शिवराजसिंह जी चौहान और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और भगवान महाकाल की कृपा से 2016 में भी माननीय शिवराजसिंह चौहान और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को जो आयोजना का वापस से भगवान महाकाल ने मौका दिया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा था कि सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए साधिकार समिति बनायी गयी है उसमें अधिकांश सदस्य,अधिकारी नये हैं मात्र उनको एक या दो साल उज्जैन में आये हुए, हुआ है उन्होंने अपनी मर्जी से योजनाएँ बनायीं और उसको मूर्तरुप दे रहे हैं, जबकि हमारे यहां पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी जैन ,जिनको पूर्व से सिंहस्थ का बहुत ज्यादा अनुभव है उन्होंने पहले भी सिंहस्थ कराये हैं . माननीय सत्यनारायण जी जटिया, माननीय थावरचंद जी गेहलोत,जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं. ऐसे वरिष्ठ लोग होते हुए भी उनकी भूमिका नहीं हैं,

अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और उनसे कोई राय नहीं ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आगामी सिंहस्थ में दिक्कत होने वाली है.

अध्यक्ष महोदय--- ठीक है आपकी यह बात आ गई है अब इसके आगे बढ़े.

श्री अनिल फिरोजिया--- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि सिंहस्थ उज्जैन शहर का नहीं है अपितु विश्व का है. लेकिन सिंहस्थ में ग्रामीण अंचल के लोग बहुत आते हैं, चाहे अमावस्या का पर्व हो या पूर्णिमा का लेकिन सिंहस्थ में ग्रामीण अंचल को नहीं जोड़ा गया है ना ही उसकी कोई योजना बनाई गई है . मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे तराना विधानसभा क्षेत्र में कालीपुरा को टू लाइन किया जाये . दूसरा तराना विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैंड जर्जर हो रहा है उसको नवीनीकरण किया जाए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि महाकाल के नाम शिव और कैलाश हैं और इस सिंहस्थ के आयोजन को शिव और कैलाश दोनों ही कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाकाल को वह कैसे भूल रहे हैं. मेट्रो से आपने इन्दौर और भोपाल को जोड़ा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि महाकाल की नगरी को भी मेट्रो से जोड़ें. आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री वैलसिंह भूरिया(सरदारपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलाश जी से निवेदन है कि बदनावर से उज्जैन को भी फोरलेन में जोड़ा जाए वहाँ बहुत दुर्घटनायें होती हैं. यदि यह फोरलेन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा.

श्री नारायण सिंह पवाँर(ब्यावरा)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21,22,75,78 का समर्थन करता हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं. बाकी सभी बातें सभी वक्ता बोल चुके हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्यावरा राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर है, जो अनेक समस्याओं से ग्रसित है यह लगभग 60 हजार की आबादी का शहर है . पूर्व में यहाँ पेयजल की अत्यंत विकट समस्या थी, गर्मियों में दस-बारह दिन में पीने का

पानी मिलता था,लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से, कैलाश जी के प्रयास से वहाँ कुशलपुरा परियोजना सफल हुई है. उसके कारण ब्यावरा में पानी की सप्लाई शुरु हो गई है. किन्तु ब्यावरा शहर के अंदर दो उच्च स्तरीय टंकियाँ बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है और शहर के अंदर पाइपलाइन का नवीनीकरण व विस्तारीकरण बहुत आवश्यक है . उसके प्रस्ताव भी शासन के पास संचालक, नगरीय निकाय विकास विभाग के पास लंबित है, उसकी स्वीकृति दिलाने की कृपा करें. माननीय मंत्री मेरा आपसे निवेदन है कि ब्यावरा शहर बहुत कंजेस्टेड है , सघन बसा हुआ है उसमें वैकल्पि मार्ग बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है. शहर के पास एक अजनार नदी बहती है उसके कारण दूसरे मार्ग नहीं बन पाते हैं इसलिए एक ओवरब्रिज बनाकर शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है इसलिए आंतरिक मार्ग औऱ एक ओवर ब्रिज बनाकर यातायात उसके ऊपर से गुजारने की आवश्यकता है , उसकी स्वीकृति प्रदान करे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा एक और आग्रह है कि शहर में एक ही पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 शहर के अंदर से गुजरता है उसी के आसपास सारा यातायात निकलता है इसलिए शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के कारण जो गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं , नगरीय क्षेत्र होने के कारण सारा यातायात उसके अंदर ही गुजरता है इसलिए एक यातायात नगर विकसित किया जावे. साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि ब्यावरा शहर बहुत ही सघन है , उसके आसपास के गांव ब्यावरा नगरीय सीमा में शामिल किये जावे उसका एक प्रस्ताव शासन के पास वल्लभ भवन में लंबित है उसको स्वीकृत कराकर के तत्काल ब्यावरा शहर को विस्तार करने के लिए योजना में शामिल कराया जावे. ब्यावरा शहर में एक बहुत पुराना तालाब है उसके कारण ब्यावरा के जलस्त्रोत जिंदा किये जा सकते हैं, उसका गहरीकरण करके उसमें घाट इत्यादि बनाये जाये ताकि नगर का सौंदर्यीकरण बढ़े और जलस्त्रोत भी जीवित हो सकेंगे. शहर के अंदर से एक निस्तारी नाला निकलता है जिसे गंदा नाला बोलते हैं, वह शहर के बीचोबीच से निकलता है जो कि बहुत बड़ा नाला है उस

नाले को भी ढंकने के लिए कोई ना कोई योजना पूर्व नगरपालिका द्वारा भेजी गई है उस प्रस्ताव की भी स्वीकृति मंत्री जी दिलाने की कृपा करेंगे तो ब्यावरा शहर के नागरिकों को स्वस्थ रखा जा सकेगा. मेरी दो-तीन बातें और हैं. ब्यावरा में हाउसिंग बोर्ड का एक प्लान पटवा जी की सरकार के समय से प्रस्तावित है उसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है, सड़कें वगैरह बन चुकी हैं लेकिन अभी तक वहां कोई भी गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई हैं. ब्यावरा शहर इतना बड़ा शहर होने के बाद भी न तो वहाँ कोई बड़ा सामुदायिक भवन है, न ही कोई ऑडिटोरियम है, उसकी भी अत्यन्त आवश्यकता है. आबादी के मान से उसकी भी स्वीकृति दिलाने की कृपा करें. अध्यक्ष महोदय, एक और नगर पंचायत मेरे क्षेत्र में है....

अध्यक्ष महोदय-- उसके बहुत प्रस्ताव होंगे.

श्री नारायण सिंह पँवार-- 2-3 बातें हैं.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं 2-3 नहीं. सबसे प्रमुख बात बोल दीजिए जो आप चाहते हैं.

श्री नारायण सिंह पँवार-- अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रमुख बात यह है कि सुडालिया शहर में जो पानी की समस्या है, पार्वती नदी पास में बहती है, 3-4 किलोमीटर से पार्वती नदी से नलजल योजना बना करके शहर को पानी पिलाया जा सकता है. एक बस स्टेंड अधूरा है और बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है. माननीय मंत्री महोदय इनको पूरा करने की कृपा करें. शेष मांगें मैं लिख करके प्रस्तुत करूँगा.

श्री देवेन्द्र वर्मा(खंडवा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21, 22, 75 और 78 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे मेरे क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा. अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनाएँ हमारे प्रदेश में चलाई जा रही हैं उसमें आईएचएसडीपी एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना में सभी नगर निगमों को शामिल किया गया उसी प्रकार मेरे

खंडवा विधान सभा क्षेत्र को, खंडवा शहर को भी शामिल किया गया है, उसमें इस प्रकार के नियम थे कि जो भी अवैध कॉलोनियाँ, इस प्रकार की बस्तियाँ हैं, उनको शामिल करते हुए उसमें क्वार्टर, फ्लेट या आवास दिए जाएँगे. अध्यक्ष महोदय, वह लगभग साल भर से बन कर तैयार हैं और उसमें जिन लोगों का आरक्षित किया गया है वे जाना नहीं चाहते, उसकी कॉस्ट लगभग ढाई से पौने तीन लाख रुपये है. उस बारे में कहीं न कहीं शासन अपने स्तर पर निर्णय ले. इसी प्रकार जो राजीव आवास योजना है, इसके अतिरिक्त जो राजीव आवास योजना में भी शामिल है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन योजनाओं की कहीं न कहीं समीक्षा होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, मेरे खंडवा शहर में लगभग 150 अवैध कॉलोनियाँ हैं और इन 150 अवैध कॉलोनियों के लिए पूर्व में हमारी सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया था लेकिन उसमें इतने कठोर नियम हैं कि कहीं न कहीं उसके अन्तर्गत यह अवैध कॉलोनियाँ नहीं आ पा रही हैं. ऐसी कॉलोनियों को विकसित करने के लिए कहीं न कहीं इन योजनाओं का अगर हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम शहरी क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएँगे. अध्यक्ष महोदय, हमारे खंडवा शहर में लंबे समय से एक स्वीमिंग पूल की मांग की जा रही थी. हमने खंडवा में शहरी क्षेत्र में सभी लोगों से, जन सहयोग से, लगभग 75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की और लगभग इतनी ही राशि हमने शासन से स्वीकृत कराई. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सवा करोड़ रुपये में हमारा स्वीमिंग पूल पूर्ण नहीं हो पा रहा है. शासन से अगर कुछ अनुदान हमको मिलता है तो हमारा स्वीमिंग पूल खंडवा शहर में एक अच्छी सौगात होगी. इसी प्रकार मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि हमारे खंडवा शहर में 2001 में मास्टर प्लान बना था, वह 10 साल के लिए प्रस्तावित है. अब 2011 में जो मास्टर प्लान बना है, मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें ग्रीन बेल्ट बढ़ा दिया है और इसी प्रकार जो आवासीय क्षेत्र है वह कम कर दिया है. उसमें जो रिंग रोड प्रस्तावित है उसमें लगभग 5 करोड़ रुपये की मंडी बन गई है. उसमें नई कॉलोनियाँ कट चुकी हैं. एमआर रोड, सर्विस रोड पर, कॉलोनियाँ

कट चुकी हैं, अर्थात् जो 2011 का मास्टर प्लान है वह कहीं से कहीं तक तर्क संगत नहीं है. अर्थात् उस मास्टर प्लान को अगर रद्द करते हैं और पुनः सर्वे करते हुए हमारे शहर के लिए नया मास्टर प्लान लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात होगी. इसी प्रकार हमारे शहर में लगभग हाउसिंग बोर्ड की 8 से 10 कॉलोनियाँ हैं, मैं यह कहना चाहूँगा कि वह हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी नहीं होकर अवैध कॉलोनी है तो उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इन हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के लिए कहीं न कहीं नीति निर्धारित हो कि अगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनती है तो उसके साथ में नगर निगम को भी हैंडओव्हर हो जाती है तो निश्चित रूप से इन हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को नगर निगम की मूलभूत सुविधाएँ मिल सकती हैं. इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी कि सिंहस्थ हमारे मध्यप्रदेश के लिए एक सौगात है. हमारे यहाँ पर लाखों, करोड़ों, श्रद्धालु आते हैं....

अध्यक्ष महोदय-- उसमें उज्जैन वाले बोल चुके हैं.

श्री देवेन्द्र वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खंडवा जिले में भी एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हमारे ओंकारेश्वर का भी प्रोजेक्ट चला गया है....

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.श्री दिनेश राय मुनमुन आप बोलिए.

श्री देवेन्द्र वर्मा-- उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करते तो निश्चित रूप से हमारे ओमकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये भी एक बहुत अच्छी सौगात होगी साथ ही हमारा तीर्थ स्थल विकसित होगा. खंडवा शहर में नर्मदा केन योजना स्वीकृत हुई थी उसके लिये भी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है वह होना चाहिये. इसी प्रकार लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि..

अध्यक्ष महोदय—देवेन्द्र जी बस, अब आप पेपर को रख दें. अब सिर्फ दिनेश राय मुनमुन का ही लिखें.

श्री देवेन्द्र वर्मा—(XXX)

श्री दिनेश राय (सिवनी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले से लोकसभा गया, संभाग गया, फोर लाइन का काम रुका हुआ है, रेलवे लाइन का काम रुका हुआ है. सन् 1998 में नगर पालिका सिवनी में 33 वार्ड हुआ करते थे वर्तमान में 24 वार्ड हैं, 36 वार्ड का प्रस्ताव गया किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे वार्डों को 24 रखा जाये या 36 रखा जाये. किन्तु पता नहीं किस कारण से प्रशासन ने 24 वार्ड पुन: कर दिया है. मैं निवेदन करता हूँ कि 36 वार्ड किये जायें. सब्जी मंडी और फुटकर मंडी के लिये मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की थी उसके वित्तीय प्रावधान के लिये मंत्रीजी से निवेदन करता हूं. दो साल से नगर पालिका सिवनी और नगर परिषद लखनादौन में एक भी सब इंजीनियर नहीं है इसके लिये मैंने स्वयं मंत्रीजी से निवेदन किया था. कर्मचारियों की व्यवस्था करने की कृपा करें. हमारे यहां से छोटी रेलवे लाइन छिंदवाड़ा रोड, नागपुर रोड और कटंगी रोड के लिये जाती है यहां फ्लाई ओवर बनाने के लिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय, बच्चों के लिये कोई स्टेडियम नहीं है. फुटबाल एवं क्रिकेट के स्टेडियम के लिये प्रावधान करें. सिवनी का जो बस स्टेंड है वहां यदि आदरणीय मंत्रीजी चार घंटे बैठ जायें तो मैं कहता हूँ कि मेरे जिले में कोई काम न कराया जाये. बस जब बस स्टेंड से मुड़कर बाहर आती है तब ही यात्री उसमें बैठते हैं क्योंकि अंदर बहुत गंदगी है, वहां पेशाब घर भी नहीं है व अन्य कोई व्यवस्था भी नहीं है. निवेदन है कि वहां यह प्राथमिक व्यवस्थायें की जायें.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय, तिकोना पार्क अतिक्रमण में आ चुका है उसे मुक्त करने की कृपा करें क्योंकि वहां रैन बसेरा बनना है. भेदभावपूर्ण तरीके से सिवनी जिले में अतिक्रमण हटाया गया है इसमें जांच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें. झुग्गी बस्ती के लिये शौचालय की व्यवस्था नहीं है.

सिवनी, लखनादौन नगर परिषद में व बरघाट में शौचालय की व्यवस्था का अनुरोध है. 10 साल से पुरानी अवैध कॉलोनियां बताकर उनमें विकास नहीं हो पा रहा है जिन्होंने इस कॉलोनी को बनाया है वे अब नहीं है और कुछ की मृत्यु हो गई है. अत: निवेदन है कि वहां पर सड़क, विद्युत खम्बे, नाली और पानी की व्यवस्था करने की कृपा करें.

अध्यक्ष महोदय, शहर में एक दल-सागर है जहां पर हाउसिंग बोर्ड को काम दे दिया गया है हाउसिंग बोर्ड जो काम कर रहा है उसने उसकी संरचना को ही खराब कर दिया है उसने टपरे ही टपरे बनाकर दल-सागर को खराब कर दिया है. इसका काम विधिवत हो. शहर में पट्टा वितरण अभी तक नहीं हुआ है बहुत कम लोगों को पट्टे दिये गये हैं. अवैध कॉलोनियों का लगातार निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाये. एस पी बंगले से बबरिया तक की रोड का निर्माण किया जाये. यह आरईएस विभाग के अधीनस्थ है इसलिये उस रोड का काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है. शंकराचार्य जी के नाम से एक पार्क है जिसमें अवैध कब्जा हो गया है उसे हटाया जाय. नगर पालिका एवं नगर परिषद की जमीन को हस्तांतरित करने की कृपा करें.

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्यायें पढ़ने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद और मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि सिवनी के विकास में योगदान दें. सिवनी अब शहर से गांव हो रहा है नगर पंचायत से वह ग्राम पंचायत के ओहदे में आने जा रहा है इसलिये इस शहर को जिले से संभाग बनाने की स्थिति में लाने की कृपा करें. धन्यवाद

श्री मुरलीधर पाटीदार :-अध्यक्ष महोदय, सुसनेर विधान सभा में एक माताजीका मंदिर है जहां पर काफी वीआईपी लोग आते हैं वहां पर टूलेन सड़क बनवायी जाए।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- अध्यक्ष महोदय, आप जो कहेंगे वह काम करवा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उठा और सत्यदेव कटारे जी जाने लगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) :- माननीय मंत्री जी, हम मंत्री को तो सुनना चाहते हैं, हमको सिर्फ मंत्री जी को नहीं सुनना है। भविष्य के मुख्यमंत्री को तो सुनने में हमको कोई आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य- आप मैदान छोड़कर मत जाओ, आप मैदान छोड़कर जा रहे हों।

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सहित, उपाध्यक्ष महोदय के सहित सभापति महोदय के सहित श्री कमलेश्वन पटेल, श्री विश्वास सारंग, अर्चना चिटनिस जी,शैलेन्द्र जैन, कुंवर विक्रम सिंह जी नातीराजा, रामेश्वर शर्मा जी, श्री फुंदेलाल मार्को जी, श्री शंकरलाल तिवारी जी, श्री दुर्गालाल जी, श्री रामपाल सिंह जी, श्री सुदर्शन गुप्ता जी, श्री दिलीप सिंह जी परिहार , आदरणीय उषा चौधरी जी,श्री बहादुर सिंह जी परिहार, सरदार हरदीप सिंह जी, श्री चेतन्य कश्यप जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी श्री सत्यप्रकाश जी,श्री अनिल फिरोजिया जी, श्री देवेन्द्र सिंह जी और श्री दिनेश राय जी इस प्रकार कुल एक लाख पच्चीस हजार बाईस लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद् देता हूं। क्योंकि एक सरदार सवा लाख के बराबर होता है।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया:- आप खड़े होकर धन्यवाद तो दे दें।

(श्री राम लल्लू वैश्य विधायक के खड़े होने पर)

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- आप लिखकर दे देना आपके सब काम कर दूंगा। जब माननीय सत्यदेव कटारे जी सब विधायकों को लेकर जा रहे थे तो मुझे एक बहुत बड़ा शेर याद आ गया और मुझे एक वजनदार शेर याद आ गया " मैं जब भी चिराग चलाता हूं रोशनी के लिये, मैं जब भी चिराग जलाता हूं रोशनी के लिये, अंधेरे हवाओं के कान भरने लगते हैं (मैजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्यों ने एक बहुत बड़ी चिन्ता प्रकट की है कि शहरीकरण इस देश के लिये चुनौती है और जिस तरह है आदरणी अर्चना जी ने ओर विश्वास सांरग

जी ने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर अगर शहरीकरण हो रहा है तो हमारे देश के अंदर सर्वाधिक शहरीकरण हो रहा है हमारा देश पहले गांव के नाम से जाना जाता था और यह बात सही है कि लोग गांव में सुविधाओं के अभाव में शहर की ओर आ रहे हैं। रोजगार की तलाश में शहर की तरफ आ रहे हैं। यह हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अध्यक्ष महोदय यदि आप इस बजट को देखेंगे तो मुझे कहते हुए फक्र है , हमारे सब सदस्यों ने बताया कि 2003 में हमारा जो बजट था और आज का जो बजट है वह लगभग 9 गुना है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ 25 लाख है, उसमें से 2 करोड़, 59 लाख की आबादी शहर के अंदर रहते हैं, इसमें हमारी जो नगर निकाय है वह कुल 377 है जिसमें नगर पालिका , नगर पंचायत और नगर परिषद है। वर्ष 1974 में संविधान संशोधन के बाद 12 वीं अनुसूचि में जो दायित्व और अधिकार मिले उसके अनुसार आज इनको सक्षम बनाना राज्य सरकारों की आवश्यकता है। इसी को सक्षम बनाने के प्रयास में हमने बजट को सिर्फ 9 गुना किया और हम सिर्फ बजट नहीं मैन पावर भी बढ़ा रहे हैं। हमें कहते हुए गर्व है कि हमने अब एक नया सेटअप बनाया है ओर उसी सेटअप के अंदर सारे नगर निगमों से, नगर पालिकाओं से उनकी आवश्यकता पूछी और उस आवश्यकता के अनुसार हम उन्हें तकनीकी मैन पावर दे रहे हैं। मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि उस मैन पावर के आधार पर आज सारी नगर निकायों की न सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि तकनीकी रूप से भी सारी नगर पालिका सक्षम होगी। हमारे सभी साथियों ने बता दिया कि हमारा बजट कितना है, मैं तुलनात्मक बजट की ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जब यह विभाग हमको दिये. पहली बैठक में ही जब हमने दोनों विभागों की बैठक ली और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि दोनों विभाग ऐसे विभाग हैं जब उनकी फाईलें देखीं तो एक विभाग कुछ काम करता तो दूसरा विभाग उसमें क्योरी करता. फाईलें इधर से उधर घूमती रहती है. मैंने मुख्यमंत्री

जी से अनुरोध किया कि दोनों विभागों को अगर एक कर देंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा और मैं मुख्यमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दोनों विभागों को एक कर दिया और अब काम बहुत आसान हो गया. अब योजना बनाने वाला विभाग भी हमारा है क्रियान्वयन करने वाला विभाग भी हमारा है. पैसा देने वाला विभाग भी हमारा है निरीक्षण करने वाला विभाग हमारा है. इसीलिये पूरे विभाग में अब एकरूपता आ गई है. मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पहले काम में थोड़ी सी ढिलाई होती होगी पर अब काम बहुत तेज गति से चलेगा. यह विभाग मेट्रो की गति से चलेगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं.

अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, नगर निकायों के बहुत सारे काम हैं. हमें मुख्यमंत्री जी ने एक चुनौती भरा काम दिया कि कैलाश जी मध्यप्रदेश के अंदर नगर निकायों के अंदर पानी की समस्या है. दो दिन,तीन दिन,चार दिन, पांच-पांच दिन, अभी हमारे नीमच के साथी कह रहे थे कि 5 दिन में पानी मिल रहा है. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से हम 3 साल के अंदर एक भी नगर निकाय ऐसी नहीं होगी जहां शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं. इसलिये सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र की योजनाएं बनाएं. अच्छी तकनीकी योजनाएं बनाएं. हम राज्य सरकार के खजाने से, मुख्यमंत्री पेयजल योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की उसके माध्यम से हमें लोन की आवश्यक्ता होगी तो हम लोन लेंगे. केंद्र सरकार अब हमारी है और मैं इस सदन में बहुत गंभीरता से बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय वेंकैया जी ने कहा कि मध्यप्रदेश मेरी प्रायोरिटी में रहेगा. आप कुछ भी काम लाओगे आप समझ लेना कि केंद्र सरकार आपके साथ है तो एक बहुत बड़ा संबल है कि शहरीकरण की चुनौती को स्वीकार करते हुए सारी समस्याओं के निराकरण के लिये हमारे पास केंद्र सरकार एक बहुत

बड़ा संबल है और मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले विजन,2018 दिया था. इसमें हम शहर में क्या-क्या समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे करना चाहते हैं हमने उसमें वायदा किया था कि हम इस प्रदेश के शहरों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 135 लीटर पानी की आवश्यक्ता प्रतिदिन है. वह 135 लीटर पानी मिलना चाहिये. हम तीन साल के अंदर मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी रहवासी हैं उन्हें 135 लीटर पानी तीन साल के अंदर उपलब्ध करवाएंगे. अध्यक्ष महोदय, पेयजल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी. स्वच्छता एक बहुत जवाबदारीपूर्ण काम होता है. नगर निगम, नगर पालिकाएं सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति से जुड़ी हैं. यदि कोई व्यक्ति घर से स्कूटर पर निकलता है और जब वह गढ्ढे में जाता है तो वह एकदम पार्षद को गाली देता है या नगर पंचायत अध्यक्ष को गाली देता है या मेरे को देता है कि देखो वोट दे दिया और गढ्ढे नहीं भरे. वह रात को जब सोता है बिस्तर में और अगर मच्छर काटते हैं तो वह फिर पार्षद को,महापौर को या नगर पालिका अध्यक्ष को तो सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी नगर निकाय हैं यह आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं. इसलिये शहरी क्षेत्र के अंदर साफसफाई अच्छी हो और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है. अभी हम मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकाप्टर में जा रहे थे मुख्यमंत्री जी ने नीचे देखा बोले देखो हर गांव में कोने-कोने में कचरे के ढेर लगे हैं. आज जो सालिड वेस्ट मेनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है. हर गांव के आसपास, शहर के आसपास कचरे के ढेर, शहर का कचरा इकट्ठा होता है और एक जगह डंप हो जाता है. सालिड वेस्ट मेनेजमेंट बहुत जरूरी है और वह तकनीकी है. उसमें से सेगरीकेशन होना चाहिये. उसमें से कुछ ऊर्जा बन सकती है. उसका लेंड फिल हो सकता है वह भी एक तकनीकी काम है. छोटी-छोटी नगर पालिकाएं नगर पंचायतें यह नहीं कर सकतीं. हम पूरे प्रदेश में इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं हम सब उनको आमंत्रित कर रहे हैं. हम उनको बुला रहे हैं कि हमारे प्रदेश में आईये.

सालिड वेस्ट मेनेजमेंट में आप क्या कर रहे हैं. अर्चना जी ने एक बहुत बड़ी समस्या बताई प्लास्टिक की. प्लास्टिक के लिये हमने एक बहुत बड़े एन.जी.ओ. को बुलाया.. वह बैंगलोर में प्लास्टिक से आईल बनाने का काम कर रहा है. वह भी स्विस चैलेंज के माध्यम से हमारे यहां टेंडर डालने वाले हैं. आपने प्रशंसा की हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कि वह प्लास्टिक को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्टा करने के बाद जो प्लास्टिक बीनने वाले लोग हैं उनको रोजगार भी दे रहे हैं और उस प्लास्टिक को सीमेंट कारखाने में पहुंचाकर उस प्लास्टिकका उपयोग कर रहे हैं पर अब प्लास्टिक से आईल भी बन सकता है. उसका पूरा प्रोजेक्ट हमने देखा वह स्विस चैलेंज में हमारे यहां भाग ले रहे हैं हम उनकी मदद भी करेंगे. तो अध्यक्ष महोदय, सालिड वेस्ट मेनेजमेंट, अपशिष्ट जल प्रबंधन यह भी एक चुनौती है. इन सबके लिये जो आधुनिक तकनीक है. इस क्षेत्र में जो आधुनिक तकनीक के रूप में दुनियां भर में काम कर रहे हैं.

दुनिया भर से उन सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्यप्रदेश सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिये और मैला निपटान प्रबंधन के लिये एक आदर्श प्रदेश बनेगा इसके लिये हम पी.पी.पी के माध्यम से, सरकार के खजाने से तथा केन्द्र शासन के सहयोग से लोन लेकर के काम करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे और इस मध्यप्रदेश में हर प्रकार की गंदगी को समाप्त करने का वचन मैं इस सदन के अंदर दे रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना में निश्चित रूप से पहले बजट बहुत कम था आप जानते हैं कि 1983 में नगर निगम का पार्षद् था उस समय हम एक मुरम ट्रक डल जाता तो बड़े खुश हो जाते थे अरे वाह हमने एक ट्रक मुरम अपने वार्ड में डलवाया आज वार्ड के पार्षद् से बात करो तभी हमारे सरदार जी कह रहे थे कि इतनी इतनी मोटी सड़क मुरम को तो भूल ही गये हैं कि हमारे यहां पर मुरम डलवाओ. हम तो मेयर के पास जाते थे कि मेयर साहब हमारे यहां पर चार पांच मुरम की ट्रक डलवा दो बरसात आ रही है, मुरम डल जाती थी तो इसी में खुश हो जाते थे. पूरे मौहल्ले में

कहते थे कि हम पार्षद् हैं हमने मुरम डलवा दी आजकल लोग मुरम को भूल गये हैं, लोग चाहते हैं सड़क, वह चाहते हैं सी सी रोड़ डामर भी नहीं लोगों का टेस्ट ही बदल गया है. मध्यप्रदेश इस देश का पहला राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के लिये हमने 1200 करोड़ रूपये का लोन लिया है सारी प्रदेश की नगर निगम को दिया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह नहीं देखा कि यह कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी जिसकी जहां पर आवश्यकता है उसको वह पैसा दिया है. यह पहला चरण था मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तथा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने क्षेत्र में रहने वाली जितने भी निकाय हैं उनके आप प्रस्ताव बनायें इस साल नहीं तो अगले साल में हम कहीं से भी पैसा लाकर इस प्रदेश की सारी स्थानीय निकायों को हम अधोसंरचना में हम सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं. इसका हम दूसरा चरण भी अतिशीघ्र लाना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय, सिंहस्थ के बारे में कहना चाहता हूं मैं देश का पहला सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो लगातार दो सिंहस्थ का प्रभारी हूं.

श्री बहादुर सिंह चौहान—आपके ऊपर महाकाल की कृपा है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, यह महाकाल की कृपा है बिल्कुल बहादुर भाई सही कह रहे हैं वहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पर महाकाल ही करता है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब मैं वहां पर पहली बार जब उमा भारती जी ने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के पास तुमको देखना है और 90 दिन के अंदर सारी समस्याओं का निराकरण करना है मैं महाकाल गया वहां पर प्रार्थना की अपील लगाई कि आपको ही सब संभालना है तो सारी जो कल समस्या आने वाली है मुझे एक दिन पहले इसकी अनुभूति हो जाती थी वहां हम काम नहीं करते हैं, सरकार काम नहीं करती है महाकाल राजा खुद काम करते हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया—कैलाश जी आपको फिर से बधाई नर्मदा का पानी क्षिप्रा में आ गया है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, अनिल फिरोजिया जी ने सही बात कही है कि बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिये क्षिप्रा में स्नाना कराना, क्षिप्रा का उद्गम स्थान है वह समाप्त हो चुका था अब सिर्फ बरसात का ही पानी वहां पर रहता था, नर्मदा के मिलने से क्षिप्रा फिर से जीवंत हो गई है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया इसमें अधिकारियों ने कहा कि इम्पासिबिल प्रोजेक्ट मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस के समय में माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी भेरूलाल पाटीदार जी के साथ हम सब लोग मिलने गये दिग्विजय सिंह जी के पास उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ सुना और अपने अधिकारियों को बुलाया, सात दिन बाद फिर से हम लोगों को बुलाया तो अधिकारियों ने कहा कि इम्पासिबिल प्रोजेक्ट इस बार फिर वही अधिकारियों की रटी रटाई बात कि इम्पासिबिल प्रोजेक्ट मुझे कहते हुए फक्र है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी डिक्शनरी में इम्पासिबिल वर्ड नहीं है नर्मदा जी को क्षिप्रा में लाना है मुझे कहते हुए गर्व है कि नर्मदा जी आज क्षिप्रा जी में मिल गई है वह क्षिप्रा जी जो गंदे नाले में परिवर्तित हो गई थी उस क्षिप्रा जी में बहुत फ्रेश पानी बह रहा है. वहां पर क्षिप्रा जी में कुछ आस-पास के नाले वगैरह जुड़ रहे हैं मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिंहस्थ के पहले वहां पर जितनी भी गंदगी जुड़ रही है उन सबको समाप्त करके क्षिप्रा और नर्मदा जी का स्वच्छ पानी में देश की जनता को स्नान करायेंगे मैं इसके लिये आश्वस्त करता हूं. सिंहस्थ 2016 के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है. शहरी लोक परिवहन. यह भी हमारे लिये चुनौती है. जिस तरीके से शहकारीकरण बढ़ रहा है, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है. लोग बाहर से आकर शहरों में रह रहे हैं, तो उनको यातायात सुगम मिलना चाहिये, अच्छा मिलना चाहिये. मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इन्दौर शहर एक ऐसा शहर है कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक वाहन देश के

अंदर किसी शहर के अंदर हैं, तो वह इन्दौर में है. इसलिये जब वाहन ज्यादा रहते हैं, तो प्रदूषण भी ज्यादा होता है. प्रदूषण के साथ साथ पार्किंग की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती होती है. इन सब समस्याओं से इन्दौर शहर जूझ रहा है. भोपाल का पुराना शहर जूझ रहा है. इसलिये बहुत जरुरी है कि यहां पर लोक परिवहन हो. इन्दौर, भोपाल, उज्जैन में बीआरटीएस सफलतापूर्वक काम कर रहा है, पर बीआरटीएस के साथ साथ सिर्फ इन्दौर, भोपाल नहीं, अब हम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर , उज्जैन सहित इस प्रदेश में कुल 1500 बसें चलाने वाले हैं. इसमें हमारे साथी शैलेन्द्र जैन साहब ने उनके यहां बस का कहा था, तो इन्दौर के अलावा जबलपुर, देवास, बुरहानपुर , छिंदवाड़ा,कटनी, सागर, गुना में कुल 600 बसें तो अभी स्वीकृत हो गयीं,..

श्री शंकरलाल तिवारी -- मंत्री जी, सतना भी जोड़ लीजिये.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- बिलकुल जोड़ लेंगे. आप लोग तो बताते जाओ कहां कहां जोड़ना है. सबको जोड़ लेंगे. दतिया भी जोड़ लेंगे.

श्री दिलीप सिंह परिहार -- मंत्री जी, नीमच भी जोड़ लें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्यक्ष महोदय, इस आधुनिक तकनीक के अंदर फास्ट ट्रेन की भी जरुरत है. मेट्रो ट्रेन, इन्दौर, भोपाल. मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में घोषणा की. आदरणीय माया सिंह जी का आग्रह था कि ग्वालियर. इन्दौर और भोपाल का तो हमारा डीपीआर बन रहा है. ग्वालियर और जबलपुर के लिये भी अतिशीघ्र हम डीपीआर बनाने की घोषणा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर हम ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रो टेन चलायेंगे. ई गवर्नेंस के माध्यम से शहरी सुधार, पारदर्शिता से काम हो. आज ई गवर्नेंस जो बड़ी बड़ी नगर निगम हैं. वहां तो हम कर पा रहे हैं, पर छोटी छोटी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में पारदर्शी काम करने के लिये वहां पर मेन पावर भी नहीं है. अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मानव संसाधन हम बढ़ा रहे हैं. मध्यप्रदेश राज्य नगरीय

प्रशासनिक सेवा के 346 पदों को बढ़ाकर हम 473 पद कर रहे हैं. मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा में 468 पदों को बढ़ाकर हम 959 पद कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरों की सब जगह आवश्यकता है. हम सब दूर पैसा भेज रहे हैं , बाकी वहां पर तकनीकी मार्दर्शन नहीं है, तो वह पद भी हम 959 कर रहे हैं. राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा के 165 पदों को बढ़ाकर 276 पद कर रहे हैं. यह सारी भर्ती आने वाले 6 महीने के अंदर कर देंगे. सभी नगर निगमों में यह मेन पॉवर डिप्लाइड कर देंगे. ई गवर्नेंस पारदर्शिता के लिये, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये बहुत जरुरी है. एक कहावत है कि जहां मनुष्य होता है, वहां भ्रष्टाचार अपने आप आ जाता है. तो यदि मशीन काम करेगी, तो ये सब चीजें कम हो जायेंगी. हम नागरिक सुविधाओं को कम्प्यूटर के माध्यम से ¨समय सीमा के अंदर लोगों के पास पहुंचे, इसलिये नगरीय निकायों में ई गवर्नेंस का एक नेटवर्क चला रहे हैं और पूरी की पूरी नगर पालिका, नगर निगमों को हम ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे पारदर्शी प्रशासन भी दिखेगा और भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा. विभाग की, सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं. उपलब्धियों में चुनौतियां भी हैं, मैं यह मानता हूं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री लंबा भाषण करते हैं उनको एक योजना के तहत बीच में इसलिये टोका जाता है ताकी वह थोड़ी देर रेस्टले लें और कमी रह जाये तो पढ. लें और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- माननीय सभापति महोदय, साफ सफाई, शहर का विकास पानी और अब गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग शहरी लोगों के लिये बहुत सारी योजनायें हैं हमारे साथियों ने उसका जिक्र किया है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं पर जैसे केश शिल्पी वह नाई बंधु जो शहर के अंदर पेटी लेकर के काम करते हैं . यह मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिनके मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के केश शिल्पियों को अपने घर बुलाया और घर बुलाकर के उनसे कहा कि

आप क्या चाहते हैं, मुझे कहते हुये गर्व है कि हमने केश शिल्पी कल्याण मंडल का गठन किया है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी केश शिल्पी हैं उनको ऋण दिलाकर उनके काम का अपग्रेड हो उनकी कमाई बढे उनकी वेल्यू एडीशन वो हो उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करेंगे उनको ऋण भी देंगे. इसी प्रकार मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल, इसके लिये भी मुख्यमंत्री जी ने जितने भी छोटे छोटे कपडे सिलने वाले लोग है उनको अपने दरवाजे पर बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल का गठन करेंगे जिससे इस क्षेत्र मे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को , और न सिर्फ इस मंडल का हम गठन कर रहे है इनके विकास के लिये बजट में भी 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे कि इनको आर्थिक सहयोग कर सकें और उनके कौशल उन्नयन के लिये भी हम लोग काम करने वाले हैं.

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र भाई विश्वास सारंग ने एक बहुत ही टचिंग ईश्यू उठाया था .घर में काम करने वाली काम काजी महिलाओं के बारे में, देश के अंदर इन महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा यह मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री जी ने घर में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को अपने आंगन में बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या जब उन्होंने समस्यायें बताई तो समस्या बताने के बाद उनका भी एक कल्याण मंडल बनाकर उनके विकास के लिये भी इस बजट मे प्रावधान किया गया है कि शहरी क्षेत्र में जितनी भी कामकाजी महिलायें हैं वे अपने प्रगति के लिये अपने परिवार की उन्नति के लिये किस प्रकार सरकार से जुड़कर के इन योजनाओं का लाभ उठा सके और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संपन्न हो सके इसके लिये भी हमारी स्थानीय निकाय काम कर रही है.

अध्यक्ष महोदय, विभाग की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम किये हैं हमने , भारत सरकार के द्वारा आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रोल सिस्टम के लिये मध्यप्रदेश को नेश्नल एवार्ड फार ई-गवर्नेंस 2013-14 गोल्ड अवार्ड मिला है. अध्यक्ष जी भारत सरकार द्वारा शहरी स्वच्छता के

क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास को नेश्नल अर्वन वॉटर अवार्ड 2011-12 प्रदान किया गया है. अध्यक्ष महोदय वित्तीय वर्ष 2013-14 में शहरी यातायात के क्षेत्र में भोपाल नगर पालिका को इंटीग्रेटेड आफ सिटी बस आपरेशन विथ बस रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आफ भोपाल के लिये हुडको का पुरस्कार मिला है. अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी लिस्ट है मैं उस लिस्ट को दोहराना नहीं चाहता हूं . मैं यह कहना चाहता हूं कि कम साधन कम मेन पॉवर के बाद भी हमारी संस्थायें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं इससे मुझे संतुष्टि नहीं है संतोष है. हम संतुष्टि की और बढेंगे . और हमें मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है. मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शहरी क्षेत्र- हमारे प्रदेश के बहुत उन्नत होना चाहिये . मै आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मध्यप्रदेश के जितने भी स्थानीय निकाय है उनको सड़क, बिजली, पैानी, और साफ सफाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का सबसे अच्छा अर्बन एरिया में काम करने वाला प्रदेश होगा, यह आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय, 2-3 छोट छोटे से विषय और हैं. हमारे यहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है , हमारे मित्रों ने कहा कि बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है. यह बात भी सही है मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास में जिस तरीके से मेन पॉवर चाहिये थे उस मेन पॉवर की कमी है हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं और अतिशीघ्र मेनपावर बढ़ाकर इसको भी सक्षम करने का काम करेंगे.

अध्यक्ष महोदय, मैं, एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करुंगा. मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अब हमारी है. प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी का पूरा आशीर्वाद है. आप सब लोग सक्रिय विधायक हैं. मैं, प्रतिपक्ष के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हम, हमारे प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं, एक एक करके उनकी सारी समस्याएं निपटायेंगे और

नगरीय क्षेत्र में मध्यप्रदेश, देश का सबसे अच्छा प्रदेश हो इसका हम प्रयास करेंगे. अध्यक्ष महोदय, **कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद भरना पड़ता है.** धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय-- मैं, पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21,22,75 एवं 78 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या	- 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए दो सौ इकतीस करोड़, अटहत्तर लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए तीन सौ उनहत्तर करोड़, बासठ लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पॉच हजार सात सौ उनचास करोड़, सात लाख, ग्यारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या	78	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक सौ चालीस करोड़ रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

समय 0737 बजे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)

अध्यक्ष महोदय:- त्रयोदश विधान सभा के जुलाई, 2011 सत्र में पारित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2014 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है । अनुमति प्राप्त विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय-- विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई,2014 के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

सायं 7.38 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 11 जुलाई, 2014(20,आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 10 जुलाई,2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा